सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर प्रतिवेदन

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार
वित्त मंत्रालय
वर्ष 2020 की प्रतिवेदन संख्या 13
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
पर प्रतिवेदन

मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार

वित्त मंत्रालय

वर्ष 2020 की प्रतिवेदन संख्या 13

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

पैरा सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	i
	कार्यकारी सार	iii-vii
	अध्याय 1 : प्रस्तावना	
1.1	नवीन पेंशन योजना का प्रारंभ	1
1.2	सरकारी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणालीः बुनियादी विशेषताएँ	2
1.3	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की संरचना	3
1.4	संरचना में निधियों/सूचना का प्रवाह	6
1.5	नोडल कार्यालय	7
	अध्याय 2 : लेखापरीक्षा ढाँचा	
2.1	लेखापरीक्षा उद्देश्य	8
2.2	लेखापरीक्षा कार्य-क्षेत्र	8
2.3	लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत	8
2.4	लेखापरीक्षा पद्धति और नमूना	9
2.5	अभिस्वीकृति	10
	अध्याय 3 : योजना	
3.1	परिचय	11
3.2	एनपीएस लाभार्थियों के सेवा मामलों पर नियमों का निर्धारण (केंद्र सरकार के कर्मचारी)	11
3.3	केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखांकन व्यवस्था	13
3.4	वार्षिक लेखा विवरण (31 मार्च 2008 तक)	14
3.5	लीगेसी अंशदान	16
3.6	पेंशन निधियों का चुनाव और योजना की श्रेणियाँ	19
3.7	न्यूनतम सुनिश्चित प्राप्ति के लिए कोई योजना नहीं	21
3.8	प्रतिस्थापन दर	22
3.9	बीमांकक की नियुक्ति तथा योजना का बीमांकिक मूल्यांकन	24

3.10	नेशनल सेक्यूरिटीज डेपोजिट्री लिमिटेड की सीआरए के रूप में नियुक्ति	25
अध्याय 4 : कार्यान्वयन		
4.1	नोडल कार्यालयों एवं पात्र कर्मचारियों का पंजीकरण और समावेशन	27
4.2	स्थायी पेंशन खाता संख्या जारी करने में देरी	39
4.3	स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या जारी करने, एनपीएस अंशदान की कटौती इत्यादि में विलम्ब/लिया गया समय	42
4.4	पीएओ तक बिल पहुँचने में विलम्ब	48
4.5	एससीएफ को अपलोड करने/ट्रांजैक्शन आईडी की प्राप्ति में विलम्ब	50
4.6	न्यासी बैंक को अंशदान भेजने में विलम्ब	52
4.7	कर्मचारी के अंशदान की वेतन से कटौती में विसंगतियां	57
4.8	न्यासी बैंक में अंशदान का गैर-प्रेषण	61
4.9	एनपीएस से निकास/प्रत्याहरण	64
अध्याय 5 : निगरानी		
5.1	निगरानी	68
5.2	अभिदाताओं की शिकायतों का निवारण	72
5.3	अतिरिक्त राहत प्रदान करने के लिए प्रकरणों को अंतिम रूप देने में समस्याएँ	74
अध्याय 6 : निष्कर्ष और अनुशंसाएँ		
6.1	निष्कर्ष	81
6.2	अनुशंसाएँ	83
अनुलग्नक		
I(क)	एनपीएस के कार्यान्वयन और अभिग्रहण के लिए अधिसूचना की तिथियों का राज्यवार विवरण	I-II
I(ख)	एनपीएस के प्रमुख कार्यकर्ता	III-VI
I(ग)	नोडल कार्यालयों के कार्य एवं भूमिका	VII-VIII
II(क)	चयनित राज्यों के चयनित डीडीओ की सूची	IX-XVI
II(ख)	चयनित यूटी के चयनित डीडीओ की सूची	XVII

II(ग)	केन्द्र सरकार के चयनित मंत्रालयों/विभागों तथा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के चयनित डीडीओ की सूची	XVIII-XXIII
III	वार्षिक लेखा विवरणियों का जारी नहीं होना	XXIV-XXVII
IV	केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के चयनित डीडीओ का एनपीएस के अन्तर्गत पंजीकरण में विलम्ब	XXVIII-XXXIII
V	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत चयनित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के पंजीकरण में विलंब	XXXIV-XXXV
VI	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत राज्य सरकार में चयनित डीडीओ के पंजीकरण में लिया गया समय	XXXVI-XLVI
VII	एनपीएस के अंतर्गत राज्य स्वायत्त निकायों में चयनित डीडीओ के पंजीकरण में लिया गया समय	XLVII-XLIX
VIII(क)	स्थाई पेंशन खाता संख्या (पीपीएएन) को जारी करने में विलम्ब	L
VIII(ख)	स्थाई पेंशन खाता संख्या (पीपीएएन) को जारी करने में विलम्ब	LI
IX	स्थाई सेवानिवृति खाता संख्या (प्रैन) को जारी करने में विलम्ब	LII-LIV
X(क)	राज्य सरकार में चयनित डीडीओ में प्रैन जारी करने में लगा समय	LV
X(ख)	राज्य स्वायत्त निकायों में चयनित डीडीओ में प्रैन जारी करने में लगा समय	LV
XI(क)	एनपीएस योगदान की पहली कटौती के प्रारम्भ में विलम्ब	LVI-LVII
XI(ख)	राज्य सरकार तथा राज्य स्वायत्त निकायों में चयनित कर्मचारियों की पहली कटौती में विलम्ब	LVIII
XII(क)	वेतन बिलों के पीएओ पहुँचने में विलम्ब	LIX-LX
XII(ख)	राज्य सरकारों एवं राज्य स्वायत निकायों के बिल पीएओ में पहुँचने में विलंब	LX
XIII(क)	एससीएफ के अपलोड/ट्रांजैक्शन आईडी की प्राप्ति में विलंब	LXI-LXIII
XIII(ख)	एससीएफ के अपलोड/ट्रांजैक्शन आईडी की प्राप्ति में विलंब	LXIV
XIV(क)	केन्द्र सरकार एवं केंद्रीय स्वायत्त निकायों के नोडल कार्यालय द्वारा न्यासी बैंक (टीबी) को अभिदान प्रेषण में विलंब	LXV-LXVII

XIV(ख)	राज्य/यूटी सरकारों एवं राज्य स्वायत्त निकायों के डीडीओ द्वारा न्यासी बैंक को अंशदान के प्रेषण में विलंब	LXVIII
XV(क)	राज्य सरकार में चयनित डीडीओ में वेतन से कर्मचारी अंशदान की कटौती नहीं होना	LXIX
XV(ख)	राज्य स्वायत्त निकायों के चयनित डीडीओ में वेतन से कर्मचारी अंशदान की कटौती नहीं होना	LXIX-LXX
XVI(क)	एनपीएस अंशदान की कम कटौती	LXXI
XVI(ख)	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारी के वेतन से कम अंशदान की कटौती	LXXII
XVII(क)	राज्य सरकार के चयनित डीडीओ/डीटीओ में कर्मचारी अंशदान की उनके वेतन से कम कटौती	LXXIII
XVII(ख)	राज्य स्वायत्त निकायों के चयनित डीडीओ/डीटीओ में कर्मचारी अंशदान की उनके वेतन से कम कटौती	LXXIII-LXXIV
XVIII	वित्तीय सलाहकारों द्वारा डैशबोर्ड का प्रयोग	LXXV-LXXVII
	संक्षिप्ताक्षरों की सूची	LXXVIII- LXXX

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है। यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, 2014 तथा लेखापरीक्षा व लेखा विनियम, 2007 के अनुसार तैयार किया गया है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), केन्द्रीय सरकारी सेवा (सशस्त्र बलों के सिवाय) में नवनियुक्त होने वालों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली के स्थान पर 1 जनवरी 2004 से लागू की गई और तत्पश्चात् राज्य सरकारों ने भी एनपीएस को अपने कर्मचारियों के लिए स्वेच्छापूर्वक अपनाया। एनपीएस को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित किया जा रहा है।

इसमें 30 अप्रैल 2018 को 58.01 लाख सरकारी अभिदाता हैं। एनपीएस बड़ी संख्या में सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को समाविष्ट करता है; यह इन कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा और सेवानिवृति लाभ को प्रभावित करता है। इसका प्रभावी कार्यान्वयन बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग में, यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी, कि एनपीएस उसी प्रकार स्थापित किया गया था जैसा कि परिकल्पित था; सभी सरकारी क्षेत्र के पात्र कर्मचारी एनपीएस में समाविष्ट थे, तथा देय अंशदान (अभिदाताओं तथा नियोक्ताओं से) की समय पर कटौती की गई थी और न्यासी बैंक में जमा किया गया था।

कार्यकारी सार

2001-02 तक केंद्र सरकार (यानि भारत सरकार) की पेंशन देयता अरक्षणीय अनुपात तक पहुँच गई थी। मौजूदा पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने तथा सरकारी सेवा में नव-नियुक्तियाँ प्राप्त करने वालों के लिए नई पेंशन योजना विकसित करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह की स्थापना (जून 2001) की गई थी। इसका प्रतिवेदन, जिसमें एक मार्ग दर्शिका तथा सरकार द्वारा आगे उठाए जाने वाले कदमों का विवरण था; फरवरी 2002 में प्रस्तुत किया गया।

भारत सरकार ने (अगस्त 2003) केंद्रीय सरकार सेवा (सशस्त्र बलों के सिवाय) में प्रवेश करने वाले नव-नियुक्तियों के लिए 01 जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन प्रणाली के स्थान पर एक नवीन पुर्नगठित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) शुरू करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। इसकी मूल विशेषताएँ हैं:

- कर्मचारी वेतन का 10 प्रतिशत मासिक अंशदान (मूल वेतन एवं महँगाई भत्ता) देगा तथा इतनी ही राशि केंद्र सरकार भी एक गैर-आहरणीय टीयर-I खाते में जमा करने हेतु देगी।
- एनपीएस से बाहर निकलने (टीयर-I में 60 वर्ष का होने या उसके बाद) पर व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपनी पेंशन निधि का 40 प्रतिशत एक वार्षिकी खरीदने में निवेश करे तथा 60 प्रतिशत पेंशन धनराशि अभिदाता को एक मुश्त रूप से प्रदान कर दी जाएगी।
- 60 वर्ष की आयु से पहले इस प्रणाली से बाहर निकलने वाले अभिदाताओं के लिए अनिवार्य वार्षिकीकरण पेंशन धनराशि का 80 प्रतिशत होगा तथा 20 प्रतिशत राशि का भुगतान एकमुश्त रूप में किया जाएगा।

एनपीएस केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सभी स्वायत्त निकायों में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों के लिए भी 01 जनवरी 2004 से लागू था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों तथा उनके स्वायत्त निकायों ने भी विभिन्न अवसरों पर अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस प्रणाली को अपनाया।

एनपीएस के तहत केन्द्र सरकार के अन्तर्गत प्रधान लेखा कार्यालय (प्रधान एओ), वेतन तथा लेखा अधिकारी (पीएओ) तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) तथा राज्य सरकार के अन्तर्गत समरुप कार्यालय नोडल कार्यालय (जो अभिदाताओं तथा सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग ऐजेंसी के मध्य सेतु का कार्य करते है) थे। 30 अप्रैल 2018 तक केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के 19.29 लाख अभिदाताओं के लिए 19,303 डीडीओ, 4,719 पीएओ तथा 687

प्रधान एओ थे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों तथा राज्य स्वायत्त निकायों (एसएबी) के 38.72 लाख अभिदाताओं के लिए 2,31,745 डीडीओ, 5,463 पीएओ/जिला राजकोष कार्यालय तथा 443 प्रधान एओ/कोषागार तथा लेखा निदेशालय थे।

एनपीएस की निष्पादन लेखापरीक्षा यह जाँचने के लिए की गई थी कि क्या एनपीएस प्रणाली की स्थापना परिकल्पित रूप जैसी ही की गई थी; सभी पात्र अभिदाताओं को इसमें शामिल कर लिया गया था, तथा देय अंशदान (अभिदाताओं तथा नियोक्ताओं) की कटौती तथा उसका न्यासी बैंक में प्रेषण समय पर किया जाता था।

निष्पादन लेखापरीक्षा अक्तूबर 2018 से जनवरी 2019 के दौरान 01 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2018 की अवधि के लिए 07 राज्य सरकारों (आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तराखण्ड) 02 संघ शासित प्रदेशों (दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) तथा केंद्र सरकार के 16 मंत्रालयों/विभागों के चयनित नमूनों पर संपन्न की गई।

लेखापरीक्षा जाँच परिणामों को निम्नलिखित तीन व्यापक शीर्षों अर्थात योजना, कार्यान्वयन तथा निगरानी में वर्गीकृत किया गया हैः

योजनाः

- एनपीएस की शुरूआत के 15 वर्षों के बाद भी, एनपीएस में समाविष्ट कर्मचारियों के संदर्भ में सेवा की शर्तों/सेवानिवृत्ति लाभों के नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(पैरा 3.2)

- एनपीएस को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत सभी स्वायत्त निकायों में 1 जनवरी 2004 या उसके बाद के नव-नियुक्तों के लिए, स्वायत्त निकायों में रिकॉर्ड कीपिंग तथा लेखांकन व्यवस्थाओं को स्थापित किये बिना ही लागू कर दिया गया।

(पैरा 3.3)

- राज्यों, सीएबी तथा एसएबी के संदर्भ में, पीएफआरडीए ने लीगेसी आंकड़ों को अपलोड करने तथा लीगेसी अंशदान को न्यासी बैंक में भेजने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जिससे लीगेसी राशि का समय पर न्यासी बैंक में हस्तांतरण प्रभावित हुआ। इसके अतिरिक्त, पीएफआरडीए लीगेसी धन की मात्रा तथा इसके न्यासी बैंक में हस्तांतरण की स्थिति से अनभिज्ञ था।

(पैरा 3.5)

- निजी क्षेत्र के कर्मचारियों जिनके पास अपना निवेश करने का विकल्प होता है, से भिन्न सरकारी कर्मचारियों को लगभग 15 वर्षों की अवधि यानी कि 01 जनवरी 2004 से 30 जनवरी 2019 तक भी अपनी पेंशन निधि तथा योजना का चुनाव करने का विकल्प प्राप्त नहीं हुआ।

(पैरा 3.6)

- निधि/योजना का बीमांकिक मूल्यांकन दो वर्षों में एक बार किये जाने तथा निधि/योजना की व्यावहारिकता की जाँच करने के लिए कोई अन्य विधि अपनाये जाने के कोई संकेत नहीं थे।

(पैरा 3.9)

कार्यान्वयन

- इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि सभी नोडल कार्यालय (केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सीएबी तथा एसएबी के तहत) एनपीएस के तहत पंजीकृत थे।

(पैरा 4.1.1)

- योजना के सूत्रीकरण के समय, 100 प्रतिशत पात्र कर्मचारियों को शामिल करने के लिए आवश्यक नियंत्रणों की कल्पना नहीं की गई थी। इसलिए एनपीएस लागू होने के 15 वर्षों बाद भी 100 प्रतिशत पात्र कर्मचारी इसमें शामिल कर लिये गये, इसका कोई आश्वासन नहीं था।

(पैरा 4.1.3)

- स्थाई सेवानिवृति खाता संख्या (प्रैन) जारी करने, एनपीएस अभिदान की प्रथम कटौती, पीएओ के पास बिल पहुँचने, अभिदाता अंशदान फाइल (एससीएफ) को अपलोड करना तथा अभिदान के न्यासी बैंक में प्रेषण में विलम्ब के मामले थे।

(पैरा 4.3.1, 4.3.2, 4.4, 4.5, 4.6)

- जो नोडल कार्यालय एनपीएस में शामिल हो गए थे; उनके संदर्भ में संबंधित केंद्र सरकार/सीएबी के डीडीओ तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के डीडीओ ने क्रमशः ₹5.20 करोड़ तथा ₹793.04 करोड़ की राशि को न्यासी बैंक में प्रेषित नहीं किया था।

(पैरा 4.8)

निगरानी

- वर्ष 2012-13 तथा 2018-19 के बीच 66-68 मंत्रालयों/विभागों में से, सभी ने संयुक्त सचिव, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखा नियंत्रक तथा वित्तीय सलाहकार युक्त समिति का गठन नहीं किया।

(पैरा 5.1.1)

- 2013-14 तथा 2017-18 के बीच बहुत सारी शिकायतें एक से अधिक वर्षों से बकाया थी।

(पैरा 5.2)

- केन्द्र सरकार के सिविल मंत्रालयों के 4,130 मामलों में एनपीएस की ₹139.95 करोड़ की राशि एनपीएस खातों (अर्थात प्रैन) में एकत्रित थी जिनको नोडल कार्यालयों/सरकार को भेजा जाना था क्योंकि इन कर्मचारियों/उनके परिवारों को अतिरिक्त सहायता (मृत्यु/अशक्तता होने पर पुरानी पेंशन) प्रदान की गई थी।

(पैरा 5.3)

अनुशंसाएँ

- एक मजबूत प्रणाली स्थापित किये जाने की आवश्यकता है ताकि सभी नोडल कार्यालयों तथा पात्र कर्मचारियों का एनपीएस के अंतर्गत पंजीकृत होना सुनिश्चित किया जा सके। आंतरिक लेखापरीक्षा क्रियाविधि को देखना चाहिए कि प्रत्येक कर्मचारी प्रणाली में लाया जाये। यह सुनिश्चित करने के लिये, विलम्ब को दंडित करने तथा अभिदाता को हानि से बचाने के लिये क्षतिपूर्ति दिये जाने की आवश्यकता है।

- सरकार सुनिश्चित करे कि सरकारी क्षेत्र के एनपीएस लाभार्थियों के सेवा मामलों से संबंधित नियमावली निर्मित की जाए।

- सरकार उन सारे प्रकरणों को अवश्य चिन्हित करे जिनमें लीगेसी अंशदानों को न्यासी बैंक को प्रेषित नहीं किया गया और यह सुनिश्चित करे कि इसे लागू ब्याज व क्षतिपूर्ति के साथ अभिदाता को प्रेषित किया जाए जिससे कि उसे हानि न हो।

- पीएफआरडीए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में, अभिदाताओं की सेवानिवृत्ति के पश्चात् सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम सुनिश्चित प्राप्ति योजना (एमएआरएस) प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

- डीएफएस वार्षिकी दरों, लम्बी जीवन अवधि तथा ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम प्रतिस्थापन दर स्थापित करे।

- डीएफएस सुनिश्चित करे कि पीएफआरडीए अधिनियम में किया जा रहा संशोधन स्पष्ट रुप से प्रत्येक स्तर पर (जैसा कि वे कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 में कर्मचारियों के लिये हैं)

जिम्मेदारी, जवाबदेही और देरी के लिए दंड को परिभाषित करे ताकि यह सुनिश्चित हो कि एनपीएस के अभिदाताओं का अंशदान न्यासी बैंक को भेजा गया है और निर्धारित समय के भीतर अभिदाता के प्रैन में जमा किया गया है।

- पीएफआरडीए को तत्पश्चात् अतिरिक्त राहत प्रदान किये जाने वाले प्रकरणों को सीआरए प्रणाली में चिन्हित करना चाहिए ताकि वार्षिकी सेवा प्रदाता या अभिदाता/परिवार के सदस्यों को किसी राशि के भुगतान से बचा जा सके। पेंशन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी को नोडल कार्यालय से इस तथ्य की एनओसी प्राप्त करनी चाहिए कि दावेदार को एनपीएस के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है। सरकार अतिरिक्त राहत का लाभ प्राप्त कर चुके अभिदाता/पारिवारिक सदस्यों को पहले ही एनपीएस निधि या एनपीएस खाते से कर दिये गये भुगतान की वसूली करने के लिये तुरन्त कदम उठाए।
- प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ नमूना जाँच पर आधारित हैं। सरकार, केन्द्र व राज्य दोनों, सम्पूर्ण एनपीएस में समान प्रकरणों की पहचान तथा क्रियांवयन में कमियों की मात्रा निर्धारित कर सकती है तथा उपचारात्मक कदम उठा सकती है।

अध्याय 1 - प्रस्तावना

1.1 नवीन पेंशन योजना[1] का प्रारम्भ

वर्ष 2001-02 के बजट में उल्लेख किया गया था कि केन्द्र सरकार {यानि भारत सरकार (जीओआई)} की पेंशन देयता अरक्षणीय अनुपात तक पँहुच गई थी और मौजूदा पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने की आवश्यकता थी तथा सरकारी सेवा में नव-नियुक्त व्यक्तियों के लिए एक नवीन पेंशन योजना विकसित करने को शामिल करते हुए कदम उठाये जाने की आवश्यकता थी। तदनुसार, सरकार द्वारा इस दिशा में लिए जाने वाले अगले कदम के लिए मार्ग दर्शिका प्रदान करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह (एचएलईजी) की स्थापना (जून 2001) की गई जिसने अपना प्रतिवेदन फरवरी 2002 में प्रस्तुत किया। असंगठित क्षेत्र के संबंध में, ओएएसआईएस (वृद्धावस्था सामाजिक तथा आय सुरक्षा) परियोजना जो कि सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित थी, ने जनवरी 2000 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की कुल पेंशन देयता 1993-94 में जीडीपी के 0.6 प्रतिशत (स्थिर मूल्यों पर) से बढ़कर 2002-03 में जीडीपी का 1.66 प्रतिशत (स्थिर मूल्यों पर) हो गई थी तथा वास्तविक प्रवाह 1993-94 के ₹5,206 करोड़ से बढ़कर 2003-04 (बीई) में ₹23,158 करोड़ (दूरसंचार के अतिरिक्त) हो गया। उपरोक्त को देखते हुए एनपीएस को प्रारम्भ करने के लिए सरकार के निर्णय के अनुसार तथा अन्य देशों के अनुभवों के साथ-साथ ओएएसआईएस प्रतिवेदन तथा एचएलईजी प्रतिवेदन की सिफारिशों का निरीक्षण करने के उपरान्त बजट 2003-04 में सरकारी सेवा तथा अन्य सेवाओं में आने वाले नवनियुक्तों के लिए नवीन पेंशन योजना की घोषणा की गई।

31 मार्च 2018 तक, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अन्तर्गत आने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 17,58,144 थी और राज्य सरकार के कर्मचारियों की संख्या 31,63,415 थी। यदि एनपीएस विफल होता है, तो इन अभिदाताओं को सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में पेंशन प्रदान करने का दायित्व उनकी मौजूदा पेंशन देनदारियों के अतिरिक्त, केन्द्रीय और सम्बन्धित राज्य सरकारों पर पड़ेगा।

---

1 नवीन पेंशन योजनाः वित्तीय सेवा विभाग ने अपने दिनांक 13 अगस्त 2009 के का.ज्ञ. द्वारा इसका नाम परिवर्तित करके 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली' (एनपीएस) कर दिया।

1.2 सरकारी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणालीः बुनियादी विशेषताएँ

1.2.1 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए

सरकार ने 2003-04 की बजट घोषणा को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्र सरकार की सेवा (सशस्त्र सेना को छोड़कर) में नवनियुक्तों के लिये एक नवीन पुनर्गठित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली अर्थात् एनपीएस को प्रारम्भ करने से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित (23 अगस्त 2003) किया। नवीन प्रणाली को परिभाषित लाभ पेंशन की तत्कालीन प्रणाली को पदस्थापित करना था। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की बुनियादी विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का प्रारम्भ[2] किया जिसमें वेतन और मंहगाई भत्ते (डीए) का 10 प्रतिशत मासिक अंशदान कर्मचारी द्वारा भुगतान किया जाना था तथा इतना ही योगदान केंद्र सरकार का होना था। अंशदानों तथा निवेश प्राप्तियों को पेंशन के टीयर-। गैर-आहरणीय खाते में जमा किये जाने थे। यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि परिभाषित लाभ पेंशन और सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के तत्कालीन विद्यमान प्रावधान केंद्र सरकार की सेवा में नई भर्तियों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।
- सामान्यतः व्यक्ति 60 वर्ष का होने पर या उसके बाद पेंशन प्रणाली के टीयर-। से पेंशन प्रणाली से बाहर निकल सकते थे और बाहर निकलने पर उनको पेंशन धनराशि के 40 प्रतिशत का निवेश भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई.) विनियमित जीवन बीमा कम्पनी से वार्षिकी क्रय में अनिवार्य रुप से करना होगा। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों के पास 60 वर्ष से पहले भी पेंशन प्रणाली को छोड़ने का विकल्प होगा हालाँकि इस मामले में अनिवार्य वार्षिकीकरण पेंशन धनराशि का 80 प्रतिशत होगा।
- अधिसूचना (दिसम्बर 2003) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति के पास आहरणीय खाता, टीयर-।। का भी स्वैच्छिक विकल्प होगा। सरकार इस खाते में कोई अंशदान नहीं देगी।

---

2 एनपीएस का प्रारम्भ दिनांक 22 दिसम्बर 2003 की अधिसूचना के द्वारा हुआ था। भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग की दिनांक 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के अनुसार, भारत सरकार के सह-अंशदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा।

पुरानी पेंशन प्रणाली तथा एनपीएस में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं:

तालिका 1.1

विवरण	पुरानी पेंशन प्रणाली	एनपीएस (टीयर-I)
कर्मचारी का अंशदान	कुछ नहीं	10 प्रतिशत (मूल वेतन और महंगाई भत्ते का योग)
सरकार द्वारा पेंशन की गारंटी	हाँ	नहीं
पेंशन की धनराशि	अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत	अंतिम वेतन से कोई संबंध नहीं
मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई महंगाई राहत	हाँ	नहीं
सारांशीकरण की अनुमत राशि	40 प्रतिशत तक	कोई विकल्प नहीं
जीपीएफ पात्रता	हाँ	नहीं
जीपीएफ/एनपीएस निकासी	अस्थाईः 15 वर्षों से पहले स्थाईः 15 वर्षों के बाद	टीयर-I: मई 2015 [3] तक अनुमति नहीं

1.2.2 केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के कर्मचारियों के लिए

व्यय विभाग (डीओई) के का.ज्ञा. दिनांक 13 नवंबर 2003 के अनुसार, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी स्वायत्त निकायों में दिनांक 1 जनवरी 2004 अथवा उसके बाद भर्ती होने वाले नवनियुक्तों पर एनपीएस लागू होगा।

1.2.3 राज्य सरकार तथा राज्य स्वायत्त निकायों (एसएबी) के कर्मचारियों के लिए

राज्य सरकारों और उनके स्वायत्त निकायों ने भी विभिन्न अवसरों पर अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस संरचना को अपनाया। एनपीएस प्रणाली को अपनाने तथा अधिसूचित करने की तिथि का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक I(क)** में दिया गया है।

1.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की संरचना

सरकार के निर्णय के अनुसार (23 अगस्त 2003) तथा आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) की दिनांक 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना के अनुसारः

---

[3] कुछ निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये अभिदाता द्वारा किये गये अंशदान के 25 प्रतिशत को आंशिक रुप से निकाला जा सकता है जैसा कि पीएफआरडीए (एनपीएस के अन्तर्गत निकास एवं प्रत्याहरण) विनियम, 2015 द्वारा अधिसूचित किया गया है (मई 2015)।

i. एक स्वतंत्र पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), जो नई दिल्ली में स्थित होगा; पेंशन बाजार को विनियमित तथा विकसित करेगा;

ii. एक केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग तथा लेखांकन एजेंसी (सीआरए) होगी जो नवीन पेंशन योजना से जुड़े सभी व्यक्तियों के अभिलेख रखने के लिए केंद्रीय सुविधा होगी।

iii. कई पेंशन निधि प्रबंधक (पीएफएम) होंगे, जिनमें से प्रत्येक तीन तरह[4] की योजनाएँ- क, ख, ग, प्रस्तावित करेगा; तथा

iv. भागीदार इकाइयाँ (पेंशन फंड तथा सीआरए) पिछले निष्पादन के बारे में आसानी से समझ आ सकने वाली जानकारी प्रदान करेंगी, ताकि व्यक्ति सूचना के आधार पर जो योजना चुननी है, उसका चुनाव कर सके।

एनपीएस में मुख्य कार्यकर्त्ता {विवरण **अनुलग्नक I(ख)** में} इस प्रकार हैं:

- **पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)**
  पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) का गठन अक्तूबर 2003 में एक अंतरिम विनियामक (वैधानिक विनियामक का पूर्ववर्ती) के रुप में किया गया था। पीएफआरडीए अधिनियम 19 सितंबर 2013 को पारित और 01 फरवरी 2014 को अधिसूचित किया गया था। पीएफआरडीए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी संस्थानों/संगठनों और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के द्वारा अपनाई गई एनपीएस को नियंत्रित करता है।

- **केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए)**
  केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी पीएफआरडीए और अन्य एनपीएस मध्यस्थों जैसे- पेंशन निधि, वार्षिकी सेवा प्रदाता, न्यासी बैंक आदि के मध्य एक प्रचालन सेतु के रुप में कार्य करती है। यह सभी एनपीएस अभिदाताओं के लिए रिकॉर्ड कीपिंग, प्रशासन और ग्राहक सेवा कार्य प्रदान करती है।

---

[4] विकल्प क के तहत लगभग 60 प्रतिशत परिसंपत्तियां सरकारी कागज के रुप में, 30 प्रतिशत निवेश श्रेणी के कॉरपोरेट बॉंड के रूप में तथा 10 प्रतिशत इक्विटी के रूप में रहेंगी। विकल्प ख में परिसंपत्ति आवंटन 40 प्रतिशत सरकारी कागज के रुप में, 40 प्रतिशत निवेश श्रेणी के कॉरपोरेट बॉंड के रुप में तथा 20 प्रतिशत इक्विटी के रुप में होगा। विकल्प ग में पेंशन परिसंपत्ति का 25 प्रतिशत सरकारी कागज में, 25 प्रतिशत निवेश श्रेणी के कॉरपोरेट बॉंड के रुप में तथा 50 प्रतिशत इक्विटी के रुप में होगा।

- **न्यासी बैंक**

  न्यासी बैंक एनपीएस के तहत प्राधिकरण द्‍वारा जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुसार निधियों के दिन-प्रतिदिन प्रवाह और बैंकिग सुविधाओं के लिए जिम्मेदार है।

- **पेंशन निधियाँ**

  पेंशन निधियाँ एनपीएस के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पेंशन राशि (कॉर्पस) का प्रबंधन करती हैं।

- **अभिरक्षक**

  अभिरक्षक एनपीएस न्यास के नाम पर डीमैट खाते में योजना प्रतिभूतियां रखता है और प्राधिकरण द्‍वारा विनियमित पेंशन योजनाओं के लिए अभिरक्षण तथा निक्षेपी भागीदार सेवाएं प्रदान करता है।

- **वार्षिकी सेवा प्रदाता**

  वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) एनपीएस अभिदाताओं की वार्षिकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आईआरडीएआई से लाइसेंस प्राप्त और विनियमित जीवन बीमा कंपनियां हैं।

- **एनपीएस न्यास**

  एनपीएस न्यास का गठन अभिदाताओं के हित में एनपीएस के तहत परिसंपत्तियों तथा निधियों की देखभाल के लिए किया गया है।

1.4 संरचना में निधियों/सूचना का प्रवाह

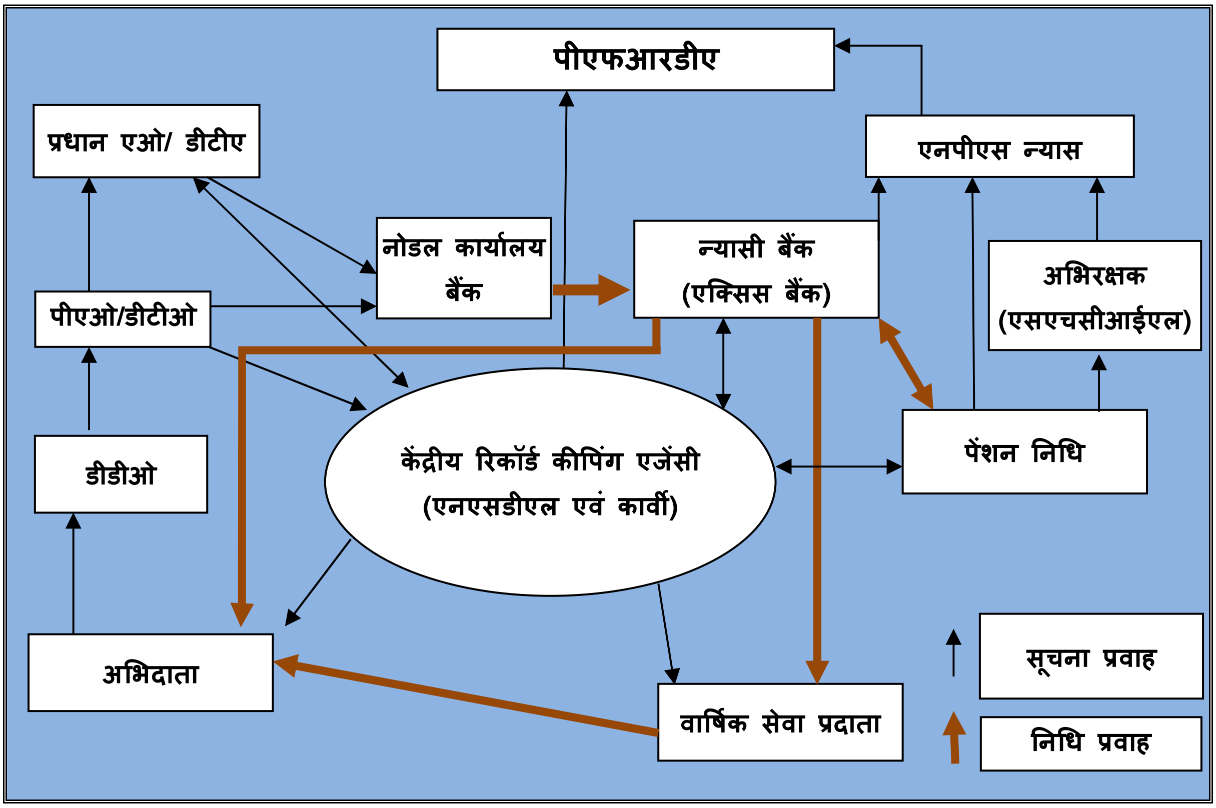

एनपीएस में अभिदाताओं के नामांकन/पंजीकरण के बाद आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) परिभाषित अंशदान की कटौती करता है तथा काटे गये अंशदानों से युक्त वेतन बिलों को वेतन तथा लेखा अधिकारी (पीएओ)/जिला राजकोष अधिकारी (डीटीओ) को भेजता है।

इसके बाद, नोडल कार्यालय[5] अभिदाता के विवरण को नवीन पेंशन योजना अंशदान लेखांकन नेटवर्क (एनपीएस सीएएन) पर अपलोड करते हैं तथा एनपीएस अंशदान (कर्मचारी और नियोक्ता) को अपने बैंकों के माध्यम से न्यासी बैंक को भेजते हैं।

इसके बाद न्यासी बैंक एनपीएस निधि को पेंशन निधि को प्रेषित कर देता हैं, पेंशन निधि पीएफआरडीए द्वारा दिए गए निवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीएस निधि का निवेश करती है तथा दैनिक आधार पर प्रत्येक दिन के अंत में प्रतिभूतियों की खरीद और निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के मूल्यांकन के लिए अभिरक्षक के साथ संपर्क होता है।

जब एनपीएस से अभिदाता बाहर जाता है, तो न्यासी बैंक से अभिदाता (एकमुश्त) और वार्षिकी सेवा प्रदाता (वार्षिकी) को धन का प्रवाह होता है।

---

5 पीएओ/डीटीओ/कोषागार तथा लेखा निदेशालय (डीटीए)

1.5 नोडल कार्यालय

नोडल कार्यालय वे कार्यालय हैं जो अभिदाताओं तथा सीआरए के बीच सेतु के रुप में कार्य करते हैं। इनमें केंद्र सरकार के तहत प्रधान लेखा अधिकारी (प्रधान एओ), पीएओ तथा डीडीओ तथा राज्य सरकारों के अंतर्गत समरूप कार्यालय शामिल हैं। निम्न तालिका में 30 अप्रैल 2018 तक सरकारी क्षेत्र के एनपीएस मॉडल में शामिल नोडल कार्यालयों और अभिदाताओं की संख्या को दर्शाया गया हैः

तालिका 1.2

क्षेत्र	डीडीओ	पीएओ/डीटीओ	प्रधान एओ/डीटीए	कुल अभिदाता (लाख में)
केंद्र सरकार[6]	15,443	2,885	131	17.58
राज्य सरकार	2,20,217	2,249	67	31.63
योग (क)	**2,35,660**	**5,134**	**198**	**49.21**
केन्द्रीय और राज्य स्वायत्त निकायों में नोडल कार्यालयों और अभिदाताओं की संख्या इस प्रकार हैः				
केंद्रीय स्वायत्त निकाय	3,860	1,834	556	1.71
राज्य स्वायत्त निकाय	11,528	3,214	376	7.09
योग (ख)	**15,388**	**5,048**	**932**	**8.8**
योग (क)+(ख)	**2,51,048**	**10,182**	**1,130**	**58.01**

डीडीओ का प्रमुख कार्य अभिदाताओं से स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रैन) के लिए विधिवत भरा हुआ आवेदन प्राप्त करना है, जबकि पीएओ अभिदाता अंशदान फाईल (एससीएफ) एनपीएससीएएन पर अपलोड करता है जिसमें पेंशन अंशदान, प्रैन, डीडीओ, धनराशि आदि का विवरण होता है। प्रधान एओ, पीएओ तथा डीडीओ के कार्य की निगरानी करता है और शिकायत निवारण की निगरानी करता है।

नोडल कार्यालयों की भूमिका और कार्यों के विवरण की चर्चा **अनुलग्नक ।(ग)** में की गई है।

---

6 केंद्र सरकार में ये लेखांकन शीर्ष संगठन सम्मिलित हैः सिविल, रक्षा (असैनिक कर्मचारी), रेलवे, डाक, दूरसंचार व दिल्ली की एनसीटी

अध्याय 2 - लेखापरीक्षा ढ़ाँचा

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

एनपीएस की निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलित करने के लिए की गई थी कि क्याः-

i. एनपीएस प्रणाली जैसी परिकल्पित थी वैसी ही स्थापित हुई है;

ii. सभी पात्र अभिदाताओं को एनपीएस के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था;

iii. अभिदाताओं को निर्धारित समयसीमा में पंजीकृत किया गया था, यदि कोई हो;

iv. एससीएफ को समय पर अपलोड किया गया, कुल अंशदानों (अभिदाताओं और नियोक्ताओं के) को न्यासी बैंक में निर्धारित समयसीमा के भीतर यदि कोई हो, भेज दिया गया; तथा

v. एनपीएस को संबंधित अधिनियमों/विनियमों/आदेशों आदि के अनुसार विनियमित किया जा रहा है और उसकी निगरानी की जा रही है।

2.2 लेखापरीक्षा कार्य-क्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा अक्तूबर 2018 से जनवरी 2019 के दौरान 01 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए की गई थी। यह निष्पादन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से एनपीएस की योजना, इसके कार्यान्वयन (नोडल कार्यालयों और अभिदाता के पंजीकरण के चरणों से लेकर न्यासी बैंक को अंशदान काटकर भुगतान करने तक) और केवल सरकारी क्षेत्र से संबंधित टीयर-I अंशदानों के संबंध में निगरानी पर केंद्रित थी।

2.3 लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत नीचे दिए गए हैः-

- सरकारी संकल्प, अक्तूबर 2003, डीईए द्वारा;
- राजपत्र अधिसूचना, दिसंबर 2003, डीईए द्वारा;
- सरकारी संकल्प, नवंबर 2008, वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस) द्वारा;
- पीएफआरडीए अधिनियम 2013 (डीएफएस द्वारा राजपत्र अधिसूचना, फरवरी 2014 से संबद्ध);
- पीएफआरडीए विनियम, अधिसूचनाएँ, परिपत्र और नियम;

- पीएफआरडीए की बोर्ड बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त;
- डीओई, डीएफएस, डीईए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू), लेखा महानियंत्रक (सीजीए) और केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय[7] (सीपीएओ) द्वारा जारी किये गये एनपीएस से संबंधित कार्यालय ज्ञापन (ओएम); तथा
- राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई अधिसूचना और ओएम

2.4 लेखापरीक्षा पद्धति और नमूना

2.4.1 लेखापरीक्षा पद्धति

क्षेत्रीय लेखापरीक्षा शुरू होने से पूर्व प्रमुख हितधारकों के साथ प्रवेश बैठक 8 अक्तूबर 2018 को की गई थी। लेखापरीक्षा ने प्रमुख हितधारकों में भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग अर्थात डीएफएस, डीओई, डीओपीपीडब्ल्यू, पीएफआरडीए, सीजीए और सीपीएओ में एनपीएस की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी संबंधित अभिलेखों की जाँच की। चयनित राज्यों में मंत्रालयों/विभागों/एनपीएस के नोडल कार्यालयों से संबंधित अभिलेखों की जाँच की गई। केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकार, केंद्रीय स्वायत्त निकायों और राज्य स्वायत्त निकायों में चयनित नोडल कार्यालयों में चयनित अभिदाताओं[8] के वेतन बिलों और अभिलेखों/डेटा की जाँच की गई। नोडल कार्यालयों द्वारा सीआरए के लिए अभिदाताओं के अंशदान विवरणों को अपलोड करने और न्यासी बैंक को एनपीएस अंशदानों को प्रेषित करने से संबंधित अभिलेख/डेटा की जाँच की गई।

2.4.2 लेखापरीक्षा नमूना

केंद्र सरकार (सिविल लेखांकन संगठन) के साथ-साथ राज्यों में मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त निकायों के नमूने का चयन करने के लिए निम्नलिखित पाँच मानदंड[9] नियोजित किए गए थेः

- 30 अप्रैल 2018 को अभिदाताओं की कुल संख्या;
- 2008-09 तथा 2017-18 के बीच कुल बकाया अंशदान (कर्मचारी और नियोक्ता);

---

7 सीपीएओ, सीजीए के अन्तर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय है।

8 केंद्रीय मंत्रालय या विभाग/राज्य/यूटी, जहाँ सम्भव हो पाया, के प्रत्येक चयनित डीडीओ के लिये कम से कम 15 अभिदाताओं के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच प्रस्तावित की गयी थी।

9 पीएफआरडीए द्वारा 31 अगस्त 2018 तक उपलब्ध कराए गए आँकडों के आधार पर।

- ऐसे प्रकरणों की संख्या (डीडीओ वार और महीने-वार) जहाँ क्रेडिट में एक वर्ष से अधिक की देरी हुई;
- बनाई गई ट्रांजैक्शन आईडी[10] की संख्या तथा
- ट्रांजैक्शन आईडी की संख्या जहाँ पर न्यासी बैंक को निधि स्थानांतरित करने के पश्चात एससीएफ अपलोड किया गया।

लेखापरीक्षा नमूना के अंतर्गत शामिल किया गया

- 168 डीडीओ;[11] 07 राज्य सरकारों[12] में **{अनुलग्नक II(क)}**
- 15 डीडीओ;[13] 02 केंद्र शासित प्रदेशों में **{अनुलग्नक II(ख)}**
- 74 डीडीओ;[14] केंद्र सरकार के 16 मंत्रालयों/विभागों[15] में 26 प्रधान एओ के अंतर्गत **{अनुलग्नक II(ग)}**; तथा

लेखापरीक्षा में 3,822 अभिदाताओं के अभिलेखों की जाँच की गई।

2.5 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान डीईए, डीएफएस, डीओई, डीओपीपीडब्ल्यू, पीएफआरडीए, सीजीए, सीपीएओ और राज्य सरकारों के संबंधित कार्यालयों से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करना चाहती है।

---

10 ट्रांजैक्शन आईडी- जब किसी एससीएफ को सीआरए प्रणाली में अपलोड किया जाता है तो एक विशिष्ट आईडी निर्मित होती है जो ट्रांजैक्शन आईडी कहलाती है। यह आईडी न्यासी बैंक के लिये संदर्भ होगी जिसके परिप्रेक्ष्य में भेजी गयी निधि का मिलान अपलोड किए गए एससीएफ से किया जाता है।

11 राज्य सरकार के 140 डीडीओ तथा एसएबी के 28 डीडीओ

12 आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तराखण्ड

13 2 केंद्रशासित प्रदेशों (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) में 10 डीडीओ और 1 केंद्रशासित प्रदेश (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) में एसएबी के 5 डीडीओ। अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह से कोई एसएबी चयनित नहीं की गयी।

14 केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के 15 प्रधान एओ व सीएबी के 11 प्रधान एओ जिनके अंतर्गत क्रमशः 62 डीडीओ (केंद्र सरकार) और 12 डीडीओ (सीएबी) थे।

15 (1) राजस्व विभाग (सीबीईसी, सीबीडीटी, राजस्व विभाग) (2) परमाणु उर्जा विभाग (3) गृह मंत्रालय (4) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (5) कानून एवं न्याय मंत्रालय (6) खान मंत्रालय (7) योजना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (8) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (9) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (10) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (11) जल संसाधन मंत्रालय (12) कृषि मंत्रालय (13) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (14) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (15) आर्थिक कार्य विभाग (16) वित्तीय सेवाएँ विभाग

अध्याय 3 - योजना

3.1 परिचय

जैसा कि पैरा 1.1 में चर्चा की गई है, 25 जून 2001 को वर्तमान पेंशन योजना की समीक्षा करने और परिभाषित अंशदान के आधार पर एक नवीन पेंशन प्रणाली शुरू करने के लिए एक मार्ग दर्शिका उपलब्ध कराने हेतु एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह (एचएलईजी) का गठन किया गया था। एचएलईजी ने अपने प्रतिवेदन में, जो फरवरी 2002 में प्रस्तुत किया गया था, प्रस्ताव दिया कि शुद्ध परिभाषित अंशदान (डीसी) योजना उपयुक्त नहीं है क्योंकि विभिन्न ब्याज दरों तथा जीवन प्रत्याशा के कारण अनिश्चित परिणाम का जोखिम पेंशनभोगी द्वारा वहन किया जाएगा। इस प्रकार, इसने मुद्रास्फीति सूचकांक से युक्त एक संकर योजना की अनुशंसा की, जिसमें कर्मचारियों और केंद्र सरकार के द्वारा बराबर धनराशि का अंशदान सयुंक्त आधार पर दिया जाएगा और कर्मचारियों को पेंशन के रूप में एक परिभाषित लाभ (डीबी) दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया कि एचएलईजी प्रतिवेदन और सरकारी निर्णय (23 अगस्त 2003) में उजागर किए गए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को या तो लागू नहीं किया गया था या विलम्ब से लागू किया गया था जिनका अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के साथ बाद के पैरों में विस्तृत वर्णन किया गया है।

3.2 एनपीएस लाभार्थियों के सेवा मामलों पर नियमों का निर्धारण (केंद्र सरकार के कर्मचारी)

01 जनवरी 2004 से एनपीएस[16] के लागू होने के साथ, सरकार ने स्पष्ट किया कि एनपीएस की अधिसूचना के प्रभाव की तारीख से एनपीएस के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को गैर-अंशदायी पेंशन लाभ उपलब्ध नहीं होंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनपीएस की शुरूआत से 15 वर्ष बाद भी, एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों के संबंध में सेवा शर्तों/सेवानिवृत्ति लाभों पर नियम केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के विचारों में मतभेद के कारण निर्मित नहीं किये गये जैसा कि निम्न वर्णित घटनाओं के अनुक्रम से स्पष्ट हैः

---

[16] केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन सारांशीकरण) नियमावली, केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली एवं अशंदायी भविष्य निधि नियमावली में भी संशोधन किए गए।

- विधि कार्य विभाग (अगस्त 2016) ने संकेत दिया कि पीएफआरडीए अधिनियम के तहत नियमों/विनियमों को केवल पीएफआरडीए/डीएफएस द्वारा ही तैयार किया जा सकता है, हालाँकि डीएफएस इससे सहमत नहीं था और उसकी दृष्टि में संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत डीओपीपीडब्ल्यू और डीओपीटी नियम बना सकते थे। बाद में विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू और डीएफएस) अंततः इस निष्कर्ष पर पहुँचे (सितंबर 2016) कि डीओपीपीडब्ल्यू को केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों एवं पेंशन लाभों से संबंधित नियम निर्मित करने चाहिए एवं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त नियम किसी ऐसे मामले से सम्बद्ध न हो, जो विशिष्ट रुप से पीएफआरडीए अधिनियम के अंतर्गत आता हो और न ही किसी प्रावधान के विपरीत हों।
- एनपीएस को सुचारू रूप से लागू करने के लिए गठित समिति (अक्तूबर 2016) ने भी अपने प्रतिवेदन में एनपीएस[17] कर्मचारियों के पेंशन लाभों से संबंधित सेवा मामलों जैसे निलंबन, असाधारण अवकाश (अर्थात बिना वेतन के अवकाश) या चिकित्सा प्रमाण पत्र के अभाव में अनधिकृत अनुपस्थिति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदोच्युति/निष्कासन दंड को लागू करने की दशा में हकदारी, कर्मचारी द्वारा सेवा के दौरान सरकार को हुए आर्थिक नुकसान की वसूलियों, विभागीय या न्यायिक कार्रवाई के लम्बित मामलों, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदि के संबंध में पृथक नियमों की आवश्यकता को चिन्हित किया।
- डीओपीपीडब्ल्यू के दिनांक 5 मई 2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार उपदान (सेवाकाल में अशक्तता/मृत्यु होने की दशा में), अशक्तता पेंशन (सेवाकाल में अशक्तता की दशा में), पारिवारिक पेंशन (सेवाकाल में मृत्यु होने पर), अक्षमता पेंशन (कर्तव्य निर्वहन करते समय हुई विकलांगता पर) और असाधारण पारिवारिक पेंशन (कर्तव्य निर्वहन करते समय हुई मृत्यु पर) के लाभ को अनंतिम रूप से एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को उसी भाँति दिया जाएगा जैसे कि 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को दिया गया था। चूंकि उक्त लाभ अनंतिम थे, अतः पीएफआरडीए द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार अंतिम भुगतान के समय समायोजन के अधीन थे।

---

[17] समिति- संघीय मंत्रिमंडल ने 29 जून 2016 को हुई अपनी बैठक में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के सुझावों के आधार पर प्रस्तावों पर विचार किया और सचिवों की समिति बनाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सेवानिवृत्ति और मृत्यु उपदान के लाभ एनपीएस कर्मचारियों पर उन्हीं नियमों और शर्तों के साथ लागू[18] किए गए थे जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों पर लागू थे। हालाँकि, अशक्तता पेंशन, पारिवारिक पेंशन, विकलांगता पेंशन और असाधारण पारिवारिक पेंशन के संबंध में नियम अभी तक निर्मित नहीं किये गये हैं।

डीएफएस ने अपने उत्तर में (मई 2019) कहा कि कार्य आबंटन नियम (एओबी),1961 के अनुसार, डीओपीपीडब्ल्यू केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित मामलों पर नीति बनाने व समन्वय के लिए जिम्मेदार था, जबकि डीओपीटी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए जिम्मेदार था।

डीओपीपीडब्ल्यू ने एनपीएस कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए प्रारुप नियमावली तैयार की और उसे 5 जून 2018 को डीओपीटी, डीओई, डीएफएस, सीजीए और पीएफआरडीए को इस अनुरोध के साथ परिचालित किया कि वे प्रारुप नियमावली के संबंध में अपनी टिप्पणी दें, साथ ही साथ यदि प्रारुप नियमावली में जोड़े जाने हेतु कोई अतिरिक्त मामले हों तो उसे भी सुझाएँ।

डीएफएस ने अपने उत्तर (दिसंबर 2019) में आगे सूचित किया कि डीओपीपीडब्ल्यू ने दिनांक 1 मई 2019 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा परिशोधित ड्राफ्ट एनपीएस सेवा नियमावली का प्रारुप परिचालित किया था और डीएफएस ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (मई 2020) कि डीएफएस ने नियमावली प्रारुप पर अपनी टिप्पणियाँ मार्च 2020 में ही अग्रसारित कर दी थीं। वर्तमान तिथि (मई 2020) तक इस संबंध में नियमावली अधिसूचित नहीं की गई है।

अनुशंसाः सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि सरकारी क्षेत्र के एनपीएस लाभार्थियों के सेवा मामलों से संबंधित नियम निर्मित किये जायें।

3.3 केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखांकन व्यवस्था

डीओई के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13 नवंबर 2003 के अनुसार, 1 जनवरी 2004 को या उसके पश्चात् विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले किसी स्वायत्त निकाय में नियुक्त होने वाले सभी नये कर्मचारी भी एनपीएस के अधीन आएँगे न कि इन संगठनों में विद्यमान पेंशन योजना के अंतर्गत।

---

[18] डीओपीपीडब्ल्यू के दिनांक 26 अगस्त 2016 के का.ज्ञा. के अनुसार

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, सीपीएओ को एनपीएस अंशदानों के अभिलेख रखने और लेखांकन के लिए अंतरिम सीआरए (01 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2008 तक) के रूप में नियुक्त किया गया। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि स्वायत्त निकायों के संबंध में, 2009 तक ऐसी, कोई व्यवस्था नहीं दी गई थी (जब नियमित सीआरए के साथ एनपीएस के अंतर्गत प्रथम सीएबी पंजीकृत हुआ था)। यह पाया गया कि इस अवधि में अभिलेख रखने और लेखांकन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी को न तो अंतिम स्वरूप दिया गया था और न ही अधिसूचित किया गया था तथा यह विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों में लगातार स्थानान्तरित होती रही जैसा कि नीचे वर्णित हैः

- डीईए ने स्वायत्त निकायों को उनकी स्वयं की अंतरिम कार्यप्रणालियों को तैयार करने और फिलहाल के लिए अंशदान को रखने की सलाह दी। तदोपरान्त, डीईए ने यह माना (मई 2005) कि संबंधित प्रशासकीय मंत्रालय अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी संबंधित स्वायत्त निकायों के लिए समान प्रक्रियाओं को तैयार कर सकते हैं; तथा
- डीईए ने बाद में पीएफआरडीए को सूचित (मई 2006) किया कि पीएफआरडीए स्वायत्त निकायों के लिये अभिलेख रक्षण व लेखांकन व्यवस्था तैयार कर सकता है।

डीएफएस ने अपने उत्तर (दिसंबर 2019) में स्वायत्त निकायों के लिए अभिलेख रक्षण और लेखांकन व्यवस्थाओं को तैयार करने के संबंध में असगंत दृष्टिकोण के संदर्भ में कुछ नहीं कहा और कहा कि सीजीए ने सुझाव (अक्तूबर 2004) दिया था कि अतंरिम अवधि में जब तक कि पूर्णकालिक सीआरए स्थापित नहीं हो जाता, स्वायत्त निकाय अपने अभिलेखों एवं अंशदानों को स्वयं अनुरक्षित कर सकते हैं। इस कार्य में सीपीएओ और सीजीए उनकी मदद करेंगे।

डीएफएस के उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि जबकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अनंतिम व्यवस्थाएँ की गई थीं परंतु केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

3.4 वार्षिक लेखा विवरण (31 मार्च 2008 तक)

3.4.1 केन्द्रीय सरकार

वित्त मंत्रालय (जीओआई) के दिनांक 7 जनवरी 2004 एवं 4 फरवरी 2004 के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार सीपीएओ को प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक वार्षिक लेखा विवरण (एएएस) (प्रारंभिक शेष, मासिक कटौतियों का विवरण और तदनुसार सरकार द्वारा दिया गया अंशदान, अर्जित ब्याज और अंतिम शेष को

दर्शाते हुए) तैयार करना था और अभिदाताओं को एएएस जारी करना था। इसके अतिरिक्त सीपीएओ प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् शेष राशि (पीएओ-वार) का विवरण प्रधान एओ को भेजेगा जो मिलान के उद्देश्य से इस सूचना को सभी पीएओ को अग्रसारित करेगा।

पीएफआरडीए ने (फरवरी 2006) पेंशन अंशदानों के लेखांकन के महत्त्व और इसमें किसी तरह की शिथिलता की संभावना जिसके कारण कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है और सरकार के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, को उजागर किया। इसने यह भी सूचित किया कि दो वर्षों का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी एनपीएस के अंतर्गत किसी भी नवनियुक्त को, जो कि संख्या में 1,00,000 से अधिक हैं, एएएस प्राप्त नहीं हुआ था और यह भी कि सीपीएओ के पास लगभग 85 प्रतिशत से अधिक अभिदाताओं के संबंध में पूर्ण विश्वसनीय जानकारी नहीं थी।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के चयनित डीडीओ/पीएओ के अभिलेखों के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि 40 [19] चयनित डीडीओ के अंतर्गत चयनित 71 कर्मचारियों में से 31 डीडीओ के 55 कर्मचारियों को एएएस निर्गत नहीं हुआ (विवरण **अनुलग्नक III** में)

तालिकाः 3.1

कुल डीडीओ	कुल डीडीओ जहाँ चयनित योग्य कर्मचारियों को एएएस प्राप्त नहीं हुआ	कुल डीडीओ जहाँ योग्य कर्मचारियों को एएएस प्राप्त हुआ	40 चयनित डीडीओ में कुल चयनित लाभार्थी	कुल चयनित कर्मचारी जिन्हें एएएस प्राप्त नहीं हुआ	कुल चयनित कर्मचारी जिन्हें एएएस प्राप्त हुआ
40	31	09	71	55	16

इसके अतिरिक्त सीपीएओ की लेखापरीक्षा के दौरान एएएस की तैयारी एवं निर्गमन से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।

डीएफएस ने अपने उत्तर (दिसंबर 2019) में कहा कि सीजीए ने सूचित किया था कि सीपीएओ अपेक्षित अभिलेखों/फाइलों को ढूंढने का गंभीर प्रयत्न कर रहा है।

यह नोट किया जाता है कि अब एनएसडीएल, अभिदाताओं को मासिक एवं वार्षिक लेन-देन का विवरण भेजता है जिसमें अंशदान, अभिदाता की एनपीएस

[19] कुल चयनित 62 डीडीओ में से 22 डीडीओ में 01.01.2004 से 31.03.2008 के दौरान नमूने में या तो कोई भी कर्मचारी चयन के लिए योग्य नहीं था या डीडीओ के पास उक्त अवधि के लिए अभिलेख उपस्थित नहीं थे।

निधि का पीएफ-वार आबंटन, बाजार मूल्य, निवेश का वास्तविक मूल्य इत्यादि दर्शाया जाता है।

3.4.2 राज्य सरकार

राजस्थान सरकार (मार्च 2004 में) और झारखण्ड सरकार (दिसंबर 2004 में) ने अपने एनपीएस अभिदाताओं के लिए एएएस के प्रावधानों के संबंध में प्रारंभिक शेष, मासिक कटौतियों का विवरण और तदनुसार सरकारी अंशदान, अर्जित ब्याज, यदि हो और अंतिम शेष को दर्शाने के लिए समरूप अनुदेश जारी किए। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि राजस्थान में सभी 25 चयनित डीडीओ में एएएस उपलब्ध नहीं कराया गया और झारखण्ड में 20 डीडीओ में से 15 डीडीओ ने एएएस की प्राप्ति की पुष्टि नहीं की।

3.5 लीगेसी अंशदान

3.5.1 केंद्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग

3.5.1.1 आर्थिक कार्य विभाग (दिनांक 29 मार्च 2008 के अपने का.ज्ञा. द्वारा) ने एनपीएस में एकत्रित राशि (लीगेसी अंशदान[20]), के संबंध में ₹1165.39 करोड़ की राशि भारत सरकार के वर्ष 2007-08 के बजट से न्यासी बैंक को स्थानान्तरण करने को अनुमोदित किया। मार्च 2008 तक जीओआई ने इस राशि पर जीपीएफ की दर से ब्याज दिया। इस का.ज्ञा. के द्वारा यह इंगित किया गया कि मार्च 2008 के बाद ब्याज नहीं दिया जाएगा और अभिदाता-वार खाते माह अप्रैल, 2008 के भीतर ही सीआरए को स्थानान्तरित किये जाने थे।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने सीपीएओ से यह सुनिश्चित करने के लिए अभिलेख/जानकारी माँगी (अक्तूबर 2018) कि क्या सभी मंत्रालयों/विभागों ने अप्रैल 2008 तक अभिदाता-वार खाते स्थानान्तरित कर दिए थे, क्या सभी मंत्रालय/विभाग का.ज्ञा. में शामिल किए गए थे और क्या सभी मंत्रालयों से सूचना प्राप्त हुई थी और वह तिथि जब तक इनका मिलान किया गया था।

सीपीएओ ने उत्तर दिया (29 नवंबर 2018) कि लेखापरीक्षा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उनके कार्यालय में कोई अभिलेख मौजूद नहीं था। अभिलेखों की गैर-मौजूदगी के कारण लेखापरीक्षा अंशदानों (देय ब्याज के साथ) के लेखांकन की सटीकता व पूर्णता एवं उनके न्यासी बैंक को समय से प्रेषण के संबंध में कोई आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका।

---

20 लीगेसी राशि, एनपीएस के लागू होने की तिथि से प्रथम नियमित अपलोड की तिथि तक बकाया अंशदान है।

डीएफएस ने सूचित किया (दिसंबर 2019) कि सीजीए ने सूचित किया कि संगत सूचना सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध होंगी। सीजीए का कथन स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीपीएओ को प्रत्येक कर्मचारी के लिए वार्षिक लेखा विवरण बनाना था एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में शेष धनराशि (पीएओ के अनुसार) का विवरण प्रत्येक प्रधान एओ को प्रतिवेदित करना होता था। यदि ये विवरण निर्गत किए गए होते तो ₹1,165.39 करोड़ की जमा राशि की सटीकता की लेखापरीक्षा में पुष्टि की जा सकती थी।

डीएफएस ने आगे स्वीकार किया (दिसंबर 2019) कि यह अत्यंत चिंता का विषय है कि सीजीए के पास कोई सूचना/एकत्रित सूचना इस संबंध में उपलब्ध नहीं थी कि कर्मचारियों के लीगेसी पेंशन अंशदानों को बाजार में लगाया गया है एवं उनके एनपीएस खातों को क्रेडिट किया गया है या नहीं। यह भी नोट किया गया कि उक्त मामले में सीजीए द्वारा तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए और अभिदाताओं को प्रकल्पित वित्तीय नुकसान के बदले उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए ताकि पेंशन के भुगतान के संबंध में वे किसी हानि की स्थिति में न हों।

3.5.1.2 पूल खाते का निर्माण एवं संचालन

जब जून 2008 में सीआरए-एनएसडीएल तंत्र प्रारंभ हुआ, नोडल कार्यालयों (पीएओ/सीडीडीओ) ने कर्मचारी/नियोक्ता के अंशदानों (केन्द्र सरकार से संबंधित) को न्यासी बैंक को प्रेषित किया। इनमें से कुछ अंशदानों को सीआरए को संबंधित विवरण जैसे कर्मचारी का नाम, अंशदान से संबंधित अवधि आदि दिए बिना ही न्यासी बैंक को प्रेषित कर दिया गया।

ऐसे अंशदानों को एकमुश्त राशि के रूप में निवेश पूल खातों[21] में किया गया जब तक संबद्ध प्रैन में इनका स्थानांतरण लंबित था ताकि ऐसी निधियों पर प्राप्तियों की हानि से बचा जा सके। इन निधियों के अतिरिक्त पूल खाते में वे निधियाँ भी सम्मिलित थीं जो 30 अप्रैल 2012 तक अपूर्ण विवरणों के साथ प्राप्त हुई थीं।

लेखापरीक्षा ने इस संबंध में पाया किः

- 1 जनवरी 2019 को पूल शेष ₹17.35 करोड़ था और निवेश का मूल्य ₹40.68 करोड़ था जिनका मिलान विवरणों की कमी के कारण नहीं हो सका था और यह कर्मचारी के व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाते (प्रैन) में

---

[21] पूल खाते का निर्माण 20 मार्च 2010 को किया गया। 1 मई 2012 को यह निर्णय लिया गया कि यदि निधियाँ सीआरए सिस्टम में अपलोड एससीएफ के संगत उचित विवरण के साथ प्राप्त नहीं हुई और निधियों का मिलान एवं बुकिंग नहीं हो सकी तो उन्हें वापस कर दिया जाएगा। साझा खातों में 1 मई 2012 से नए क्रेडिट बंद कर दिए गए।

जमा के लिए लम्बित थे। इस प्रकार न्यासी बैंक द्वारा 30 अप्रैल 2012 तक की अवधि में प्राप्त सभी निधियाँ लेखांकित नहीं थीं।

- एनएसडीएल-सीआरए के अनुसार, 30 सितंबर 2018 को 9,187 केंद्रीय सरकारी अभिदाता 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके थे जिनमें से 144 अभिदाताओं के संदर्भ में मिलान न की गई निधियों के कारण एससीएफ मिलान के लिए लंबित थे। इन 144 अभिदाताओं में से 27 अभिदाता, एनपीएस से बाहर हो चुके थे, 20 अभिदाता आंशिक (वार्षिकी के लिए लंबित) रूप से बाहर हो चुके थे और 14 अभिदाताओं ने बाहर होने के लिए ऑनलाइन आवेदन सीआरए सिस्टम में दर्ज किया था। हालाँकि, सीआरए ने इन प्रत्याहरण आवेदनों को निरस्त कर दिया था क्योंकि एससीएफ मिलान एवं बुकिंग के लिए लंबित थी। अतः इन अभिदाताओं के लिए एक पूर्ण आहरण आवेदन (एकमुश्त के साथ-साथ वार्षिकी) लंबित था। इस प्रकार कई सेवानिवृत्ति के मामले इन विवरणों के अभाव में रूके हुए थे।

डीएफएस ने उत्तर दिया (दिसंबर 2019) कि सीआरए-एनएसडीएल में स्थानान्तरण के समय यह मामले सीजीए द्वारा परिकल्पित किए गए थे और भिन्नता की दशा में मिलान के मुद्दे पर सीआरए को सम्बन्धित मुख्य लेखानियंत्रकों (सीसीए)/लेखानियंत्रकों (सीए) से बातचीत करनी थी। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि एनपीएस के कार्यान्वयन की निगरानी व पता लगाने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए वित्तीय सलाहकार की समिति का गठन किया गया था। डीएफएस ने आगे कहा कि डीओई को जिम्मेदारी तय करने एवं विहित तरीके से समितियों द्वारा कार्य न किए जाने की दशा में परिणाम निर्धारित करने की आवश्यकता है।

डीएफएस के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि सीपीएओ (डीओई को प्रतिवेदित करते हुए) को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक कर्मचारी के लिए वार्षिक लेखा तैयार करना था और शेष राशि का विवरण (पीएओ के अनुसार) प्रत्येक प्रधान एओ को प्रतिवेदित करना था जो सूचना के मिलान हेतु प्रत्येक पीएओ को अग्रसारित करता। यदि सभी अभिदाताओं को वार्षिक लेखा विवरण प्राप्त हो जाते तो पूल खाते के निर्माण की आवश्यकता नहीं रहती।

3.5.2 राज्य सरकारें, सीएबी और एसएबी

राज्यों, सीएबी और एसएबी के संदर्भ में लीगेसी आँकड़ों को अपलोड करने एवं लीगेसी अंशदानों को स्थानान्तरित करने के लिए पीएफआरडीए द्वारा कोई

समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। आगे, पीएफआरडीए लीगेसी राशि की मात्रा एवं इसके न्यासी बैंक को स्थानान्तरण की स्थिति से अनभिज्ञ था।

पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (मार्च 2019 तथा अप्रैल 2019) कि अपलोड या स्थानान्तरित की जाने वाली लीगेसी धनराशि की मात्रा कई कारकों जैसे कर्मचारियों की संख्या, नियुक्ति की तिथि, मूल वेतन, ऐसे कर्मचारियों की डीए और वेतन वृद्धि पर निर्भर थी और उक्त सूचनाएँ सम्बन्धित राज्य सरकार, सीएबी और एसएबी के पास उपलब्ध होंगी। पीएफआरडीए ने आगे कहा (दिसंबर 2019) कि लीगेसी आँकड़ों को अपलोड करने/लीगेसी अंशदानों के स्थानान्तरण हेतु समय-सीमा निर्धारित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की थी और एक विनियामक के रुप में इसने सरकारी नोडल कार्यालयों द्वारा लीगेसी निधियों को अपलोड करने में विलम्ब/ अपलोड नहीं करने के मामलों को समय-समय पर पत्रों, पुनरीक्षण बैठकों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के द्वारा नियमित रूप से उठाया।

पीएफआरडीए के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है कि पेंशन अंशदानों के प्रेषण में विलम्ब और लीगेसी धन राशि का स्थानान्तरण न होने के कारण अभिदाताओं को प्राप्तियों में हानि, सेवानिवृत्ति या मृत्यु के कारण समय-पूर्व निकासी की दशा में पूर्ण हकदारी की प्राप्ति न होना, राज्य सरकारों की विधिक देयता बढ़ने के रुप में परिणत होगी। लेखापरीक्षा के लिए चयनित नमूनों में लीगेसी अंशदानों के स्थानान्तरण न होने/विलम्ब से होने के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की चर्चा पैरा 4.6 और 4.8 में की गई है।

अनुशंसाः सरकार को उन सभी प्रकरणों को अवश्य चिन्हित करना चाहिए जिनमें लीगेसी अंशदानों को न्यासी बैंक को प्रेषित नहीं किया गया और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इसे देय ब्याज व क्षतिपूर्ति के साथ प्रेषित किया जाए जिससे कि अभिदाता को हानि न हो।

3.6 पेंशन निधियों का चुनाव और योजना की श्रेणियाँ

जीओआई की अधिसूचना (22 दिसंबर 2003) में विभिन्न पेंशन निधियों द्वारा योजनाओं[22] की तीन श्रेणियों को प्रस्तुत करना, परिकल्पित किया गया। इसके

[22] योजनाओं की तीन श्रेणियाँ- क,ख एवं ग थी। विकल्प क, के तहत लगभग 60 प्रतिशत परि-संपत्तियां सरकारी कागजों के रुप में रहेंगी, 30 प्रतिशत निवेश श्रेणी के कॉरपोरेट बॉड के रुप में तथा 10 प्रतिशत इक्विटी में रहेगी। विकल्प ख में 40 प्रतिशत सरकारी कागजों के रुप में, 40 प्रतिशत निवेश श्रेणी के कॉरपोरेट बॉड के रुप में तथा 20 प्रतिशत इक्विटी के रुप में रहेंगी। विकल्प ग में पेंशन परिसंपत्ति का 25 प्रतिशत सरकारी कागजों में, 25 प्रतिशत निवेश श्रेणी के कॉरपोरेट बॉड के रुप में तथा 50 प्रतिशत इक्विटी के रुप में होगी।

अतिरिक्त, अभिदाता इनमें से किसी भी विकल्प में अपना पैसा आबंटित करने के लिए स्वतंत्र होगा और इसमें भाग लेने वाली इकाइयां उनके पिछले निष्पादन के बारे में आसानी से समझी जाने वाली जानकारी प्रदान करेंगी ताकि अभिदाता को सूचना के आधार पर जो योजना चुननी है, उसका चुनाव कर सके। एनपीएस निधियों के प्रबंधन पर सरकारी निर्णय (अप्रैल 2008) में भी संकेत दिया गया कि सरकार द्वारा चयनित निधि/परिसंपत्ति प्रबंधक यथा एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई, एनपीएस अभिदाताओं के लिए योजनाओं का विकल्प सरकार द्वारा विहित निवेश प्रतिरुप के अन्तर्गत ही प्रदान करेंगें तथा अभिदाताओं के पास निधि/परिसंपत्ति प्रबंधकों तथा अनुमोदित निवेश योजनाओं का चुनाव करने का विकल्प होगा। 15वीं लोकसभा की वित्त पर स्थायी समिति (पैरा 56) के 40वें प्रतिवेदन (2010-11) में योजना के संचालन में और अधिक लचीलेपन की इच्छा दर्शायी गई और कर्मचारियों के पास आवधिक रूप में प्रतिरुप/योजना चुनाव के साथ-साथ निधि प्रबंधकों के चुनाव की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए।

केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की एनपीएस निधि का प्रबंधन, हालाँकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई निवेश पद्धति के अनुसार तीन सार्वजनिक क्षेत्र के पेंशन निधि प्रबंधकों नामतः एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई तक सीमित था और सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के पास निजी क्षेत्र के अभिदाताओं (जिनके पास निवेश योजना तथा पीएफ चुनने[23] का विकल्प था) के विपरीत निवेश योजना चुनने का विकल्प नहीं दिया गया था। पीएफआरडीए का मानना था कि इसके परिणामस्वरुप, एनपीएस में केंद्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों के पास निजी अभिदाताओं (गैर-सरकारी) की तुलना में समान अवसर नहीं थे।

इस संबंध में डीएफएस ने स्पष्ट (अप्रैल 2013) किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निवेश विकल्प चुनने की अनुमति दी जा सकती है लेकिन इस तरह के बड़े बदलाव को पीएफआरडीए द्वारा वित्तीय साक्षरता और जागरुकता अभियान के बाद ही किया जाना चाहिए था।

इसके बाद पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 20 की उपधारा 2(घ) ने निर्दिष्ट किया कि बहु-पेंशन निधियों और कई योजनाओं का विकल्प होगा। पीएफआरडीए ने भी डीएफएस के साथ इस मुद्दे (जून 2015, सितंबर 2015 और जनवरी 2016) को बार-बार उठाया। 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में से एक यह भी थी कि सरकार, पीएफआरडीए के परामर्श से, मिश्रित निवेश के

---

[23] विकल्प-(i) 8 सरकारी तथा निजी निधि प्रबंधकों में से किसी एक पेंशन निधि को चुनने का (ii) इक्विटी में व्यक्तिगत कोष के अधिकतम 50 प्रतिशत के आवंटन के अतिरिक्त बिना किसी प्रतिबन्ध के तीन वर्गो यथा इक्विटी, कॉरपोरेट ऋण एवं सरकारी ऋण में अपनी निधियाँ आवंटित करने का (iii) वर्ष में एक बार पी.एफ. तथा तीनों परिसंपत्ति वर्गो में परिवर्तन करने का।

लिए विभिन्न विकल्प सुनिश्चित करे और अभिदाताओं को कई विकल्प प्रदान करे।

भारत सरकार ने दिनांक 31 जनवरी 2019 की अपनी अधिसूचना[24] के द्वारा अभिदाताओं को निम्न का चुनाव करने की अनुमति दीः (i) निजी क्षेत्र की पेंशन निधियों को सम्मिलित करते हुए कोई भी एक पेंशन निधि। (ii) सरकारी प्रतिभूतियों में 100 प्रतिशत निधि का निवेश करने का विकल्प। (iii) जीवन चक्र आधारित दो योजनाएँ[25]।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के पास 15 वर्ष से अधिक समय से अर्थात 01 जनवरी 2004 से 30 जनवरी 2019 तक पेंशन निधि और विभिन्न श्रेणियों की योजनाओं में कोई विकल्प नहीं था (जब तक सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की), जिसमें निहित था कि सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के पास अपना निवेश करने का कोई विकल्प नहीं था जबकि गैर-सरकारी अभिदाताओं के पास यह अवसर 01 मई 2009 से उपलब्ध था। प्रारम्भ से 31 दिसम्बर 2018 तक विभिन्न योजनाओं और निधि प्रबंधकों में निवेश के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्राप्तियों की दर 9.59 प्रतिशत से 9.91 प्रतिशत के बीच, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 9.50 प्रतिशत से 9.63 प्रतिशत के बीच तथा गैर-सरकारी अभिदाताओं के लिए 8.41 प्रतिशत से 11.43 प्रतिशत के बीच थी।

31 मार्च 2019 तक निजी क्षेत्र की तुलना में एनपीएस निधियों के प्रबंधन के संदर्भ में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए समान अवसर की कमी को स्वीकार करते हुए डीएफएस ने कहा कि (दिसंबर 2019) चूँकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों विशेष रुप से वर्ग 'ख' तथा 'ग' कर्मचारियों में उनके निवेशों के संबंध में निर्णय लेने के लिए वित्तीय साक्षरता की कमी है, अतः पीएफआरडीए को इस प्रकार के अभिदाताओं में जागरुकता तथा वित्तीय साक्षरता लाने हेतु कदम उठाने की सलाह दी गई है।

3.7 न्यूनतम सुनिश्चित प्राप्ति के लिए कोई योजना नहीं

सरकारी निर्णय (अगस्त 2003) के अनुसार उन क्रियाविधियों का मूल्यांकन करने का प्रस्ताव किया गया था जिनके माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लिए निजी वित्तीय बाजारों के द्वारा कुछ निवेश संरक्षण की गारंटी दी जा सकती है तथा

---

[24] 1 अप्रैल 2019 से लागू हुआ

[25] दो योजनाएं (i) 25 प्रतिशत अधिकतम एक्सपोजर टू इक्विटी के साथ कंजरवेटिव जीवन चक्र निधि-एलसी 25 (ii) 50 प्रतिशत अधिकतम एक्सपोजर टू इक्विटी के साथ मॉडरेट जीवन चक्र निधि-एलसी 50

व्यक्तियों द्वारा उसका भुगतान किया जा सकता है। ये सरकारी खजाने के लिए आकस्मिक देनदारियां पैदा नहीं करेंगें।

पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की धारा 20 की उपधारा 2(घ) अनुसार अभिदाताः

- के पास सरकारी प्रतिभूतियों में 100 प्रतिशत तक निधि निवेश करने का विकल्प उपलब्ध होगा; तथा
- यदि न्यूनतम सुनिश्चित प्राप्ति चाहता है तो उसके पास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित न्यूनतम सुनिश्चित प्राप्ति प्रदान करने वाली ऐसी योजनाओं में अपने धन का निवेश करने का विकल्प होगा।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएफआरडीए ने बीमांकक/बीमांकिक निवेश प्रबंधन फर्मों को एनपीएस के अन्तर्गत न्यूनतम सुनिश्चित प्राप्ति योजना (एमएआरएस) के अभिकल्पन व विकास हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी करके एमएआरएस के अभिकल्पन की प्रक्रिया प्रारम्भ (फरवरी 2019) कर दी थी। हालाँकि, यह (दिसंबर 2019) एनपीएस अभिदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं थी जो कि पीएफआरडीए अधिनियम का उल्लंघन था।

इस प्रकार पीएफआरडीए अधिनियम की अधिसूचना के पाँच वर्ष व्यतीत होने के बाद पीएफआरडीए ने न्यूनतम सुनिश्चित प्राप्तियाँ प्रदान करने वाली योजना अभिकल्पित/निर्मित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की तथा अभिदाताओं को एनपीएस के प्रारम्भ होने के 15 वर्षों के बाद भी ऐसी न्यूनतम सुनिश्चित प्राप्ति होना शेष है।

अनुशंसाः पीएफआरडीए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में, अभिदाताओं की सेवानिवृत्ति के पश्चात् सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एमएआरएस प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

3.8 प्रतिस्थापन दर

एचएलईजी के प्रतिवेदन के अनुसार, पहले टीयर की पेंशन पिछले 36 महीनों की औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत पर परिभाषित लाभ होगी। न्यूनतम अर्हक सेवा 20 वर्ष होगी और 33 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद अधिवर्षिता के आधार पर सेवानिवृत्ति होने पर पूर्ण पेंशन देय होगी।

सरकारी निर्णय (अगस्त 2003) के अनुसार, यह आशा की गई थी कि वेतन (मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता) को 10 प्रतिशत अंशदान तथा नियोक्ता अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा समतुल्य अंशदान वर्ग 'क' कर्मचारियों के लिए अंतिम

परिलब्धि (मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता) का 56 प्रतिशत, वर्ग 'ख' कर्मचारियों के लिए लगभग 58 प्रतिशत, वर्ग 'ग' कर्मचारियों के लिए लगभग 59 प्रतिशत तथा वर्ग 'घ' कर्मचारियों के लिए लगभग 68 प्रतिशत प्रतिस्थापन दर प्राप्त कर सकता है। यह प्राक्कलन कुछ मान्यताओं पर आधारित थे जिनमें अन्य विषयों के साथ-साथ वर्तमान वेतन संरचना में कोई परिवर्तन नहीं, चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर मजदूरी (महंगाई भत्ते में वृद्धि) मुद्रास्फीति सूचकांक परिकलित करना, योजना क में निवेश करना (इसका अनुमान था कि लंबी अवधि में सरकारी प्रतिभूतियाँ 1.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की प्राप्ति की वास्तविक दर प्रदान करती हैं, कारपोरेट बाँड पाँच प्रतिशत प्रतिवर्ष प्राप्ति की वास्तविक दर प्रदान करते हैं तथा इक्विटी 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वास्तविक दर लम्बी अवधि में प्रदान करती है); पुरानी पेंशन प्रणाली 33 वर्ष का सेवा काल पूरा हो जाने पर 50 प्रतिशत प्रतिस्थापन दर (सेवा के अंतिम 10 महीनों की औसत परिलब्धियों पर आधारित) प्रदान करती थी।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के परिसंघ ने हड़ताल की सूचना के साथ आर्थिक मामले विभाग (डीईए) को एक मांग पत्र सौंपा, मांग पत्र के संदर्भ में पीएफआरडीए ने (अक्तूबर 2007) सूचित किया कि परिसंघ द्वारा उठाई गई आशंकाएँ निराधार थीं। इसने यह भी कहा कि विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत या अधिक प्राप्ति की वास्तविक दर अंतिम वेतन के (यदि बचत निवेश किया गया होता तो अंतिम तीन वर्षों के दौरान सांकेतिक प्राप्ति 14 प्रतिशत से 29 प्रतिशत तक होती) 50 प्रतिशत से अधिक पेंशन प्रदान करेगी।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा ने (दिसंबर 2018 तथा जनवरी 2019) डीएफएस से स्पष्टीकरण माँगा कि क्या वर्ग क, ख, ग तथा घ कर्मचारियों के लिए प्रतिस्थापन दर किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा किए अध्ययन पर आधारित थी और मानदंड के साथ विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययन का विवरण भी माँगा। आगे, यह स्पष्टीकरण भी माँगा गया कि क्या 01 जनवरी 2004 के बाद वास्तविक प्रतिस्थापन दर का कोई मूल्यांकन किया गया था तथा क्या अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए इस तरह की प्रतिस्थापन दर के एक महत्वपूर्ण स्तर की पहचान की गई थी।

डीएफएस ने उत्तर दिया (मार्च 2019) कि मूल्यांकन दर की तुलना में वास्तविक प्रतिस्थापन दर का आवधिक मूल्यांकन और कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में प्रतिस्थापन दर के एक न्यूनतम स्तर की पहचान का उल्लेख सरकारी निर्णय में नहीं था। डीएफएस ने आगे कहा कि (दिसंबर 2019) गिरती हुई वार्षिकी दरों,

बढ़ती जीवन अवधि तथा अर्थव्यवस्था की परिपक्वता के साथ-साथ ब्याज दर में अपरिहार्य कमी के साथ सरकारी निर्णय में परिकल्पित प्रतिस्थापन दरों को प्राप्त नहीं किया जा सकता।

प्रतिस्थापन दरों के मूल्यांकन के आधार से सम्बन्धित विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा, सरकारी निर्णय (अगस्त 2003) में उल्लेखित अपेक्षाओं को प्राप्त करने के विषय पर आश्वासन देने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त क्या सरकार द्वारा एचएलईजी की अनुशंसाएँ स्वीकार की गई थीं या नहीं, इसका कारण सहित स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

अनुशंसाः डीएफएस वार्षिकी दरों, लम्बी जीवन अवधि तथा ब्याज दरों पर विचार करते हुए न्यूनतम प्रतिस्थापन दर तय कर सकता है।

3.9 बीमांकक की नियुक्ति तथा योजना का बीमांकिक मूल्यांकन

एचएलईजी ने अनुशंसा की कि दीर्घ अवधि में निधि की व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए, दो वर्षों में एक बार बीमांकिक मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी। इसके बारे में आगे और बताया कि बीमांकिक मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर सरकार लाभ संरचना को तर्कसंगत बना सकती है या अंशदान की दर बढ़ा सकती है, जैसा प्रकरण हो।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों/प्रतिक्रियाओं के अनुसार पाया गया कि ऐसा कोई संकेत नहीं था कि क्याः

- उपरोक्त संदर्भित एचएलईजी अनुशंसाओं को स्वीकार किया गया या नहीं और उसके कारण;
- निधि/योजना का दो साल में एक बार बीमांकिक मूल्यांकन किया गया, तथा
- निधि/योजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए किसी अन्य विधि को अपनाया गया था।

डीएफएस ने (मई 2019) में उत्तर दिया कि एचएलईजी को डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा गठित किया गया था, जिसने फ़रवरी 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और समूह की अनुशंसा की स्वीकृति और कार्यान्वयन से संबंधित जानकारी डीएफएस अभिलेख से प्राप्त नहीं हो रही थी। हालाँकि, डीएफएस ने दो वर्षों में एक बार बीमांकिक मूल्यांकन (जैसा कि एचएलईजी प्रतिवेदन में अनुशंसा की गई थी) और निधि/योजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए किसी अन्य विधि को अपनाये जाने के संबंध में विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा निधि/योजना की व्यवहार्यता पर आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी। यह इस तथ्य के आलोक में महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीमांकिक मूल्यांकन किसी भी पेंशन योजना का आधार होता है तथा 31 जनवरी 2020 को प्रबंधन के तहत कुल परिसंपत्तियाँ ₹3,99,245.04 करोड़ की थीं, जिसमें से ₹3,41,815.87 करोड़ का एयूएम सरकारी क्षेत्र (केंद्र/राज्य सरकार) से संबंधित था।

डीएफएस ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2019) में कहा कि एनपीएस के प्रारम्भ में अपेक्षित परिणाम और परिकल्पित मानकों के परिप्रेक्ष्य में एनपीएस के निष्पादन की समीक्षा और आगे के लिए मार्ग विचाराधीन है। डीएफएस ने सूचित किया कि (मई 2020) वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने तथा एनपीएस के प्रारंभ के समय परिकल्पित लाभ के संबंध में एनपीएस के अंतर्गत हाल की प्रतिस्थापन दरों को ध्यान में रखते हुए प्रतिस्थापन दरों को अधिकतम व इष्टतम बनाने के लिये उपयुक्त उपाय करने हेतु बीमांकिक मूल्यांकन करने का इरादा रखता है।

3.10 नेशनल सेक्यूरिटीज डेपोजिट्री लिमिटेड की सीआरए के रूप में नियुक्ति

सरकारी निर्णय (अगस्त 2003) के अनुसार, नई प्रणाली में शामिल होने का विकल्प राज्य सरकार के पास भी उपलब्ध होगा तथा जब और जैसा वह तय करें नई प्रणाली नए भागीदारों को समायोजित करने में सक्षम होगी।

सीजीए के का.ज्ञा. (जनवरी 2004) तथा का.ज्ञा. (फरवरी 2004) के अनुसार जब तक एक नियमित सीआरए का गठन नहीं हो जाता, तब तक सीपीएओ एनपीएस के लिए सीआरए के रूप में कार्य करेगा। नेशनल सेक्यूरिटीज डेपोजिट्री लिमिटेड (एनएसडीएल) ने 1 जून 2008 से (पीएफआरडीए तथा एनएसडीएल के बीच नवंबर 2007 में अनुबंध हुआ) एक नियमित सीआरए के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा के लिए नमूने के रूप में चुने गए सात राज्यों ने 15 मई 2003 से 01 अप्रैल 2006 तक के दौरान एनपीएस को अपनाया था और एनएसडीएल के साथ किए गए समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसका वर्णन नीचे तालिका में किया गया है:

तालिका 3.2

राज्य का नाम	अधिसूचना की तिथि	अंगीकरण की तिथि	एनएसडीएल सीआरए के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि	पहला अंशदान अपलोड करने का माह
आँध्र प्रदेश	22.09.2004	01.09.2004	21.11.2008	दिसम्बर 2010
हिमाचल प्रदेश	17.08.2006	15.05.2003	24.12.2009	दिसम्बर 2010
झारखण्ड	09.12.2004	01.12.2004	25.10.2008	फरवरी 2010
कर्नाटक	31.03.2006	01.04.2006	20.01.2010	अप्रैल 2010
महाराष्ट्र	31.10.2005	01.11.2005	10.10.2014	मार्च 2015
महाराष्ट्र (अखिल भारतीय सेवाएँ)			02.03.2013	फरवरी 2014
राजस्थान	28.01.2004	01.01.2004	09.11.2010	नवम्बर 2011
उत्तराखण्ड	25.10.2005	01.10.2005	11.09.2009	अक्तूबर 2010

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच कोई समानता नहीं थी और राज्य सरकार के कर्मचारी एक नुकसानदेह स्थिति में थे, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया हैः

- केंद्र में, मंत्रालयों/विभागों के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वे एनएसडीएल-सीआरए के साथ करार पर हस्ताक्षर करें। हालाँकि, राज्यों के लिए, संबंधित राज्यों के द्वारा एनएसडीएल-सीआरए के साथ समझौते के बाद ही अभिदाताओं के विवरण का पहला अपलोड तथा न्यासी बैंक को संबंधित लेन-देन का प्रेषण हुआ। परिणामस्वरूप, उपरोक्त राज्यों में अभिदाताओं के विवरणों का पहला अपलोड तथा अंशदानों का प्रेषण एनएसडीएल के सीआरए के रूप में कार्य करने के एक वर्ष पश्चात फरवरी 2010 में प्रारंभ हुआ।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों से भिन्न, राज्य सरकार के अंशदाताओं के प्रकरणों में, जो निधियाँ सीआरए प्रणाली में अपलोड किये गये एससीएफ के अनुरूप पूर्ण विवरण के साथ प्राप्त नहीं हुई थीं अथवा न्यासी बैंक को प्रेषित की गईं वे निधियाँ जिनका मिलान या बुकिंग नहीं हुई थी, को 30 अप्रैल 2012 तक पूल करने एवं निवेश करने के स्थान पर वापस/अस्वीकृत कर दिया गया।

डीएफएस का उत्तर (दिसम्बर 2019) निधियों के निवेश के संबंध में केंद्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच समानता के मुद्दे पर मौन था।

अध्याय 4 - कार्यान्वयन

4.1 नोडल कार्यालयों एवं पात्र कर्मचारियों का पंजीकरण और समावेशन

4.1.1 नोडल कार्यालयों का पंजीकरण एवं समावेशन

4.1.1.1 जीओआई के मंत्रालय/ विभाग

पीएफआरडीए ने वित्त मंत्रालय को सूचित किया (15 फरवरी 2008) कि सीआरए को 01 जून 2008 से कार्य प्रारम्भ करना था। सभी नोडल कार्यालयों जैसे कि प्रधान एओ, पीएओ, डीडीओ तथा व्यक्तिगत अभिदाताओं का 01 जून 2008 तक नई सीआरए प्रणाली में पंजीकृत किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण था ताकि निवेश के उद्देश्यों हेतु व्यक्तिगत, अभिदाता-वार अंशदान को स्वीकार किया जा सके। एनएसडीएल ने जून 2008[26] से सीआरए के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया।

पीएफआरडीए ने यह भी सूचित किया कि इस प्रक्रिया में हुई किसी भी प्रकार की देरी का एनपीएस अभिदाताओं की पेंशन बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ उनके आकलन के अनुसार यह भी कहा गया कि निधि अंतरण में एक दिन की देरी एक कर्मचारी के अन्तिम पेंशन धन को ₹40,000 तक कम कर देगी।

- केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के 62 डीडीओ की नमूना जाँच में यह पता लगा कि 1 जून 2008 (अर्थात् वह तिथि जब एनएसडीएल ने कामकाज करना शुरू किया अथवा वह तिथि जब डीडीओ ने कामकाज करना शुरू किया, दोनों में से जो भी बाद में हो) से सभी डीडीओ में एनपीएस के अन्तर्गत पंजीकरण में (**अनुलग्नक IV**) 37 से 884 दिनों का विलम्ब हुआ था।

  डीएफएस ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2019) कि सीजीए के अनुसार सभी पीएओ/डीडीओ जिन्होंने एनएसडीएल को लीगेसी आँकड़े भेजे थे, को एनएसडीएल के साथ पंजीकृत किया जाना था। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि डीएफएस/सीजीए द्वारा देरी के कारणों (**अनुलग्नक IV** में दर्शाये गये प्रकरणों के सम्बंध में) को और सीजीए के दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी हेतु अपनाई गई प्रक्रिया को प्रस्तुत नहीं किया गया।

---

[26] पीएफआरडीए द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार अप्रैल 2008 और अक्तूबर 2018 के बीच 15660 डीडीओ, 2932 पीएओ और 131 प्रधान एओ एनपीएस के तहत पंजीकृत हुए। 15660 में से 9643 डीडीओ, 2932 में से 1849 पीएओ और 131 प्रधान एओ में से 119, 2008-09 में ही पंजीकृत हो गये थे।

01 जून 2008 के पश्चात एक नोडल कार्यालय का एनपीएस के अन्तर्गत पंजीकरण करने हेतु समय अवधि के विषय में, डीएफएस द्वारा का.ज्ञा. दिनांक 02 सितम्बर 2008 को संदर्भ में लाया गया जो यह उल्लेख करता है कि पंजीकरण तत्काल प्रकृति का था, अतः दिनों में समय अवधि तय करने के स्थान पर का.ज्ञा. में तत्काल कार्रवाई निर्धारित की गई थी क्योंकि यहाँ देरी की गुंजाईश नहीं थी।

तथापि, उपरोक्त का.ज्ञा. के जारी होने के बावजूद भी नोडल कार्यालयों के पंजीकरण में हुई देरी को देखते हुए लेखापरीक्षा का यह मानना है कि निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं किया गया और यह निर्देशों के अनुपालन की निगरानी हेतु प्रभावी तंत्र के अभाव को भी उजागर करता है।

- एनपीएस के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हुए, पात्र नोडल कार्यालयों की संख्या के संबंध में पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (मार्च और दिसम्बर 2019) कि डीओई द्वारा जारी किये गये का.ज्ञा. ने (जुलाई 2011) मंत्रालयों में एनपीएस के कार्यान्वयन की अन्तिम जिम्मेवारी वहाँ के वित्तीय सलाहकारों की तय की और संबंधित लेखा गठन यह जानकारी देने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे कि क्या वहाँ ऐसे पात्र नोडल कार्यालय थे जो कि एनपीएस के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं किये गये।

4.1.1.2 केन्द्रीय स्वायत्त निकाय (सीएबी)

डीओई के का.ज्ञा. दिनांक 13 नवम्बर 2003 के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले किसी भी स्वायत्त निकाय में 1 जनवरी 2004 या उसके बाद शामिल होने वाले नये कर्मचारी भी एनपीएस द्वारा शासित होंगे। 30 मई 2008 को हुई बैठक के कार्यवृत्त भी यह इंगित करते हैं कि डीओई यह सुनिश्चित करेगी कि सभी स्वायत्त निकायों द्वारा एनपीएस को अंगीकृत एवं लागू किया गया है। तथापि, इसके पश्चात् के का.ज्ञा. (नवम्बर 2008) में डीओई ने सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्वायत्त निकायों को यह सलाह देने कि लिए कहा कि एनपीएस की संरचना में स्थानान्तरण हेतु वे पीएफआरडीए से संपर्क करें तथा यह भी कहा गया कि सभी स्वायत्त निकायों द्वारा यह कार्य 31 जनवरी 2009 तक पूरा किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनपीएस संरचना में सभी सीएबी के स्थानान्तरण हेतु निर्धारित तिथि 31 जनवरी 2009 के विपरीत, पीएफआरडीए पहली सीएबी थी जिसे फरवरी 2009 में एनपीएस के अन्तर्गत लाया गया। पीएफआरडीए द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार अप्रैल 2008 से अक्तूबर 2018 के बीच 3,999 डीडीओ, 1,874 पीएओ और 573 प्रधान एओ, एनपीएस में पंजीकृत किए गये।

3,999 डीडीओ में से शून्य, 1,874 पीएओ में एक और 573 प्रधान एओ में से एक 2008-09 में ही पंजीकृत हुए।

जून 2013 में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पीएफआरडीए को सीएबी की सूची प्रदान करने के लिये सचिव (व्यय) से अनुरोध किया जाएगा (क्योंकि अनुदान बजट दस्तावेजों में दर्ज थे) जिससे कि वह सभी सीएबी को तुरन्त एनपीएस प्रणाली के अन्तर्गत लाने में सक्षम हो सके। हालाँकि, यह सूची पीएफआरडीए को प्रदान नहीं की गई। डीओई ने सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया (दिसम्बर 2015) कि समय-समय पर पीएफआरडीए द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बावजूद, बड़ी संख्या में सीएबी, एनपीएस के अन्तर्गत शामिल नहीं हुई हैं और केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग इस मामले की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि वे उनके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी स्वायत्त निकायों को एनपीएस में शामिल करने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सभी सीएबी के पंजीकरण को सुनिश्चित करने हेतु डीओई, पीएफआरडीए एवं संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मध्य एक समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक था। इसके विपरीत सीएबी के पंजीकरण की जिम्मेवारी डीओई (मई 2008), पीएफआरडीए (जून 2013) और संबंधित मंत्रालयों/विभागों (दिसम्बर 2015) के मध्य स्थानांतरित होती रही है।

पीएफआरडीए को उन सीएबी की संपूर्ण सूची की जानकारी नहीं थी जो कि एनपीएस के दायरे से बाहर थीं और यह उत्तर दिया (मार्च 2019) कि सीएबी की वास्तविक स्थिति की पुष्टि संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जा सकती है।

डीओई के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत केवल एक स्वायत्त निकाय (राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान)[27] है, जो एनपीएस के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं किया गया था (फरवरी 2019)।

सीएबी के 12 डीडीओ की नमूना जाँच में यह पाया गया कि 1 जून 2008 से (वह तिथि जब एनएसडीएल ने कामकाज शुरु किया अथवा उस तिथि से जब डीडीओ ने कार्य करना प्रारम्भ किया, दोनों में से जो भी बाद में हो) एनपीएस के तहत पंजीकरण में 121 से 1003 दिनों का विलम्ब **(अनुलग्नक V)** हुआ था।

4.1.1.3 राज्य सरकारें और राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबी)

i. राज्यों में पंजीकृत डीडीओ की कुल संख्या 2,20,217 (30 अप्रैल 2018 को) थी। राज्य सरकारों में नोडल कार्यालयों के पंजीकरण की स्थिति

27 नाम बदल कर अरूण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान रखा गया (फरवरी 2020)

(पंजीकृत होने वाले कुल पात्र कार्यालयों और शेष अपंजीकृत के संदर्भ में) पर स्पष्टीकरण मांगने से संबंधित लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (मार्च 2019) कि राज्य सरकारों द्वारा अपने निर्णय के आधार पर एनपीएस को अलग-अलग तारीखों पर अधिसूचित और अंगीकृत किया गया था। पीएफआरडीए ने यह भी उत्तर दिया कि अधिसूचनाओं को संबंधित नोडल कार्यालयों और/अथवा वित्त विभाग को भेज दिया गया था और नोडल कार्यालयों के एनपीएस में पंजीकरण को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की थी।

आगे, एनपीएस के अन्तर्गत एसएबी के नामांकन की स्थिति (पंजीकृत होने वाले कुल पात्र कार्यालयों और शेष अपंजीकृत के संबंध में) के बारे में स्पष्टीकरण मांगने से संबंधित लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में डीएफएस ने कहा (मार्च एवं दिसम्बर 2019) कि एनपीएस के अंतर्गत आने वाली पात्र एसएबी की संख्या का मूल्यांकन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी तथा संबंधित राज्य सरकार इसकी पुष्टि करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगी।

ii. चयनित राज्य सरकारों एवं यूटी (उनके एसएबी सहित) में सभी नोडल कार्यालयों की 100 प्रतिशत समाविष्टि के आश्वासन के संबंध में लेखापरीक्षा जाँच में निम्नलिखित पाया गयाः

- आँध्र प्रदेश में फरवरी 2019 तक 22,073 डीडीओ में से 244 अपंजीकृत थे।
- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और झारखण्ड में सभी नोडल कार्यालय एनपीएस के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं थे।
- राजस्थान में, राज्य बीमा एवं भविष्य निधि (एसआईपीएफ) विभाग, जयपुर जो कि एक नोडल कार्यालय के तौर पर कार्य करता है, के अनुसार 27,538 डीडीओ, एनपीएस के अंतर्गत पंजीकृत किये गये थे। हालाँकि, लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार राज्य में डीडीओ की संख्या 35,595 है।
- कर्नाटक में, डीडीओ के द्वारा वेतन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें नियंत्रण लगाया गया है कि 1 अप्रैल 2006 को या उसके बाद सेवा में आये कर्मचारियों के वेतन बिलों में अगर एनपीएस की कटौती नहीं हुई है

तो वेतन बिलों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रणाली ने राज्य में सभी पात्र डीडीओ के पंजीकरण को सुनिश्चित किया। हालाँकि, राज्य में एसएबी का कोई केन्द्रीकृत डाटाबेस नहीं है।

- शेष चयनित राज्यों/यूटी[28] में भी लेखापरीक्षा नोडल कार्यालयों की संपूर्ण समाविष्टि के विषय में आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी।

iii. राज्य सरकार और एसएबी के 168 चयनित डीडीओ की लेखापरीक्षा जाँच ने दर्शाया कि एनएसडीएल के साथ अनुबंध की तिथि अथवा अनुबंध की तिथि के बाद डीडीओ के कार्य शुरू करने की तिथि (जो भी बाद में हो) को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार के डीडीओ के पंजीकरण में 62 दिनों से 1,687 दिनों का समय लगा (**अनुलग्नक VI**), और एसएबी के डीडीओ के पंजीकरण में 552 दिनों से 3,385 दिनों का समय लगा (**अनुलग्नक VII**).

विवरण नीचे तालिका में दिया गया हैः-

तालिकाः 4.1

राज्य	राज्य सरकार के चयनित डीडीओ की संख्या	एसएबी के चयनित डीडीओ की संख्या	राज्य सरकार के एनएसडीएल के साथ अनुबंध की तिथि	राज्य सरकार के डीडीओ के पंजीकरण में लगा समय (दिनों में)	एसएबी डीडीओ के पंजीकरण में लगा समय (दिनों में)
आँध्र प्रदेश	20	05	21.11.2008	228-1215	1630-3385
हिमाचल प्रदेश	20	05	24.12.2009	110-131	832-1693
झारखण्ड	20	02	25.10.2008	162	830-3341
कर्नाटक	20	05	20.01.2010	62-182	1997-2599
महाराष्ट्र	20	01	10.10.2014	97-601	1006*
राजस्थान	20	05	09.11.2010	192-1687	552-2512
उत्तराखण्ड	20	05	11.09.2009	75	1027-2594
कुल	**140**	**28**	**-**	**-**	**-**

*महाराष्ट्र सरकार ने जिला परिषद के पंजीकरण की तिथि को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दिया था। जिला परिषद, नान्देड़ का पंजीकरण 8 दिसम्बर 2017 को हुआ, अतः पंजीकरण में कोई देरी नहीं हुई।

एनएसडीएल-सीआरए ने पीएफआरडीए को सूचना दी (अक्तूबर 2014) कि निर्धारित प्रारूप में पंजीकरण सभी संबंधित दस्तावेज सीआरए के पास प्राप्त होते

[28] अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और महाराष्ट्र

ही एसएबी का पंजीकरण शुरू कर दिया गया। एसएबी का पंजीकरण आवश्यक दस्तावेजों के अपूर्ण होने तथा/अथवा न भेजे जाने, पंजीकरण हेतु दस्तावेज प्राप्त न होने आदि के कारण लम्बित था।

इस प्रकार इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि सभी नोडल कार्यालय (केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सीएबी और एसएबी के अधीन) एनपीएस के तहत पंजीकृत हो चुके थे।

अनुशंसाः सभी नोडल कार्यालयों का एनपीएस के तहत पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु एक सुस्पष्ट प्रणाली को स्थापित करने की आवश्यकता है।

4.1.2 गैर प्रेषण/ विलम्बित प्रेषण के लिये क्षतिपूर्ति

पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की धारा 2(जी) के अनुसार "मध्यस्थ" में पेंशन निधि, सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, एनपीएस न्यास, पेंशन निधि सलाहकार, सेवानिवृत्ति सलाहकार, उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) और ऐसे व्यक्ति और संस्था शामिल होंगे जो संग्रहण, प्रबंधन, रिकार्ड कीपिंग और संचय के वितरण से सम्बंधित होंगे। आगे, पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 का प्रावधान 41[29] प्रावधान करता है कि यदि पीओपी द्वारा सेवा स्तर मानकों या प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किसी दिशानिर्देश का पालन करने में हुई विफलता के कारण अभिदाताओं को नुकसान या असुविधा होती है तो अभिदाता को प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों या सेवा स्तर मानकों में दी गई क्षतिपूर्ति सीमा के अनुसार क्षतिपूर्ति मिलेगी।

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14ख के अनुसार, यदि कोई नियोक्ता अंशदान को निधि में जमा नहीं कराता है अथवा जमा निधि का स्थानान्तरण नहीं करता है जो कि उसे करना चाहिये था, तो आयुक्त अथवा ऐसा अन्य अधिकारी नियोक्ता से दंड के रूप में क्षतिपूर्ति, जो कि बकाया धनराशि से अधिक न हो, की वसूली कर सकता है जो कि योजना में वर्णित है।

4.1.2.1 पीएफआरडीए ने डीएफएस को सूचित किया (जून 2016) कि सरकारी नोडल कार्यालय मध्यस्थ के रूप में एनपीएस संरचना के तहत पंजीकृत नहीं हुए थे। सरकारी नोडल कार्यालयों की वर्तमान प्रस्थिति को स्पष्ट करते हुऐ पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (नवम्बर 2018) कि ऐसे कोई विशिष्ट विनियम

---

[29] पूर्व में, पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम 2015 का प्रावधान 40 निर्धारित समय अवधि में अंशदान अपलोड न करने की स्थिति में, विलंब के समय या उल्लंघन हेतु अंशदाता को बैंक दर से 2 प्रतिशत अधिक की क्षतिपूर्ति देता था।

नहीं थे जो पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 27[30] के तहत नोडल कार्यालयों के पंजीकरण से संबंधित थे। हालाँकि, वर्तमान में ये कार्यालय सरकारों द्वारा जारी किये गये विभिन्न का.ज्ञा. के द्वारा विनियमित थे।

पीएफआरडीए के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है कि पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की धारा 2(टी) अभिदाता का वर्णन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में करती है जो पेंशन निधि योजना की सदस्यता लेता है और एनपीएस के सरकारी अभिदाताओं और निजी अभिदाताओं में कोई अन्तर नहीं करती है।

4.1.2.2 लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएफआरडीए में पंजीकृत उपस्थिति बिन्दुओं (गैर सरकारी) के अन्तर्गत एनपीएस अभिदाताओं के हित सरकारी नोडल कार्यालयों के अन्तर्गत अभिदाताओं की तुलना में प्रेषण न करने/विलम्ब से प्रेषित करने के लिये क्षतिपूर्ति के माध्यम से सुरक्षित थे क्योंकि सरकारी नोडल कार्यालयों के अभिदाताओं को इस प्रकार की सुरक्षा नहीं थी जो कि एनपीएस के अभिदाताओं में समानता की कमी को इंगित करती है। इसके अतिरिक्त, नोडल कार्यालयों (केंद्रीय सरकार) पर लागू किसी भी का.ज्ञा. में अंशदानों को प्रेषित न किये जाने/विलम्ब से प्रेषित किये जाने की स्थिति में एनपीएस अभिदाता को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं था। पीएफआरडीए अधिनियम में किसी मध्यस्थ अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इसके प्रावधानों, नियमों, विनियमों और निर्देशों का अनुपालन करने में विफल होने पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान था। हालाँकि, चूंकि सरकारी नोडल कार्यालय मध्यस्थों के रूप में पंजीकृत नहीं थे, अत: अनुपालन न करने के लिये पीएफआरडीए द्वारा जुर्माना लगाना तथा विलम्ब के कारण नुकसान की वसूली करना सम्भव नहीं था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जीओआई ने संबंधित कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के लिये नियम निर्मित नहीं किये हैं जिससे अभिदाताओं का अंशदान प्रेषित नहीं हो रहा/विलम्ब से हो रहा। इसके अतिरिक्त जीओआई द्वारा यह निर्णय लेने के लिये नियम नहीं बनाये गये हैं कि क्षतिपूर्ति किस स्त्रोत से प्रदान की जायेगी। आगे, 2004-12 के दौरान अंशदान न जमा होने/विलम्ब से जमा होने के मामले पर विचार करते हुए जीओआई ने अधिसूचित (31 जनवरी 2019) किया कि 2004-12 के दौरान जमा नहीं किये गये अंशदान अथवा विलम्ब से जमा किये गये अंशदानों के लिये सरकारी अभिदाताओं को जीपीएफ दरों पर क्षतिपूर्ति दी

---

[30] धारा 27 निर्दिष्ट करती है कि कोई मध्यस्थ जिसमें पेंशन निधि या पीओपी शामिल है, उस सीमा तक जहाँ तक इस अधिनियम में विनियमित है, इस अधिनियम तथा विनियम के द्वारा प्रदत अधिकारों के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने की शर्तों के तहत और अनुसार, के अन्यथा पेंशन निधि से सम्बंधित कोई कार्य प्रारम्भ नहीं करेगा।

जाएगी। इस प्रकार के विनियमों का निर्माण सरकारी नोडल कार्यालयों में बेहतर अनुशासन सुनिश्चित करेगा तथा अंशदानों का समय से प्रेषण करने की दिशा में दोषी कार्यालयों के लिये एक निवारक के रुप में कार्य करेगा।

निर्णय को कार्यान्वित करने (31 जनवरी 2019) हेतु सीजीए ने दिशानिर्देश जारी किये (07 जनवरी 2020) जिसमें ये प्रावधान किया गया कि ब्याज की गणना कर्मचारी के वर्तमान डीडीओ द्वारा सीआरए (एनएसडीएल) के द्वारा प्रदान किये गये आँकड़ों जिसकी पुष्टि कर्मचारी के सेवा अभिलेखों से की जाएगी, के आधार पर की जायेगी। आँकड़ों/अभिलेखों की सत्यता की पुष्टि संबंधित कर्मचारी से भी की जा सकती है।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि न तो जीओआई की अधिसूचना और न ही सीजीए के द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश 2012-13 के बाद से अंशदानों को जमा न करना व देरी से जमा करने को समाविष्ट करते है।

डीएफएस ने उत्तर दिया कि (दिसम्बर 2019) 2012 के बाद हुए विलम्ब पर, सचिवों की समिति द्वारा, एनपीएस को सुव्यवस्थित करने हेतु सुझाये गये उपाय कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त, एनपीएस ट्रस्ट को पीएफआरडीए से अलग करने की 2019 की बजट घोषणा के अनुपालन में, सरकारी विभागों में देरी के लिए क्षतिपूर्ति और दंड प्रावधानों को शामिल करने सहित पीएफआरडीए अधिनियम में आवश्यक संशोधन करना विचाराधीन था। डीओपीपीडब्ल्यू ने भी सीसीएस (एनपीएस) नियमों के मसौदे में दण्ड के प्रावधानों को शामिल किया है।

4.1.3 पात्र कर्मचारियों का पंजीकरण एवं समावेशन

4.1.3.1 जीओआई के मंत्रालय/विभाग और सीएबी

दिसम्बर 2012 में एक बैठक के दौरान, पीएफआरडीए ने अवलोकन किया कि समावेशन अन्तर पाँच प्रतिशत से दस प्रतिशत के बीच हो सकता है और केन्द्रीय सरकार और स्वायत्त निकायों के लगभग एक लाख संभावित अभिदाताओं को सम्मिलित नहीं किया गया। तदनुसार, पीएफआरडीए को केन्द्रीय सरकार के सभी शेष कर्मचारियों का एनपीएस के तहत नामांकन करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करने की सलाह दी गई। तत्पश्चात, जून 2013 में हुई एक अन्य बैठक में पीएफआरडीए ने स्पष्ट किया कि 11.65 लाख अभिदाताओं का योजना में नामांकन किया गया (जून 2013 तक), परन्तु भर्ती के आँकड़े न होने के कारण यह निर्धारित करना सम्भव नहीं था कि क्या 100 प्रतिशत समावेशन कर लिया गया है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बजट दस्तावेजों के आधार पर

सरकारी कर्मचारियों में होने वाली वृद्धि को मापदंड के रूप में लिया जा सकता है और पीएफआरडीए को 1 जनवरी 2004 से रोलिंग आधार पर किसी विशिष्ट तिथि जो कि पिछले वर्ष का मार्च हो सकती है, तक सभी कर्मचारियों का शत प्रतिशत नामांकन पूर्ण करना चाहिए।

दिनांक 1 फरवरी 2014 की अधिसूचना के अनुसार पीएफआरडीए को सारे देश में एनपीएस को कार्यान्वित करने और सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों जिन्होंने 01 जनवरी 2004 को अथवा उसके बाद सेवा में प्रवेश किया था, के नामांकन की निगरानी और देखरेख करने का अधिदेश दिया गया। हालाँकि, इसने कहा गया कि (जनवरी 2015) यह निश्चित नहीं था कि योजना के तहत कर्मचारियों के नामांकन, अंशदान और प्रणाली में उनके प्रेषण के संबंध में कर्मचारियों का शत प्रतिशत समावेशन प्राप्त कर लिया गया है, इसलिए इसने शत प्रतिशत समावेशन को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने हेतु डीओई से आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया। पीएफआरडीए ने कहा (जनवरी 2015) कि सम्पूर्ण केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में योजना के समावेशन के संबंध में किसी औचित्यपूर्ण मूल्यांकन पर पहुँचने के लिए उन्हें केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में भर्ती के आँकड़े अथवा 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों की वास्तविक संख्या की आवश्यकता है। पीएफआरडीए ने पहले भी (जून 2013 और अगस्त 2013) डीओई के समक्ष यही आग्रह किया था।

कर्मचारियों के शत प्रतिशत समावेशन पर स्पष्टीकरण देते हुए पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (नवम्बर 2018) कि उनके पास 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में भर्ती हुए कुल कर्मचारियों के आँकड़े उपलब्ध नहीं थे और वे यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि क्या योजना के तहत कर्मचारियों का 100 प्रतिशत समावेशन हो गया था। पीएफआरडीए ने यह भी उत्तर दिया कि उनके पास यह जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं था कि क्या एनपीएस के तहत कर्मचारियों के नामांकन, अंशदान और प्रणाली में इनके प्रेषण के संबंध में 100 प्रतिशत कर्मचारियों का समावेशन था।

डीएफएस ने उत्तर दिया (मई और दिसम्बर 2019) कि पीएफआरडीए के पास एनपीएस के तहत प्रणाली में कर्मचारियों और नोडल कार्यालयों के 100 प्रतिशत समावेशन की जाँच करने हेतु कोई तंत्र नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि केवल संबंधित नोडल कार्यालय ही इसकी पुष्टि करने की स्थिति में थे क्योंकि पीएफआरडीए/एनएसडीएल-सीआरए के पास प्रैन बनाने के लिए आवेदन प्राप्त होने से पहले सरकारी सेवा में शामिल हुए नये कर्मचारियों के बारे में कोई आँकड़ा नहीं था।

केन्द्रीय सरकार के 13 मंत्रालयों/विभागों[31] में से आठ में, एनपीएस के तहत पात्र कर्मचारियों के 100 प्रतिशत समावेशन का आश्वासन देने हेतु और एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के परिप्रेक्ष्य में पात्र कर्मचारियों का आँकड़ा नहीं तैयार किया गया जैसा कि तालिका 4.2 में दर्शाया गया हैः

तालिकाः 4.2

चयनित मंत्रालयों की कुल संख्या ***(चयनित मंत्रालयों/विभागों में चयनित डीडीओ की कुल संख्या)***	एनपीएस के तहत पात्र कर्मचारियों के 100 प्रतिशत समावेशन का आश्वासन न देने वाले मंत्रालयों की कुल संख्या ***(उपरोक्त मंत्रालयों के अन्तर्गत आने वाले चयनित डीडीओ की संख्या)***	एनपीएस के तहत सभी पात्र कर्मचारियों के 100 प्रतिशत समावेशन का आश्वासन देने वाले मंत्रालयों की संख्या ***(उपरोक्त मंत्रालयों के अन्तर्गत आने वाले डीडीओ की संख्या)***
13***(62)***	08[32]***(35)***	05[33]***(27)***

हालाँकि, 11 चयनित सीएबी के 12 डीडीओ में, डीडीओ के अन्तर्गत कार्य करने वाले सभी पात्र कर्मचारी एनपीएस में पंजीकृत थे।

4.1.3.2 राज्य सरकारें और एसएबी

पीएफआरडीए ने राज्य सरकारों[34] से एनपीएस के अन्तर्गत पात्र कर्मचारियों के 100 प्रतिशत समावेशन को सुनिश्चित करने हेतु एनपीएस के लिए पात्र कर्मचारियों की सटीक संख्या के साथ पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या प्रस्तुत करने का आग्रह किया (17 नवम्बर 2015)। हालाँकि, पीएफआरडीए के पास ये सूचना उपलब्ध नहीं थी।

चयनित राज्यों और यूटी में 183 डीडीओ की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि छः[35] राज्यों और एक[36] यूटी में 75 डीडीओ के पास पात्र कर्मचारियों को प्रैन जारी नहीं होने के मामले थे।

---

31 16 मंत्रालयों के नमूनों में से 3 मंत्रालय नामतः कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय में केवल एबी के डीडीओ सम्मिलित हैं।

32 डीईए, डीएफएस, राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, खान मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

33 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जल संसाधन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग

34 असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, केरल, बिहार, महाराष्ट्र आदि

35 महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, झारखण्ड

36 दिल्ली की एनसीटी

डीडीओ ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करने, अभिदाताओं द्वारा सीएसआरएफ (सामान्य अभिदाता पंजीकरण प्रपत्र) विलम्ब से प्रस्तुत करने, सीएसआरएफ में डीटीओ/एनएसडीएल द्वारा निकाली गई कमियों आदि के कारण प्रैन आबंटन हेतु समय पर डीटीओ को आवेदन पत्र संसाधित और अग्रेषित नहीं किये जा सके। हालाँकि, उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि डीडीओ को कर्मचारियों द्वारा उनकी भर्ती के तुरन्त बाद सही ब्यौरे के साथ आवेदन-पत्र भेजना सुनिश्चित करना था। इसके अतिरिक्त, प्रैन जारी न होने के कारण ये कर्मचारी एनपीएस के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हुए जिसके परिणामस्वरूप वे इस योजना के तहत किसी लाभ के लिये पात्र नहीं होंगे।

आगे, लेखापरीक्षा ने चयनित राज्यों में सभी पात्र कर्मचारियों के समावेशन के संबंध में प्रकरणों (नीचे दर्शाये गये) को देखा जो कि एनपीएस के अन्तर्गत समावेशन हेतु पात्र कर्मचारियों की सूचना/आँकड़ों की पूर्णता के विषय में अनिश्चितता को उजागर करते हैं। इस अनिश्चितता के कारण पीएफआरडीए में समाविष्टि अन्तर (अर्थात पात्र कर्मचारियों की संख्या तथा पंजीकृत संख्या) अचिन्हित रहा।

- कर्नाटक में एसएबी के अलावा कर्मचारियों का 100 प्रतिशत समावेशन था। डीडीओ द्वारा आवश्यक रूप से वेतन बिलों को एचआरएमएस द्वारा तैयार किया जाता है जिसमें नियंत्रण लगाया है कि अगर एनपीएस की कटौती नहीं हुई है तो 1 अप्रैल 2006 या उसके बाद सेवा में आये कर्मचारियों के वेतन बिलों को स्वीकार नहीं किया जाता है।

- आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहः सभी कर्मचारियों के 100 प्रतिशत समावेशन की पुष्टि करने हेतु कोई तन्त्र नहीं था।

- महाराष्ट्रः 2,77,216 में से 21,206 कर्मचारियों का पंजीकरण नहीं हुआ (31 मार्च 2018 तक)। कुछ एसएबी[37] के कर्मचारी एनपीएस के अन्तर्गत शामिल नहीं थे।

- उत्तराखण्डः 84,159 कर्मचारियों में से 8,253 कर्मचारी एनपीएस से बाहर थे (30 नवम्बर 2018 तक)

[37] मान्यता एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, कृषि/गैर-कृषि विश्वविद्यालय और सम्बद्ध गैर-सरकारी महाविद्यालय, जल संसाधन विभाग के तहत आने वाले निगम और जिला परिषद (जैडपी) के तहत आने वाले अध्यापक।

- हिमाचल प्रदेशः 908 कर्मचारी एनपीएस से बाहर थे (13 फरवरी 2019 तक) और
- झारखंडः दिसम्बर 2018 तक 62 कर्मचारी एनपीएस से बाहर थे।

पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (मार्च और दिसम्बर 2019) कि एनपीएस के तहत सम्मिलित होने वाले पात्र कर्मचारियों की संख्या का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी संबंधित नोडल कार्यालय की थी। यह भी दोहराया कि इसके पास एनपीएस के तहत कर्मचारियों के 100 प्रतिशत समावेशन की जाँच करने हेतु कोई तंत्र नहीं था।

इस प्रकार योजना के सूत्रीकरण के दौरान पात्र कर्मचारियों की 100 प्रतिशत समाविष्टि को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक नियंत्रकों को ध्यान में नहीं रखा गया। इसके अतिरिक्त, एनपीएस के कार्यान्वयन के 15 वर्षों के बावजूद पात्र कर्मचारियों के 100 प्रतिशत समावेशन पर अब भी आश्वासन का अभाव है।

अनुशंसाः सभी एनपीएस पात्र कर्मचारियों के पंजीकरण को सुनिश्चित करने हेतु एक सुस्पष्ट प्रणाली को स्थापित करने की आवश्यकता है। आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र को यह देखना चाहिये कि प्रत्येक कर्मचारी प्रणाली में सम्मिलित हो। इसे सुनिश्चित करने के लिये विलम्ब होने पर दंड देने तथा अभिदाता को नुकसान से बचाने हेतु क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता है।

4.1.4 अभिदाताओं का अपूर्ण पंजीकरण

डीओई के पीएफआरडीए/एनएसडीएल और विभिन्न लेखा संगठनों को भेजे गये दिनांक 29 अप्रैल 2009 के पत्र के अनुसार उन सभी अभिदाताओं को पंजीकरण के लिए आवेदन भरना था जो कि लीगेसी आँकड़ों के द्वारा पंजीकृत हुए थे और इसे संबंधित पीएओ द्वारा एनएसडीएल को भेजना था तथा इस प्रक्रिया को 31 जुलाई 2009 तक पूर्ण करना था। इसके अतिरिक्त, डीओई ने दोहराया कि सभी नवनियुक्त जो 1 अप्रैल 2009 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए थे, को एनएसडीएल द्वारा निर्धारित किये गये प्रपत्र के द्वारा सीधे एनएसडीएल के साथ पंजीकृत किया जा सकता है और इसके बाद उनका एससीएफ अपलोड शुरू किया जा सकता है।

डीओई ने पाया (17 अगस्त 2009) कि 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए नव-नियुक्तों के कई मामलों के संबंध में, एनपीएस में पंजीकरण हेतु व्यक्तिगत आवेदन प्रपत्र भरकर एनएसडीएल को नहीं भेजे गये। इसने तदनुसार सलाह दी कि ऐसे सभी कर्मचारी प्रपत्र को भरें जिसे डीडीओ/पीएओ द्वारा तुरन्त (31 अगस्त 2009 तक) एनएसडीएल को अग्रेषित किया जाये।

इस संबंध में, पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (नवम्बर 2018) कि गैर-आई.आर.ए.[38] अभिदाताओं जो कि न्यूनतम आँकड़ों (लीगेसी आँकड़ों/शून्य अंशदान) के द्वारा पंजीकृत हुए थे, के संबंध में भौतिक प्रैन आवेदन भेजने की प्रक्रिया अभी भी जारी थी, क्योंकि अभी भी कुछ केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों से कुछ प्रैनों के भौतिक प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए थे। पीएफआरडीए ने अपने उत्तर में यह भी कहा कि केन्द्रीय सरकार में 4,383 प्रैन (पीएफआरडीए की सलाह पर 31 अक्तूबर 2018 को असक्रिय किये गये 33,948 गैर-आईआरए प्रैनों के अलावा) अभी भी गैर-आईआरए थे। आगे, निष्क्रिय किये गये गैर-आईआरए प्रैनों को भौतिक सीएसआरएफ प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही पुनः सक्रिय किया जाएगा।

इस प्रकार भौतिक प्रपत्र प्रस्तुत न करने के कारण उन अभिदाताओं का पंजीकरण अभी भी पूरा नहीं हुआ है जो लीगेसी आँकड़ों के आधार पर सीआरए प्रणाली में शामिल हुए थे। परिणामस्वरूप अन्तिम लाभ की प्रक्रिया में देरी हो सकती है।

डीएफएस ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2019) कि सीजीए ने सुझाया कि पीएफआरडीए, एनपीएस अभिदाताओं के पंजीकरण के मुद्दे को इस उद्देश्य हेतु बनी वित्तीय सलाहकारों की समिति के समक्ष उठा सकता है और डीडीओ/कार्यालय प्रधान से भी आँकड़ों को साझा करे क्योंकि सेवा पंजिका में दस्तावेज अद्यतन किये जाते हैं।

4.2 स्थायी पेंशन खाता संख्या जारी करने में देरी

स्थायी पेंशन खाता संख्या (पीपीएएन) 16 अंकों की एक विशिष्ट स्थाई पेंशन खाता संख्या है जो नियमित सीआरए का कामकाज शुरू होने और एनएसडीएल-सीआरए द्वारा प्रैन जारी करने तक जीओआई के मंत्रालयों/विभागों में पीएओ द्वारा जारी किया जाता है। सात चयनित राज्य सरकारों के नमूने में से पाँच[39] में महाराष्ट्र, जहाँ पीपीएएन राज्य सरकार के नोडल कार्यालय द्वारा अभी भी जारी किया जाता है जो कि प्रैन जारी किये जाने से अलग है, के मामले को छोड़कर इसी प्रकार जारी किया जा रहा था।

4.2.1 केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग और सीएबी

सीजीए द्वारा जारी किये गये का.ज्ञा. (जनवरी 2004) को फरवरी 2004 के का.ज्ञा. के साथ पढ़े जाने पर, के अनुसार नव-नियुक्त सरकारी कर्मचारी से पूर्ण

---

[38] वे अभिदाता गैर-आईआरए (व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाता) अनुपालक अभिदाता हैं जिनका सीआरए प्रणाली में पूर्ण केवाईसी विवरण (पता, फोटो, हस्ताक्षर, नामांकित व्यक्ति विवरण आदि) उपलब्ध नहीं हैं।

[39] आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र

जानकारी प्राप्त करने तथा जिस महीने कर्मचारी सरकारी सेवा में शामिल हुआ है उसके अगले महीने की सात तारीख तक पीएओ को भेजने की जिम्मेदारी संबंधित डीडीओ की थी और पीएओ द्वारा उसी महीने की 10 तारीख तक कर्मचारी को पीपीएएन जारी करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया किः

- केन्द्रीय सरकार के 15 चयनित प्रधान एओ में से चार में, 62 चयनित डीडीओ में से नौ में, 79 चयनित अभिदाताओं (जिन्हें पीपीएएन जारी किया जा सकता था) में से 13 अभिदाताओं में पीपीएएन जारी करने में एक से 2009 दिनों का विलम्ब हुआ, जैसा कि **अनुलग्नक VIII(क)** में वर्णित है।
- केन्द्रीय सरकार के 11 चयनित स्वायत्त निकायों में से दो में, 12 चयनित डीडीओ में से दो में, 18 चयनित अभिदाताओं में से चार अभिदाताओं को पीपीएएन जारी करने में 44-375 दिनों का विलम्ब हुआ, जैसा कि **अनुलग्नक VIII(क)** में वर्णित है। विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

तालिकाः 4.3

केन्द्रीय सरकार/सीएबी	कुल चयनित डीडीओ	चयनित डीडीओ जहाँ विलम्ब पाया गया	चयनित डीडीओ में कुल अभिदाता	अभिदाताओं की वह संख्या जहाँ विलम्ब पाया गया	दिनों में औसत देरी
केन्द्रीय सरकार	62	09	79	13	373.77@
सीएबी	12	02	18	04	183.75

@ ज्यादातर मामलों में 01 से 200 दिनों के बीच की देरी थी, केवल 2 मामलों में 1900 से 2009 दिनों की देरी थी।

4.2.2 राज्य सरकारें और एसएबी

जैसा कि पैरा 3.10 में चर्चा की गई है, नई प्रणाली में शामिल होने का विकल्प राज्य सरकारों के लिए भी उपलब्ध था, जब भी वे निर्णय लेते, नई प्रणाली नये भागीदारों को समायोजित करने में सक्षम होगी। सात चयनित राज्य सरकारों ने एनपीएस अपनाने हेतु जनवरी 2004 और अगस्त 2006 के बीच अधिसूचना जारी कर दी थी।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया किः

- नौ राज्यों/यूटी में से तीन में, 250 कर्मचारियों (राज्य सरकार/यूटी के 150 चयनित डीडीओ में 40 डीडीओ जिनके कर्मचारी के पास पीपीएएन थे) में से 71 कर्मचारियों (23 डीडीओ में) को पीपीएएन जारी करने में विलम्ब पाया गया। 18 से 2,038 दिनों का विलम्ब था जैसा कि **अनुलग्नक VIII(ख)** में वर्णित है।
- आठ[40] राज्यों/यूटी में से एक में, 15 कर्मचारियों (कुल चयनित 33 डीडीओ में से एक डीडीओ में, जिसके कर्मचारियों के पास पीपीएएन था) में से 13 कर्मचारियों (एक एसएवी के डीडीओ में) के पीपीएएन जारी करने में विलम्ब पाया गया। 453 से 2,607 दिनों का विलम्ब हुआ, जैसा कि **अनुलग्नक VIII(ख)** में वर्णित है।

तालिका 4.4

राज्य सरकार/ एसएबी (राज्य/ यूटी में)	कुल चयनित डीडीओ	उन डीडीओ की संख्या जिनके पास पीपीएएन कर्मचारी थे	चयनित डीडीओ जहां विलम्ब पाया गया	चयनित डीडीओ में कुल अभिदाता	उन चयनित कर्मचारियों की संख्या जिनके पास पीपीएएन था	अभिदा-ताओं की संख्या जहां विलम्ब पाया गया	दिनों में औसत विलम्ब
राज्य सरकार	150	40	23	2210	250	71	583.29 @
एसएबी	33	1	1	539	15	13	1,448#

@ ज्यादातर मामलों में एक से 1,200 दिनों का विलम्ब था तथा 5 मामलों में 1,500 दिनों से अधिक का विलम्ब था।

ज्यादातर मामलों में 400 से 1,700 दिनों का विलम्ब था तथा 2 मामलों में 2,300 से अधिक दिनों का विलम्ब था।

इस प्रकार, पीपीएएन जारी होने में हुए विलम्ब के कारण जिन मामलों में भर्ती होने के महीने के अगले महीने में अंशदान की पहली कटौती प्रारम्भ नहीं हुई, उनमें अभिदाता को वास्तविक कटौती के महीनों और जिस महीने में कटौती होनी चाहिए थी, के बीच ब्याज का नुकसान हुआ (जबकि अभिदाता को इसके लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई)।

डीएफएस ने अपने उत्तर में (दिसम्बर 2019) अपने विचार को व्यक्त किया कि भविष्य में विलम्ब को रोकने के लिए दोषी कर्मचारियों को दण्डित करने का प्रावधान करने की आवश्यकता है।

---

[40] 9 राज्यों और यूटी के नमूने में से एक यूटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोई स्वायत्त निकाय चयनित नहीं था।

लेखापरीक्षा अवलोकन जाँचे गये नमूनों पर आधारित हैं। विलम्ब चिन्हित करने के लिये सरकार सम्पूर्ण एनपीएस प्रकरणों की उपयुक्त जाँच कर सकती है और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकती है।

4.3 स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या जारी करने, एनपीएस अंशदान की कटौती इत्यादि में विलम्ब/लिया गया समय

सीजीए ने प्रावधान किया (सितम्बर 2008) कि प्रत्येक महीने के अंतिम कार्य दिवस तक एनपीएस अंशदान न्यासी बैंक में जमा हो जाने चाहिए। चयनित नमूनों की जाँच में पाया गया कि स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रैन) जारी होने से लेकर, अंशदान की कटौती, पीएओ को बिल भेजने, पेंशन अंशदान, प्रैन, डीडीओ, राशि इत्यादि का विवरण रखने वाली अभिदाता अंशदान फाईल (एससीएफ) को अपलोड करने तक प्रत्येक चरण में विलम्ब हुआ था जिससे अंततः अंशदान के न्यासी बैंक में प्रेषण करने में विलम्ब होगा।

4.3.1 प्रैन जारी करने में लगा समय/विलम्ब

4.3.1.1 केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग और सीएबी

सीजीए के का.ज्ञा. (सितम्बर 2008) के अनुसार, एनपीएस बिलों को प्राथमिकता देनी थी ताकि वे हर महीने की 20 तारीख तक पीएओ में पहुँच सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनपीएस संबंधी गतिविधियों को करने हेतु समय-सीमा तैयार करने में राज्य सरकारों की सहायता हेतु पीएफआरडीए ने अधिकतम स्वीकार्य समय-सीमा को अन्तिम रुप दिया था। पीएफआरडीए ने राज्य सरकारों को भी ऐसी गतिविधियों हेतु अपनी समय-सीमा बनाने का अनुरोध किया तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई समय-सीमा पीएफआरडीए द्वारा उल्लेखित समय-सीमा से ज्यादा न हो। हालाँकि, अभिदाताओं द्वारा डीडीओ को प्रपत्र प्रस्तुत करने, डीडीओ द्वारा पीएओ को प्रपत्र प्रस्तुत करने और पीएओ द्वारा एनएसडीएल को प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा निर्धारित करने के लिये पीएफआरडीए द्वारा केन्द्रीय स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किये गये।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अभिदाताओं द्वारा डीडीओ को प्रपत्र प्रस्तुत करने, डीडीओ द्वारा पीएओ को प्रपत्र प्रस्तुत करने और पीएओ द्वारा एनएसडीएल को प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा को निर्धारित नहीं किया गया। अतः जैसा कि एक नये कर्मचारी के वेतन बिलों (एनपीएस कटौती सहित) को पीएओ भेजने की समय-सीमा अगले महीने की 20 तारीख थी, लेखापरीक्षा ने केन्द्रीय सरकार के

मंत्रालय/विभागों में प्रैन बनाने में हुए विलम्ब की गणना, सेवा में शामिल होने के माह के बाद वाले महीने की 21 तारीख से की है।

लेखापरीक्षा ने पाया किः

- केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों के 15 चयनित प्रधान एओ में, 62 चयनित डीडीओ में से 58 में, 901 चयनित अभिदाताओं में से 683 अभिदाताओं को प्रैन जारी करने में एक दिन से 1,986 दिनों का विलम्ब हुआ जैसा कि **अनुलग्नक** IX में वर्णित है।
- केन्द्रीय सरकार की 11 चयनित एबी में, सीएबी के 12 चयनित डीडीओ में, 172 चयनित अभिदाताओं में से 168 अभिदाताओं को प्रैन जारी करने में 20 दिनों से 2,435 दिनों का विलम्ब हुआ जैसा कि **अनुलग्नक** IX में वर्णित है। एक सीएबी में, 13 में से नौ कर्मचारियों के सम्बंध में, एनपीएस के तहत पंजीकरण तक ₹3.49 लाख के कर्मचारी अंशदान की कटौती नहीं हुई। विवरण नीचे तालिका में दिया गया हैः

तालिकाः4.5

केन्द्रीय सरकार/ सीएबी	कुल चयनित डीडीओ	चयनित डीडीओ की संख्या जहां विलम्ब पाया गया	चयनित डीडीओ में कुल अभिदाता	अभिदाताओं की संख्या जहां विलम्ब पाया गया	दिनों में औसत देरी
केन्द्रीय सरकार	62	58	901	683	138.20@
सीएबी	12	12	172	168	348.34#

@ ज्यादातर मामलों में एक से 200 दिनों का विलम्ब हुआ।

\# ज्यादातर मामले में एक से 400 दिनों का विलम्ब हुआ और 11 मामलों में 2,000 दिनों से अधिक का विलम्ब हुआ।

4.3.1.2 राज्य सरकार/यूटी और एसएबी

सात चयनित राज्यों में से आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं कर्नाटक में आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने व उसे सीआरए को प्रेषित करने के लिये समय-सीमा निर्धारित थी।

लेखापरीक्षा ने प्रैनों को निर्गत करने में विलम्ब[41]/अनावश्यक समय लेना पाया:

[41] विलम्ब/लिये गये समय की गणना कार्य ग्रहण की तिथि या एनपीएस में डीडीओ पंजीकरण की तिथि, जो बाद में हो, से की गई है।

- नौ चयनित राज्यों/यूटी में से छ: में, 150 डीडीओ में 77 में, 2,210 चयनित कर्मचारियों में से 990 में प्रैन को निर्गत करने में विलम्ब/लिया गया समय 26 से 1,886 दिनों तक था, जैसा कि **अनुलग्नक X(क)** में वर्णित है, और
- 33 चयनित एसएबी, डीडीओ में 20 में, 539 चयनित कर्मचारियों में 266 के प्रैनों को निर्गत करने में 15 दिनों से 4,015 दिनों का समय लिया गया जैसा कि **अनुलग्नक X(ख)** में वर्णित है।

तालिका 4.6

राज्य सरकार/एसएबी (राज्य/यूटी में)	कुल चयनित डीडीओ	चयनित डीडीओ जहाँ अनुचित समय लिये जाने के मामले जानकारी में आये	चयनित डीडीओ में कुल अभिदाता	अभिदाताओं की संख्या जहाँ में अनुचित समय लगने के मामले की जानकारी हुई	लिया गया औसत समय (दिनों में)
राज्य सरकार	150	77	2210	999	169.4@
एसएबी	33	20	539	266	419.04#

@ अधिकतर अनुचित समय लगने के मामलों की समयावधि एक दिन से 200 दिनों तक थी एवं चार मामलों में अनुचित समय लगने की समयावधि 1,600 दिनों से अधिक थी।

अधिकतर अनुचित समय लगने के मामलों की समयावधि एक दिन से 200 दिनों तक थी एवं दो मामलों में अनुचित समय लगने की समयाविधि 2,500 दिनों से अधिक थी।

और आगे की लेखापरीक्षा जाँच ने कुछ चयनित राज्यों में सभी पात्र कर्मचारियों के प्रैनों को जारी करने के सम्बन्ध में विलम्ब/जारी नहीं करने के निम्न मामलों एवं इसके परिणाम को दर्शाया :

- **उत्तराखण्ड**:

  i. उन कर्मचारियों के सम्बंध में जो अगस्त 2010 से सेवा में आये, 37,798 प्रैन को जारी करने में सेवा में आने की तिथि से दो महीने से 36 महीने का विलम्ब था।

  ii. पाँच चयनित डीटीओ में 10,321 अभिदाताओं को प्रैन जारी करने में दो महीने से 36 महीनों का विलम्ब था।

- **हिमाचल प्रदेश :**

  i. अगस्त 2016 से मार्च 2018 के दौरान, 12,578 प्रैन में से 11,566 को 61 दिनों से 757 दिनों के विलम्ब से जारी किया गया।

  ii. 20 चयनित डीडीओ में से 12 में, 282 कर्मचारी सितम्बर 2010 एवं सितम्बर 2017 के बीच सेवा में आये और प्रैन को छ: से 87 महीने

की देरी के बाद भी जारी नहीं किया गया (31 मार्च 2018)। परिणामस्वरूप ₹1.92 करोड़ का एनपीएस अंशदान उनके वेतनों से वसूल नहीं किया गया और ₹1.92 करोड़ का बराबर का अंशदान भी प्रैन के जारी न होने के कारण उनके एनपीएस खातों में शामिल नहीं किया गया।

iii. अक्तूबर 2004 से सितम्बर 2018 के बीच 155 चयनित कर्मचारियों से ₹32.23 लाख का बकाया अंशदान वसूल नहीं किया गया, और

iv. नवम्बर 2008 और फरवरी 2015 के बीच 30 चयनित कर्मचारियों से ₹26.06[42] लाख का बकाया अंशदान वसूल नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अभिदाताओं से विधिवत रूप से भरे हुए आवेदन प्रपत्र विलम्ब से प्राप्त होने अथवा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण विवरण के साथ प्रपत्र प्राप्त होने और कार्यविधि सम्बन्धी अनुमोदन प्राप्त करने में देरी के कारण प्रैन को जारी करने में विलम्ब हुआ। प्रैन जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप न्यासी बैंक को राशि प्रेषित करने में विलम्ब हुआ।

डीएफएस ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2019) कि पीएफआरडीए ने सूचित किया कि सन्दर्भित विलम्ब मुख्यत: सम्बन्धित नोडल कार्यालयों से सम्बन्धित थे, तदनुसार, इन विलम्बों का कारण सम्बन्धित नोडल कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराया जाए।

प्रैन को विलम्ब से जारी करने से अभिदाता एवं उसके नियोक्ता के अंशदान एवं उस पर प्राप्ति के बराबर (जहाँ पर इस प्रकार का अंशदान एवं प्राप्ति बाद में अभिदाता के एनपीएस खाते में उपलब्ध नहीं कराया गया है) एनपीएस निधि में नुकसान होगा, जिसके परिणामस्वरूप इसकी अंतिम सम्पत्ति प्रभावित होगी।

लेखापरीक्षा अवलोकन जाँचे गये नमूनों पर आधारित हैं। विलम्ब चिन्हित करने के लिये सरकार सम्पूर्ण एनपीएस प्रकरणों की उपयुक्त जाँच कर सकती है और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकती है।

<u>अच्छे क्रियाकलाप</u>

कर्नाटक राज्य ने प्रैन प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रपत्रों को भरने एवं जमा करने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की समय-सीमा के साथ-साथ, डीडीओ एवं कोषागार अधिकारियों की भूमिका एवं कर्तव्य तय किये। लेखापरीक्षा ने पाया कि यह एक अच्छा क्रियाकलाप है जिसे औरों द्वारा सन्दर्भ में लिया जा सकता है।

---

42 जैडपी, मण्डी ₹14.39 लाख एवं जैडपी, काँगड़ा ₹11.67 लाख

4.3.2 एनपीएस अंशदान की पहली कटौती में विलम्ब

4.3.2.1 केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग एवं सीएबी

सीजीए द्वारा जारी का.ज्ञा. (जनवरी 2004), सपठित का.ज्ञा. (फरवरी 2004) के अनुसार, वसूलियों को सरकारी कर्मचारी के सेवा में आने वाले माह के अगले माह से प्रारंभ करना था और वसूलियों को उस माह से प्रभाव में नहीं लाना था जिस माह अभिदाता सरकारी सेवा में आया था। डीओई, का.ज्ञा. (नवम्बर 2003) के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले स्वायत्त निकायों में 01 जनवरी 2004 या उसके बाद सेवा में आने वाले सभी नव-नियुक्त एनपीएस के द्वारा शासित होंगे **{अनुलग्नक XI(क)}**।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- केन्द्रीय सरकार के 15 चयनित प्रधान एओ में से छः में, 62 चयनित डीडीओ में 14 में, 901 चयनित अभिदाताओं में 63 की एनपीएस अंशदान की पहली कटौती में विलम्ब एक से 13 महीने तक था, और
- 11 चयनित सीएबी में चार में, सीएबी के 12 चयनित डीडीओ में से पाँच में, 172 चयनित अभिदाताओं में से 45 की प्रथम एनपीएस कटौती में विलम्ब एक से 79 महीने था।

तालिका: 4.7

केन्द्रीय सरकार/सीएबी	कुल चयनित डीडीओ	चयनित डीडीओ जहाँ विलम्ब पाया गया	चयनित डीडीओ में कुल अभिदाता	अभिदाताओं की संख्या जिनमें विलम्ब पाया गया	माह में औसत विलम्ब
केन्द्रीय सरकार	62	14	901	63	3.36
सीएबी	12	05	172	45	9.06#

अधिकतर मामलों में विलम्ब एक से 24 माह था और केवल एक मामले में विलम्ब 79 माह था।

एनपीएस अंशदान की पहली कटौती में विलम्ब का तात्पर्य अभिदाता के व्यक्तिगत प्रैन में अंशदान जमा कराने में विलम्ब था जिसके कारण उस अवधि के लिए एनपीएस निधि में अभिदाता एवं उसके नियोक्ता के अंशदान एवं उस पर प्राप्ति के बराबर नुकसान होगा जिससे उसकी अंतिम सम्पत्ति प्रभावित होगी (जहाँ पर इस प्रकार का अंशदान एवं उस पर प्राप्ति बाद में अभिदाता के एनपीएस खाते में उपलब्ध नहीं करायी गई।)

डीएफएस ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2019) में सूचित किया कि सीजीए ने कहा कि प्रैन प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों का संचलन भौतिक रुप से होता है, जो

कि समाप्त किया जा सकता है। एनएसडीएल/सीआरए को प्रैन संख्या निर्मित करने के लिए एक ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराना चाहिए। पंजीकरण प्रपत्र अभिदाताओं द्वारा ऑनलाइन भरा जाना चाहिए। एनपीएस अभिदाता को समय पर प्रैन आबंटित करके एनपीएस अंशदान की पहली कटौती में विलम्ब की समस्या का समाधान किया जा सकता है। आगे यह कहा गया कि डीडीओ/पीएओ आदि द्वारा की जाने वाली विभिन्न एनपीएस गतिविधियों के लिए अनुदेशों की आवश्यकता है जिसमें दोषी कर्मचारियों पर उचित दण्ड का प्रावधान शामिल है।

हालाँकि, यह पाया गया कि सरकारी नोडल कार्यालय (सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों) पर एनपीएस सम्बन्धित गतिविधियों के विलम्ब के लिए कोई दण्डनीय प्रावधान नहीं है। एनपीएस के कार्यान्वयन को कारगर बनाने के लिए गठित की गई समिति ने भी अनुशंसा की (फरवरी 2018 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन के द्वारा) कि दोषी कर्मचारियों की जिम्मेदारी एवं देय धनराशि उस आधार पर निर्धारित करनी चाहिए जैसे आयकर नियमों के तहत टीडीएस की कटौती/प्रेषण विलम्ब से करने पर किया जाता है। डीएफएस ने सूचित किया कि (मई 2020) एनपीएस अंशदानों की कटौती और जमा कराने में विलम्ब के लिये सरकारी नोडल कार्यालय को दंडित करने हेतु सक्षम प्रावधान सम्मिलित करते हुए पीएफआरडीए अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है।

डीएफएस ने आगे बताया (मई 2020) कि आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए स्वायत्त निकायों/पी.एस.यू. द्वारा भी इसी तरह के उपाय (जैसा कि 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिसूचित किया गया) किये जा सकते हैं। डीएफएस ने डीओई से अनुरोध किया कि इस मामले में उचित स्पष्टीकरण ऐसे सभी निकायों को जारी करें क्योंकि इन निकायों पर एनपीएस लागू होना डीओई द्वारा निर्धारित किया गया था।

4.3.2.2 राज्य सरकारें एवं एसएबी

आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश[43], कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं एन.सी.टी. दिल्ली की राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये आदेशों/परिपत्रों के अनुसार, वेतन से वसूलियाँ (एनपीएस अंशदान के अन्तर्गत) जिस माह में सरकारी कर्मचारी सेवा में आया, उसके अगले माह से की जानी थीं और वसूलियाँ सरकारी सेवा में आने वाले माह से नहीं लागू की जानी थी। हालाँकि, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के मामले में यदि कर्मचारी किसी माह की प्रथम तिथि को सेवा में आया है तो सेवा में आने वाले माह में ही एनपीएस की पहली कटौती की गई।

---

[43] मापदंड हिमाचल सड़क परिवहन निगम द्वारा निर्धारित किये गये थे, न कि राज्य सरकार द्वारा

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- नौ चयनित राज्यों/यूटी में से चार में, राज्यों के 150 चयनित डीडीओ में से 46 में, 2,210 चयनित अभिदाताओं में से 294 अभिदाताओं की एनपीएस अंशदान की पहली कटौती में विलम्ब एक से 65 माह था, जैसा कि **अनुलग्नक XI(ख)** में वर्णित है, और
- आठ चयनित राज्यों/यूटी में से तीन में, एसएबी के 33 चयनित डीडीओ में से सात में, 539 चयनित अभिदाताओं में से 90 अभिदाताओं की एनपीएस अंशदान की पहली कटौती में विलम्ब एक से 28 माह था, जैसा कि **अनुलग्नक XI(ख)** में वर्णित है।

तालिका: 4.8

राज्य सरकार/एसएबी (राज्य/यूटी में)	कुल चयनित डीडीओ	चयनित डीडीओ जिनमें विलम्ब पाया गया	चयनित डीडीओ में कुल अभिदाता	अभिदाताओं की संख्या जिनमें विलम्ब पाया गया	माह में औसत विलम्ब
राज्य सरकार	150	46	2210	294	8.74@
एसएबी	33	7	539	90	4.6#

@ अधिकतर मामलों में एक से चार माह तक का विलम्ब था और नौ मामलों में 46 माह से अधिक का विलम्ब था।

अधिकतर मामलों में एक से तीन माह तक का विलम्ब था और 11 मामलों में 15 माह से अधिक का विलम्ब था।

लेखापरीक्षा अवलोकन जाँचे गये नमूनों पर आधारित हैं। विलम्ब चिन्हित करने के लिये सरकार सम्पूर्ण एनपीएस प्रकरणों की उपयुक्त जाँच कर सकती है और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकती है।

4.4 पीएओ तक बिल पहुँचने में विलम्ब

4.4.1 केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग एवं सीएबी

सीजीए ने निर्धारित किया (सितम्बर 2008) कि एनपीएस बिलों को प्रत्येक माह की 20 तारीख तक पीएओ को पहुँचा दिये जाएँ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- केन्द्रीय सरकार के 15 चयनित प्रधान एओ में से छः में, 62 चयनित डीडीओ में से 18 में, 901 चयनित अभिदाताओं में से 229 में, एक से 189 दिनों का विलम्ब था, **{अनुलग्नक XII(क)}**; और

- केन्द्रीय सरकार के 11 चयनित एबी में से दो में, 12 चयनित डीडीओ में से तीन में, 172 चयनित अभिदाताओं में से 31 के संबंध में, एक से 54 दिनों का विलम्ब था **{अनुलग्नक XII(क)}**

तालिका: 4.9

केन्द्रीय सरकार/सीएबी	चयनित डीडीओ की संख्या	डीडीओ की संख्या जहाँ विलम्ब देखा गया	चयनित डीडीओ में अभिदाताओं की कुल संख्या	अभिदाताओं की संख्या जहाँ विलम्ब देखा गया	दिनों में औसत विलम्ब
केन्द्रीय सरकार	62	18	901	229	5.75@
सीएबी	12	03	172	31	10.60#

@ अधिकतर मामलों में एक से 10 दिनों का विलम्ब था।

अधिकतर मामलों में एक से 20 दिनों का विलम्ब था।

डीडीओ द्वारा उल्लेखित विलम्ब के कारणों में सॉफ्टवेयर के संबंध में परिचित न होना और अपर्याप्त जानकारी, कर्मचारियों का बारी-बारी से स्थानान्तरण और अन्य तकनीकी मुद्दे थे।

पीएओ/डीटीओ को विलम्ब से प्रस्तुत किये गये एनपीएस वेतन बिलों के कारण एनपीएससीएएन में एस.सी.एफ को अपलोड करने की समय-सीमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

डीएफएस (दिसम्बर 2019) ने उत्तर दिया कि चूँकि बिल के विलम्ब से पीएओ तक पहुँचने के कारण कटौती में एवं अभिदाता के एनपीएस खाते में जमा में विलम्ब होता है, अतः नोडल कार्यालयों द्वारा डीएफएस की दिनांक 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के अनुरुप क्षतिपूर्ति के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसा कि पहले भी कहा गया है, सरकार द्वारा इन मामलों में दण्डनीय प्रावधान लगाये जाने पर विचार किया जा रहा है।

डीएफएस ने आगे उत्तर दिया कि (मई 2020) वित्तीय नुकसान की भरपाई करने के लिए स्वायत्त निकायों/पी.एस.यू द्वारा भी इसी प्रकार के उपाय (जैसा कि 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के माध्यम से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिसूचित किया गया) किये जा सकते हैं। डीएफएस ने डीओई से अनुरोध किया कि इस मामले में ऐसे सभी निकायों को उचित स्पष्टीकरण जारी किये जायें क्योंकि इन निकायों में एनपीएस की प्रयोज्यता डीओई द्वारा निर्धारित की गई थी। यह भी सूचित किया गया कि एनपीएस अंशदानों की कटौती एवं जमा करवाने में विलम्ब के लिये सरकारी नोडल कार्यालय पर जुर्माना लगाने के लिए सक्षम प्रावधान को शामिल करते हुए पीएफआरडीए अधिनियम में बदलाव किये जा रहे हैं।

4.4.2 राज्य सरकारें एवं एसएबी

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- नौ चयनित राज्यों/यूटी में से एक में, राज्यों के 150 चयनित डीडीओ में से 20 में, 2,210 चयनित अभिदाताओं में से 285 अभिदाताओं के लिए, वेतन माह के अंतिम दिन से प्रारम्भ करते हुये, बिल को डीडीओ/डीटीए तक पहुँचने में एक से 838 दिनों का विलम्ब था **{अनुलग्नक XII(ख)}** और
- आठ चयनित राज्यों/यूटी में से एक में, एसएबी के 33 चयनित डीडीओ में से दो में, 539 चयनित अभिदाताओं में से 29 अभिदाताओं के लिए, वेतन माह की अंतिम तिथि से प्रारम्भ करते हुये बिल को डीडीओ/डीटीए तक पहुँचने में दो से 815 दिनों का विलम्ब था **{अनुलग्नक XII(ख)}**।

तालिका 4.10

राज्य सरकार/एसएबी (राज्य/यूटी में)	चयनित डीडीओ की संख्या	डीडीओ की संख्या जहाँ विलम्ब पाया गया	चयनित डीडीओ में अभिदाताओं की कुल संख्या	अभिदाताओं की संख्या जहाँ विलम्ब पाया गया	दिनों में औसत विलम्ब
राज्य सरकार	150	20	2210	285	37.25@
एसएबी	33	2	539	29	31.38#

@ अधिकतर मामलों में एक दिन से 400 दिनों का विलम्ब था, चार मामलों में 700 दिनों से अधिक का विलम्ब था।

अधिकतर मामलों में एक दिन से 400 दिनों का विलम्ब था और पाँच मामलों में 500 दिनों से अधिक का विलम्ब था।

लेखापरीक्षा अवलोकन जाँच किए गये नमूनों पर आधारित हैं। विलम्ब चिन्हित करने के लिये सरकार सम्पूर्ण एनपीएस प्रकरणों की उपयुक्त जाँच कर सकती है और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकती है।

4.5 एससीएफ को अपलोड करने/ट्राँजैक्शन आईडी की प्राप्ति में विलम्ब

सीजीए ने निर्धारित किया था (सितम्बर 2008) कि पीएओ को प्रत्येक माह की 25 तारीख तक अभिदाता अंशदान का विवरण एनपीएससीएएन में अपलोड करना चाहिये और ट्राँजैक्शन आईडी प्राप्त करनी चाहिये।

4.5.1 केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग एवं सीएबी

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- केन्द्रीय सरकार के 15 चयनित प्रधान एओ में, 62 चयनित डीडीओ में से 61 में, 901 चयनित अभिदाताओं में से 817 में, अभिदाता अंशदान

विवरण को एनपीएससीएएन में अपलोड करने एवं ट्राँजैक्शन आईडी प्राप्त करने में एक से 3,175 दिनों का विलम्ब था। **{अनुलग्नक XIII(क)}**, और

- 12 चयनित डीडीओ (11 चयनित सीएबी) में, 172 चयनित अभिदाताओं में से 163 अभिदाताओं के संदर्भ में अभिदाता अंशदान विवरण को एनपीएससीएएन में अपलोड करने एवं ट्राँजैक्शन आईडी प्राप्त करने में एक से 404 दिनों का विलम्ब था **{अनुलग्नक XIII(क)}**

तालिका 4.11

केन्द्रीय सरकार/सीएबी	**चयनित डीडीओ की संख्या**	**डीडीओ की संख्या जहाँ विलम्ब देखा गया**	**चयनित डीडीओ में अभिदाताओं की कुल संख्या**	**अभिदाताओं की संख्या जहाँ विलम्ब देखा गया**	**दिनों में औसत विलम्ब**
केन्द्रीय सरकार	62	61	901	817	18.05@
सीएबी	12	12	172	163	11.74#

@ अधिकतर मामलों में एक से 20 दिनों का विलम्ब था केवल एक मामले को छोड़कर जिसमें 3,175 दिनों का विलम्ब था।

अधिकतर मामलों में एक से 20 दिनों का विलम्ब था केवल एक मामले को छोड़कर जिसमें 404 दिनों का विलम्ब था।

एससीएफ को अपलोड करने में विलम्ब के कारण न्यासी बैंक को अंशदान प्रेषित करने में विलम्ब होता है, जो अभिदाता के प्रैन खाते में अंशदान को समय पर जमा होना प्रभावित करता है।

4.5.2 राज्य सरकारें एवं राज्य स्वायत्त निकाय

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- नौ चयनित राज्यों/यूटी में से एक में, 150 चयनित डीडीओ में से 19 में, 2,210 अभिदाताओं में से 285 अभिदाताओं के मामले में, अभिदाता अंशदान विवरण को एनपीएससीएएन में अपलोड करने एवं ट्राँजैक्शन आईडी प्राप्त करने में दो से 1,582 दिनों का विलम्ब था **{अनुलग्नक XIII(ख)}**।
- आठ चयनित राज्यों/यूटी में से दो में, एसएबी के 33 चयनित डीडीओ में से नौ में, 539 अभिदाताओं में से 117 अभिदाताओं के मामले में, अभिदाता अंशदान विवरण को एनपीएससीएएन में अपलोड करने एवं ट्राँजैक्शन आईडी प्राप्त करने में एक से 1,403 दिनों का विलम्ब था **{अनुलग्नक XIII(ख)}**।

तालिका: 4.12

राज्य सरकार/एसएबी (राज्य/यूटी में)	चयनित डीडीओ की संख्या	डीडीओ की संख्या जहाँ विलम्ब पाया गया	चयनित डीडीओ में अभिदाताओं की कुल संख्या	अभिदाताओं की संख्या जहाँ विलम्ब पाया गया	दिनों में औसत विलम्ब
राज्य सरकार	150	19	2210	285	216.33@
एसएबी	33	9	539	117	86.74#

@ अधिकतर मामलों में एक दिन से 100 दिनों का विलम्ब था और 15 मामलों में 1500 दिनों से अधिक का विलम्ब था।

अधिकतर मामलों में एक दिन से 300 दिनों का विलम्ब था और छः मामलों में 800 दिनों से अधिक का विलम्ब था।

डीडीओ से बिल विलम्ब से प्राप्त होना, कर्मचारियों की कमी, जमा करवाने के लिए समय-सीमा का अभाव, विभिन्न कार्यक्षेत्र इकाईयों/डीटीओ एवं पीएओ से आँकड़े प्राप्त करने में विलम्ब, एससीएफ के लिए डीटीए से अनुमोदन/अनुमति मिलने में विलम्ब, मासिक लेखाओं के संकलन में विलम्ब और जागरूकता की कमी इत्यादि एससीएफ को अपलोड करने में विलम्ब के कारण थे।

लेखापरीक्षा अवलोकन जाँच किए गये नमूनों पर आधारित हैं। विलम्ब चिन्हित करने के लिये सरकार सम्पूर्ण एनपीएस प्रकरणों की उपयुक्त जाँच कर सकती है और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकती है।

4.6 न्यासी बैंक को अंशदान भेजने में विलम्ब

4.6.1 केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग और सीएबी

सीजीए ने निर्धारित किया था (सितम्बर 2008) कि प्रत्येक माह के अंतिम कार्यदिवस पर एनपीएस अंशदान को न्यासी बैंक के खाते में जमा करवाना चाहिये। आगे, इसके अन्तर्गत आने वाले सभी अभिदाताओं के संदर्भ में न्यासी बैंक को समय से प्रेषण की जिम्मेदारी पीएओ की थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- केन्द्रीय सरकार के 15 चयनित प्रधान एओ में से 14 में, 62 चयनित डीडीओ में से 45 में, 901 चयनित अभिदाताओं में से 509 के सम्बन्ध में, न्यासी बैंक में ₹181.78 लाख की धनराशि एक से 770 दिनों के विलम्ब के साथ जमा करवाई गई **{अनुलग्नक XIV(क)}** और
- 12 चयनित डीडीओ में से दस में, (11 चयनित सीएबी में से 10 के सम्बंध में) केन्द्रीय सरकार के एबी के 172 चयनित अभिदाताओं में से

133 के संबंध में, ₹81.25 लाख की धनराशि एक दिन से 404 दिनों के विलम्ब के साथ जमा करवाई गई **{अनुलग्नक XIV(क)}**।

तालिका: 4.13

केन्द्रीय सरकार/सीएबी	चयनित डीडीओ की संख्या	डीडीओ की संख्या जहाँ विलम्ब देखा गया	चयनित डीडीओ में अभिदाताओं की कुल संख्या	अभिदाताओं की संख्या जहाँ विलम्ब देखा गया	दिनों में औसत विलम्ब
केन्द्रीय सरकार	62	45	901	509	15.53@
सीएबी	12	10	172	133	13.26#

@ अधिकतर मामलों में एक से 30 दिनों का विलम्ब था और केवल दो मामलों में 700 दिनों से अधिक का विलम्ब था।

अधिकतर मामलों में एक से 30 दिनों का विलम्ब था और एक मामले में 404 दिनों का विलम्ब था।

इसके अतिरिक्त, पाँच चयनित डीडीओ में से दो डीडीओ (विधि विभाग और आयकर अपील अधिकरण) में दस चयनित अभिदाताओं में से चार के संबंध में ₹2.46 लाख का लीगेसी अंशदान सात माह के विलम्ब के साथ न्यासी बैंक में जमा करवाया गया।

अंशदान को न्यासी बैंक में भेजने में विलम्ब अभिदाता के खाते में अंशदान को समय पर जमा करवाने पर प्रभाव डालता है।

डीएफएस ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2019) कि इस तरह के मामले अभिदाता को वित्तीय नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसने आगे कहा कि हाल ही में, प्रक्रिया को सरल करने के लिए दिनांक 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के माध्यम से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में केवल 2004-12 के दौरान हुए विलम्ब के कारण क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान अधिसूचित किये गये। इसके अतिरिक्त, एनपीएस को सरल करने के उपाय सुझाने के लिए गठित की गई समिति की अनुशंसा के आधार पर सरकार द्वारा 2012 के बाद के मामलों के लिए क्षतिपूर्ति तथा दण्डात्मक प्रावधानों को लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

डीएफएस ने आगे उत्तर दिया कि (मई 2020) वित्तीय नुकसान की भरपाई करने के लिए स्वायत्त निकायों/पीएसयू द्वारा भी इसी तरह के उपाय (जैसा कि दिनांक 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिसूचित किया गया) किये जा सकते हैं। डीएफएस ने डीओई से अनुरोध किया कि इस मामले में ऐसे सभी निकायों को उपयुक्त स्पष्टीकरण जारी किये जायें क्योंकि इन निकायों में एनपीएस की प्रयोज्यता डीओई द्वारा निर्धारित की गई थी। यह भी सूचित किया गया कि एनपीएस अंशदानों की

कटौती एवं जमा करवाने में विलम्ब के लिये सरकारी नोडल कार्यालय पर दण्डात्मक कार्रवाई करने के सक्षम प्रावधान को शामिल करते हुए पीएफआरडीए अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है।

4.6.2 राज्य सरकारें और एसएबी

हिमाचल प्रदेश में वेतन की तारीख से 12 दिनों में एनपीएस अंशदान की गणना करने, अपलोड करने और जमा कराने की समय-सीमा तय की गई थी, किन्तु न्यासी बैंक में अंशदान जमा कराने की कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की गई। महाराष्ट्र में दो वेतन बिल चक्रों (माह की पहली से 18वीं तारीख तक एवं 19वीं से माह के अन्त तक) के संदर्भ में राज्य सरकार ने जमा कराने के लिए समय-सीमा (माह के अंतिम दिन से पहले और अगले माह की 15वीं से पहले) निर्धारित की थी। शेष राज्यों में, न्यासी बैंक को अंशदान भेजने की कोई विशिष्ट समय-सीमा नहीं थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- नौ चयनित राज्यों/यूटी में से चार में, राज्यों के 150 चयनित डीडीओ में से 61 में, 2,210 चयनित अभिदाताओं में से 769 में, एक से 1,199 दिनों का विलम्ब था **{अनुलग्नक XIV(ख)}**, तथा
- आठ चयनित राज्यों/यूटी में से दो में, एसएबी के 33 चयनित डीडीओ में से सात में, 539 चयनित अभिदाताओं में से 94 में, भेजने में एक से 242 दिनों का विलम्ब/समय लिया गया था **{अनुलग्नक XIV(ख)}**।

तालिका: 4.14

राज्य सरकार/एसएबी (राज्य/यूटी में)	चयनित डीडीओ की संख्या	डीडीओ की संख्या जहाँ विलम्ब पाया गया	चयनित डीडीओ में अभिदाताओं की कुल संख्या	अभिदाताओं की संख्या जहाँ विलम्ब पाया गया	औसत विलम्ब दिनों में
राज्य सरकार	150	61	2210	769	14.10@
एसएबी	33	7	539	94	53.12#

@ अधिकतर मामलों में एक दिन से 100 दिनों का विलम्ब था और दो मामलों में 900 दिनों से अधिक का विलम्ब था।

अधिकतर मामलों में एक दिन से 300 दिनों का विलम्ब था और 100 मामलों में 240 दिनों से अधिक का विलम्ब था।

और आगे की लेखापरीक्षा जाँच ने सभी पात्र कर्मचारियों के अंशदान को न्यासी बैंक में भेजने में विलम्ब के निम्नलिखित उदाहरण दर्शाये:

- **हिमाचल प्रदेशः**

  i. डीटीए शिमला ने वेतन तिथि से 16 से 35 दिनों की अवधि के पश्चात् ₹900.21 करोड़ की राशि जनवरी 2011 से जुलाई 2016[44] के मध्य न्यासी बैंक को भेजी। आगे, इसी डीटीए में ₹227.86 करोड़ की धनराशि वेतन तिथि से 12 दिनों के पश्चात एक से आठ दिनों के विलम्ब से सितम्बर 2016 से नवम्बर 2017 के बीच न्यासी बैंक को भेजी गई।

  ii. हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) में ₹8.62 करोड़ की धनराशि वेतन के भुगतान के 21 से 75 दिनों के बाद जनवरी 2015 से जुलाई 2016 के मध्य न्यासी बैंक को भेजी गई। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के द्वारा धनराशि भेजने की निर्धारित तिथि के 10 से 15 दिनों के पश्चात् ₹6.10 करोड़ की धनराशि अक्तूबर 2016 से मार्च 2018 के मध्य न्यासी बैंक को भेजी गई।

  इसके अतिरिक्त, डीटीए ने आँकड़ों को स्थानान्तरित करने के लिए कोई तिथि सुनिश्चित नहीं की जिसके परिणामस्वरूप एचआरटीसी द्वारा 681 अभिदाताओं के खातों में पड़े ₹5.97 करोड़ को एनएसडीएल/न्यासी बैंक को स्थानान्तरित करने में पाँच वर्ष और चार माह का विलम्ब हुआ। धनराशि को जुलाई 2018 से अक्तूबर 2018 के मध्य हस्तान्तरित किया गया, जबकि एचआरटीसी द्वारा योजना को मार्च 2013 में अंगीकृत किया गया था। नवम्बर 2018 को शेष 91 अभिदाताओं की ₹3.24 करोड़ की अंशदान धनराशि अभी भी एचआरटीसी द्वारा हस्तान्तरित की जानी है।

  iii. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) में फरवरी 2013 से जुलाई 2016 के मध्य ₹36.30 करोड़ के एनपीएस अंशदान को न्यासी बैंक को चार से 50 दिनों के विलम्ब के साथ जमा कराया गया। आगे, राज्य सरकार द्वारा धनराशि भेजने की निर्धारित तिथि के दो से 11 दिनों के विलम्ब के साथ अक्तूबर 2016 से मार्च 2018 के मध्य ₹6.08 करोड़ को न्यासी बैंक को भेजा गया।

---

44 जून 2016 तक एनपीएस अंशदान को भेजने की कोई समयसीमा राज्य सरकार द्वारा निश्चित नहीं की गई थी। जुलाई 2016 में , एनपीएस अंशदान की गणना करने, अपलोड करने व उसे भेजने के लिये वेतन तिथि से 12 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई।

iv. जिला परिषद् काँगड़ा में, अप्रैल 2015 से मार्च 2018 की अवधि का ₹49.12 लाख का एनपीएस अंशदान 83 से 496 दिनों के बाद न्यासी बैंक को भेजा गया।

v. जिला परिषद् मण्डी में, नवम्बर 2014 से मार्च 2018 की अवधि का ₹40.82 लाख का एनपीएस अंशदान 26 से 241 दिनों के बाद न्यासी बैंक को भेजा गया।

- **आंध्र प्रदेशः**

i. एएनजीआरएयू[45] में, 501 अभिदाताओं के लिए ₹1.28 करोड़ के ब्याज के साथ ₹17.28 करोड़ की लीगेसी धनराशि (नवम्बर 2006 से मार्च 2015 की अवधि से संबंधित) मार्च 2016 में एक वर्ष से नौ वर्ष एवं चार माह के विलम्ब के साथ जमा कराई गई।

ii. तिरूमाला तिरूपति देवस्थानम में, ₹44.77 करोड़ की लीगेसी धनराशि पाँच माह से अधिक के विलम्ब के साथ सितम्बर 2015 में जमा करायी गई।

iii. राजीव गाँधी ज्ञान तकनीकी विश्वविद्यालय में ₹1 करोड़ की लीगेसी धनराशि को दो वर्षों से अधिक विलम्ब के साथ मार्च/अप्रैल 2018 में जमा कराया गया।

डीडीओ द्वारा विलम्ब से वेतन बिलों को प्रस्तुत करने, वेतन पैकेज में फाइल अपलोड करने में तकनीकी खामियों, एनपीएस अनुदानों की अनुपलब्धता, जनशक्ति की कमी इत्यादि के कारण न्यासी बैंक को धनराशि विलम्ब से भेजी गई।

लेखापरीक्षा अवलोकन जाँच किये गये नमूनों पर आधारित हैं। विलम्ब चिन्हित करने के लिये सरकार सम्पूर्ण एनपीएस प्रकरणों की उपयुक्त जाँच कर सकती है और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकती है।

4.6.3 अंतिम पेंशन निधि में क्षरण

पीएफआरडीए (फरवरी 2008) ने वित्त मंत्रालय को सूचित किया कि यह अति महत्वपूर्ण है कि सभी नोडल कार्यालय और व्यक्ति विशेष अभिदाताओं को 1 जून 2008 तक पंजीकृत किया जाए जिससे निवेश के उद्देश्य के लिए व्यक्ति विशेष सक्षम अभिदाता-वार अंशदान को स्वीकार किया जाए। पीएफआरडीए ने

---

45 आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय

यह भी सूचित किया कि इसमें किसी प्रकार का विलम्ब एनपीएस अभिदाता की पेंशन बचत पर दुष्प्रभाव डालेगा। यह जोड़ते हुये कहा कि उनके मूल्यांकन ने इंगित किया कि निधियों के हस्तान्तरण में एक दिन का विलम्ब एक कर्मचारी की अंतिम पेंशन निधि को ₹40,000 से कम करेगा। प्रतिदिन का ₹40,000 का नुकसान विचारते हुये, इस विलम्ब (जैसा कि पैरा 4.6 में चिन्हित किया गया है) के कारण अंतिम पेंशन निधि में क्षरण की परास (न्यूनतम-अधिकतम) का मूल्यांकन ₹40,000-₹3,08,00,000 केन्द्र सरकार के लिए, ₹40,000-₹1,61,60,000 सीएबी के लिए, ₹40,000-₹4,79,60,000 राज्य सरकार के लिये, ₹40,000-₹96,80,000 एसएबी के लिए किया गया है।

4.6.4 क्षतिपूर्ति का सांकेतिक नुकसान

औम्बुडसमेन[46] ने पीओपी सेवा प्रदाता द्वारा परिचालन क्रियाकलापों के लिये दिशानिर्देश को, जो कि पीएफआरडीए द्वारा 18 जून 2015 को जारी किया गया था, का हवाला दिया और निर्देश दिया कि ₹20 प्रतिदिन न्यासी बैंक को भुगतान में विलम्ब के लिए दे। इस ₹20 प्रतिदिन के अनुदान को देखते हुए, इस विलम्ब की वजह से क्षतिपूर्ति के अनुमानित नुकसान की परास (न्यूनतम-अधिकतम) को ₹20-₹15,400 केन्द्र सरकार के लिए, ₹20-₹8,080 सीएबी के लिए ₹20-₹23,980 राज्य सरकार के लिए, ₹20-₹4,840 एसएबी के लिए मूल्यांकित किया गया।

हालाँकि, इस विलम्ब की वजह से अभिदाता को वास्तविक नुकसान उपरोक्त दो स्थितियों में दिये गये नुकसान के कहीं मध्य में होगा, अर्थात् ₹20 और ₹40,000 प्रतिदिन के बीच।

4.7 कर्मचारी के अंशदान की वेतन से कटौती में विसंगतियां

4.7.1 एनपीएस अंशदान की कटौती नहीं होना

आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखण्ड और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा जारी किये गये आदेशों/परिपत्रों के अनुसार, प्रत्येक नोडल कार्यालय मूल वेतन और महंगाई भत्ते (यदि कोई हो) का 10 प्रतिशत, एनपीएस कर्मचारी के वेतन बिल से हर महीने कटौती करेगा, उसके साथ राज्य सरकार द्वारा समान अंशदान दिया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया किः

---

[46] पीएफआरडीए (अभिदाता की शिकायतों का निवारण) विनियमन, 2015 के अन्तर्गत आने वाली शिकायतों की प्राप्ति, उन पर विचार व उनके समाधान के लिये पीएफआरडीए द्वारा लोकपाल की नियुक्ति की गई है।

- नौ चयनित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में से चार में, राज्यों के 150 चयनित डीडीओ में से 48 में, 2,210 चयनित अभिदाताओं में से 457 अभिदाताओं के लिए ₹1.55 करोड़ राशि की कटौती नहीं की गई थी (31 मार्च 2018 तक), **{अनुलग्नक XV(क)}**; तथा
- आठ चयनित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में से चार में, एसएबी के 33 चयनित डीडीओ में से सात में, 539 चयनित अभिदाता में से 76 के लिए ₹8.21 लाख की राशि की कटौती[47] नहीं की गई (31 मार्च 2018 तक), **{अनुलग्नक XV(क)}**।

तालिकाः 4.15

राज्य सरकार/ एसएबी	कुल चयनित डीडीओ	चयनित डीडीओ जहाँ मुद्दा देखा गया	चयनित डीडीओ में कुल अभिदाता	अभिदाताओं की संख्या जिनमें मुद्दा देखा गया	नहीं काटी गई राशि का औसत (₹ में)
राज्य सरकार	150	48	2210	457	1,512.17@
एसएबी	33	7	539	76	3,246.03#

@ अधिकांश उदाहरण ₹1,200 से ₹1,900 की सीमा में थे और दो उदाहरणों में राशि ₹2,700 से अधिक थी।

#अधिकांश उदाहरण ₹1 से ₹2,000 की सीमा में थे और पाँच उदाहरणों में राशि ₹25,000 से अधिक थी।

लेखापरीक्षा अवलोकन जाँच किए गये नमूनों पर आधारित हैं। विलम्ब चिन्हित करने के लिये सरकार सम्पूर्ण एनपीएस प्रकरणों की उपयुक्त जाँच कर सकती है और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकती है।

<u>अच्छी कार्यप्रणाली</u>

लेखापरीक्षा ने देखा कि कुछ चयनित राज्यों द्वारा अपनाई गई अच्छी कार्यप्रणाली का पालन किया गया जो नीचे वर्णित हैः

- आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेशः किसी भी महीनों में किसी विशेष कर्मचारी से वसूली न करने के कारणों को बिना विफलता के, वसूली अनुसूची में संबंधित डीडीओ द्वारा प्रस्तुत किया जाना था।
- महाराष्ट्रः डीडीओ को यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष रुप से कर्त्तव्य सौंपा गया कि कर्मचारी और नियोक्ता का अंशदान अनिवार्य रुप से मासिक आधार पर किया गया है।

---

[47] इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि एचआरटीसी (हिमाचल प्रदेश) में पाँच अचयनित अभिदाताओं से ₹3.01 लाख की कटौती नहीं की गई।

4.7.2 एनपीएस अंशदान में कम कटौती

4.7.2.1 केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग और सीएबी

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना (दिसम्बर 2003) के अनुसार, मासिक अंशदान वेतन और डीए का 10 प्रतिशत होगा जिसका कर्मचारी द्वारा भुगतान किया जाएगा और केन्द्र सरकार द्वारा समान राशि प्रदान की जाएगी। सीजीए का.ज्ञा. (सितम्बर 2008) के अनुसार, प्रत्येक अभिदाता के लिए अंशदान की सही और समय पर कटौती की जिम्मेदारी डीडीओ की है, ऐसा योजना के अंतर्गत अनिवार्य है।

लेखापरीक्षा ने पाया किः

- केन्द्र सरकार के 15 चयनित प्रधान लेखा कार्यालय में से 12 में, 901 चयनित अभिदाताओं में से 149 के संबंध में, 62 चयनित डीडीओ में से 29 में, संचयी रुप से ₹2.95 लाख **{अनुलग्नक XVI(क)}** का कम अंशदान काटा गया। इससे सरकार द्वारा उसी सीमा तक सह-अंशदान का कम भुगतान किया गया।
- केन्द्र सरकार के 11 चयनित स्वायत्त निकायों में से सात में, 12 चयनित डीडीओ में से सात में, 172 चयनित अभिदाताओं में से 42 के संबंध में ₹0.26 लाख के कम अंशदान **{अनुलग्नक XVI(ख)}** की कटौती की गई। इसके परिणामस्वरुप एबी द्वारा उसी सीमा तक सह-अंशदान का कम भुगतान किया गया है।

तालिकाः 4.16

केन्द्र सरकार/सीएबी	**कुल चयनित डीडीओ**	**चयनित डीडीओ जहाँ मुद्दा देखा गया**	**चयनित डीडीओ में कुल अभिदाता**	**अभिदाताओं की संख्या जिनमें मुद्दा देखा गया**	**नहीं काटी गई राशि का औसत (₹ में)**
केन्द्र सरकार	62	29	901	149	791.51@
सीएबी	12	7	172	42	168.36

@ अधिकांश उदाहरण ₹01 से ₹100 तक की सीमा में थे।

डीएफएस ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2019) में अपने विचार व्यक्त किया कि उन मामलों में जहां कम कटौती की गई है, डीएफएस की अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2019 के अनुसार कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

4.7.2.2 राज्य सरकारें और एसएबी

आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखण्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान और निकोबार की सरकारों द्वारा जारी किये गये आदेशों/परिपत्रों के अनुसार, मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता (यदि लागू हो) का 10 प्रतिशत के मासिक अंशदान, की कटौती की जाएगी और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समान अंशदान प्रदान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया किः

- चयनित नौ राज्यों/यूटी में से छः में, 150 चयनित डीडीओ में से 35 और राज्यों के एक डीटीओ, 2,210 चयनित अभिदाताओं में से 172 अभिदाताओं के लिए ₹92,797 की राशि की कम कटौती की गई थी **{अनुलग्नक XVII(क)}**; तथा
- आठ चयनित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में से पाँच में, एसएबी के 33 चयनित डीडीओ में से सात में, 539 चयनित अभिदाताओं में से 37 अभिदाताओं के लिए ₹19,955 राशि की कम कटौती की गई थी। **{अनुलग्नक XVII(ख)}**।

तालिकाः 4.17

राज्य सरकार/एसएबी (राज्य/यूटी)	**कुल चयनित डीडीओ**	**चयनित डीडीओ जहाँ मामले देखे गये**	**चयनित डीडीओ में कुल अभिदाता**	**अभिदाताओं की संख्या जिनमें मामले देखे गये**	**नहीं काटी गई राशि का औसत (₹ में)**
राज्य सरकार	150	35 डीडीओ+ 01 डीटीओ	2210	172	270.21@
एसएबी	33	07	539	37	169.70#

@ अधिकांश उदाहरण ₹1 से ₹300 की सीमा में थे और एक उदाहरण में राशि ₹9,000 से अधिक थी।

अधिकांश उदाहरण ₹1 से ₹200 की सीमा में थे और दो उदाहरणों में राशि ₹1,100 से अधिक थी।

कम कटौती के लिए उद्धृत कारणों में राज्यों में प्रणाली/सॉफ्टवेयर में समस्याएं और गलत गणना थी। कम कटौती उन चयनित महीनों में व्यक्तिगत प्रैन में जमा की गई राशि को प्रभावित करती है, और इस प्रकार उन अभिदाताओं के संबंध में संचित कोष को भी।

लेखापरीक्षा अवलोकन जाँच किए गये नमूनों पर आधारित हैं। विलम्ब चिन्हित करने के लिये सरकार सम्पूर्ण एनपीएस प्रकरणों की उपयुक्त जाँच कर सकती है और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकती है।

4.8 न्यासी बैंक में अंशदान का गैर-प्रेषण

एससीएफ के सफल अपलोड पर सीआरए प्रणाली एक विशिष्ट ट्राँजैक्शन आईडी निर्मित करती है। इसके बाद, न्यासी बैंक को एससीएफ के समतुल्य निधि का स्थानांतरण नोडल कार्यालयों द्वारा किया जाता है।

4.8.1 केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग और सीएबी

लेखापरीक्षा ने चार चयनित मंत्रालयों/विभागों में न्यासी बैंक को ₹5.20 करोड़ के अंशदान के गैर-प्रेषण के कुछ उदाहरणों को पाया, जैसा कि नीचे सारणीबद्ध हैः

तालिकाः 4.18

मंत्रालय/विभाग	लेखापरीक्षा अवलोकन (31 मार्च 2018 तक)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	₹4.47 करोड़ (449 अभिदाताओं से संबंधित) एम्स के दो डीडीओ द्वारा न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये थे।
कानून और न्याय मंत्रालय	चयनित किये गये पाँच डीडीओ में, से एक डीडीओ (उच्चतम न्यायालय) के पास पड़े ₹42.52 लाख (2009-10 से 2017-18 का अंशदान) को न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये थे।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.)	सात चयनित डीडीओ में से एक डीडीओ (पीएओ, डीएसटी) द्वारा ₹29.59 लाख न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये थे।
खान मंत्रालय	पाँच चयनित डीडीओ में से एक डीडीओ (भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता) के तहत दो चयनित कर्मचारियों के संबंध में ₹6,430 न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये थे।
कुल	**₹5.20 करोड़**

4.8.2 राज्य सरकारें और एसएबी

लेखापरीक्षा ने छः चयनित राज्यों और एक यूटी में न्यासी बैंक को ₹793.04 करोड़ के अंशदान के गैर-प्रेषण के कुछ उदाहरणों को पाया, जैसा कि नीचे सारणीबद्ध हैः

तालिका 4.19

राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश	राज्य सरकार/एसएबी	लेखापरीक्षा अवलोकन
आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार	₹200.22 करोड़ मार्च 2018 तक न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये।
	एसएबी	• ₹22.55 करोड़ (2014-15 से 2017-18 तक अंशदान) में से ₹5.08 करोड़ एएनजीआरएयू द्वारा न्यासी बैंक को प्रेषित नहीं किया गये। • 18 अभिदाताओं के ₹13.78 लाख बकाया अंशदानों में से ₹1.85 लाख एरिया हॉस्पीटल पार्वतीपुरम (विजयवाड़ा) द्वारा नहीं प्रेषित किए गए, क्योंकि यह राशि दिसम्बर 2018 तक वसूल नहीं की गई थी। • वर्ष 2011-18 से संबंधित ₹19.72 लाख इंटरमीडिएट माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा न्यासी बैंक में प्रेषित नहीं किया गया था।
राजस्थान	राज्य सरकार	₹325.06[48] करोड़ नवम्बर 2018 तक न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये।
	एसएबी	• नवम्बर 2018 तक राजस्थान राज्य खेल परिषद् द्वारा ₹1.65 करोड़ न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये। • मार्च 2018 तक जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड (जेसीटीएसएल) द्वारा ₹2.25 करोड़ न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये। • नगर निगम, जयपुर में सभी 1,247 कर्मचारियों के लिए एनपीएस अंशदान दिसम्बर 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए ₹1.33 करोड़ की कटौती की गई थी, लेकिन न्यासी बैंक में प्रेषित नहीं किया गया था।
उत्तराखण्ड	राज्य सरकार	• ₹150.76 करोड़ (नवम्बर 2005 से अप्रैल 2010 तक लीगेसी अंशदान) मार्च 2018 तक न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 2016-17 और 2017-18 के लिए लीगेसी राशि पर ₹25.09 करोड़ का ब्याज भी नहीं दिया। • ₹12.76 करोड़ (2010-11 से 2017-18 तक नियमित अंशदान) न्यासी बैंक को प्रेषित नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरुप, राज्य सरकार को उपरोक्त राशि पर ₹7.32 करोड़ का ब्याज-भार वहन करना होगा।
हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार	• मार्च 2018 तक ₹2.42 करोड़ न्यासी बैंक को प्रेषित नहीं किये गये।

48 जिसमें लीगेसी धनराशि से संबंधित ₹49.30 करोड़ शामिल है।

	एसएबी	• नवम्बर 2018 तक 91 अभिदाताओं का ₹3.24 करोड़ एचआरटीसी द्वारा न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये। • एचआरटीसी में, 15 चयनित कर्मचारियों में से 14 के संबंध में, अगस्त 2004 और अप्रैल 2011 की अवधि के लिए अंशदानों का बकाया ₹0.75 लाख की कटौती नहीं की गई थी। परिणामस्वरुप, उनके खाते में सरकारी अंशदान की समान राशि भी नहीं भेजी गई। • 15 चयनित कर्मचारियों में से 13 के मामले में, एचपीएसईबीएल शिमला द्वारा मार्च 2008 और जून 2016 की अवधि के ₹1.64 लाख की राशि के बकाया अंशदान की कटौती नहीं की गई। • जैडपी (कांगड़ा) में यह देखा गया कि ₹7.10 लाख की राशि का एनपीएस मासिक अंशदान चार महीने (फरवरी 2016, मार्च 2016, जनवरी 2017 और जनवरी 2018) के लिए न्यासी बैंक में प्रेषित नहीं किया गया था।
महाराष्ट्र	राज्य सरकार	मार्च 2018 तक ₹21.75 करोड़ न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये।
	एसएबी	अक्तूबर 2018 तक, जैडपी (नांदेड़) द्वारा ₹33.70 करोड़ न्यासी बैंक को प्रेषित नहीं किये गये।
झारखण्ड	एसएबी	मार्च 2018 तक राजेन्द्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान (राँची) द्वारा 31 कर्मचारियों के ₹3.77 लाख न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	एसएबी	जनवरी 2019 तक एमसीडी (उत्तर) द्वारा ₹7.69 लाख की लीगेसी राशि में से ₹6 लाख न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये।
कुल		**₹793.04 करोड़**

न्यासी बैंक में अंशदान के गैर-प्रेषण के कारणों में लीगेसी की राशि का मिलान न करना, प्रैन जारी न करना, अभिलेखों/आँकड़ों में असमानता/त्रुटियाँ आदि थीं।

डीएफएस ने उत्तर (दिसम्बर 2019) दिया कि चूँकि न्यासी बैंक को अंशदान का गैर-प्रेषण एनपीएस अभिदाता के खाते में अंशदान भेजने में देरी का कारण बन सकता है, जिससे अभिदाता को मौद्रिक नुकसान होता है, नोडल कार्यालयों को डीएफएस के 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, 2012 के बाद के मामलों के लिए क्षतिपूर्ति और इन मामलों में दण्डात्मक प्रावधानों को लगाने के लिए सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

डीएफएस ने आगे उत्तर दिया (मई 2020) कि इस तरह के कदमों (दिनांक 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिसूचित) को स्वायत्त निकायों/पीएसयू द्वारा आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए अपनाने चाहिये। डीएफएस ने डीओई से अनुरोध किया कि इस मामले में उपयुक्त स्पष्टीकरण ऐसे सभी निकायों को दिया जाये, क्योंकि इन निकायों में एनपीएस का लागू होना डीओई द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह भी सूचित किया गया कि सरकारी नोडल कार्यालय पर एनपीएस अंशदान की विलम्ब से कटौती एवं जमा करवाने पर दण्डात्मक कार्रवाई करने के प्रावधान को शामिल करते हुए पीएफआरडीए अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा अवलोकन जाँच किए गये नमूनों पर आधारित हैं। विलम्ब चिन्हित करने के लिये सरकार सम्पूर्ण एनपीएस प्रकरणों की उपयुक्त जाँच कर सकती है और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकती है।

अनुशंसाः डीएफएस सुनिश्चित कर सकती है कि पीएफआरडीए अधिनियम में किया जा रहा संशोधन स्पष्ट रुप से प्रत्येक स्तर पर (जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1952 में कर्मचारियों के लिए है) जिम्मेदारी, जवाबदेही और देरी के लिए दंड को परिभाषित करे ताकि यह सुनिश्चित हो कि निर्धारित समय के भीतर एनपीएस के अभिदाताओं का अंशदान न्यासी बैंक को भेजा गया है तथा अभिदाता के प्रैन में जमा किया गया है।

4.9 एनपीएस से निकास/प्रत्याहरण

अधिसूचना (दिसम्बर 2003) के अनुसार व्यक्ति सामान्य रुप से 60 वर्ष की आयु पर अथवा उसके बाद बाहर निकल सकते हैं और बाहर निकलने पर व्यक्ति को अनिवार्य रुप से पेंशन संपत्ति का 40 प्रतिशत निवेश वार्षिकी (आईआरडीएआई विनियमित जीवन बीमा कंपनी से) खरीदने में किया जाएगा। यह भी कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृति के समय कर्मचारी और उसके आश्रित माता-पिता और उनके पति या पत्नी को जीवन भर के लिए पेंशन, वार्षिकी को प्रदान करना था। व्यक्ति को शेष पेंशन-संपत्ति एक मुश्त प्राप्त होगी, जिसे वह किसी भी तरीके से उपयोग करने के लिए स्वंतत्र होग और व्यक्ति के पास 60 वर्ष की आयु से पहले पेंशन प्रणाली को छोड़ने की स्वतंत्रता होगी। हालाँकि, इस मामले में अनिवार्य वार्षिकीकरण पेंशन संपत्ति का 80 प्रतिशत होगा।

पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास एवं प्रत्याहरण) विनियम, 2015 एनपीएस से निकास अथवा प्रत्याहरण पर अभिदाताओं के हित में एक प्रभावी व्यवस्था प्रदान करने का लक्ष्य रखता है जिसमें व्यक्तिगत पेंशन खाते से निकासी की शर्तें, उद्देश्य आवृत्ति और सीमाएं भी शामिल है, ऐसी स्थितियां भी जिसके अधीन अंशदाता एनपीएस से बाहर निकल सकेगा और वार्षिकी खरीदेगा। निकास/प्रत्याहरण के मामले के अंतिम निपटान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

4.9.1 केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग

लेखापरीक्षा ने पाया कि खान मंत्रालय के पाँच चयनित डीडीओ में से एक में, 13 से 1,412 दिनों की अवधि में 10 मामलों को निपटाया गया और दो मामलों को क्रमशः 1,825 दिनों और 2,555 दिनों की अवधि के बाद भी अंतिम रुप नहीं दिया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और जल संसाधन मंत्रालय के तीन डीडीओ में 98 कर्मचारियों के मामलों का निपटारा नहीं किया गया, पाँच कर्मचारियों के मामलों का निपटान 116 से 155 दिनों के बीच किया गया और 44 कर्मचारियों के मामलों का निपटान 120 से 3,795 दिनों के भीतर किया गया।

4.9.2 राज्य सरकारें

लेखापरीक्षा ने पाया किः

- हिमाचल प्रदेशः जून 2010 के दौरान एनपीएस को अपनाते समय राज्य सरकार द्वारा अंतिम भुगतान मामलों की प्रक्रिया के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई थी। जुलाई 2016 से ही अंतिम भुगतान मामलों को अंतिम रुप देने के लिए समय-सीमा तय की गई थी; तथा

- महाराष्ट्रः राज्य रिकार्ड कीपिंग एजेंसी ने निकास अनुरोधों की प्रक्रिया के लिए समय-सीमा (फरवरी 2017) निर्धारित की थी, जो पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार थी। समय-सीमा के अनुसार, सेवानिवृत्ति, मृत्यु और समयपूर्व सेवानिवृत्ति के मामलों में, डीडीओ को सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ अंतिम भुगतान मामले को डीटीओ के पास भेजना था, जिसे सीआरए साफ्टवेयर में प्रवेश के सात दिनों के भीतर इन मामलों को सीआरए को अग्रेषित करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, अंतिम निपटान/धन वापसी के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई थी।

निकास मामलों में निपटान में देरी/लंबित होना निम्न कारणों से हुईः

- संबंधित एनपीएस अभिदाताओं या कानूनी उत्तराधिकारियों (आंध्र प्रदेश) से दावों के उचित प्रपत्रों की प्राप्ति नहीं होना तथा
- मृत्यु पर एनपीएस राशि के निपटान के लिए उचित दिशानिर्देशों का अभावः मृतक के परिवार के सदस्यों ने कुछ मामलों (कर्नाटक) में निपटान के लिए आवेदन नहीं किया था।

अंतिम भुगतान मामलों को अंतिम रुप देने में देरी के लिए डीटीओ ने मामलों को आगे बढ़ाने में देरी बताया था।

लेखापरीक्षा ने मामलों के निपटान में देरी के साथ-साथ लम्बित निपटान को भी देखा, जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया हैः-

तालिकाः 4.20

राज्य सरकारें/ केन्द्र शासित प्रदेश	निपटारा हए/लंबित मामले
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पाँच चयनित डीडीओ में, • 180 दिनों के बाद 14 मामले का निपटान हुआ • 31 लंबित मामले जिनमें ₹93.73 लाख शामिल हैं।
आंध्र प्रदेश	31 मार्च 2018 में 55 लंबित मामले
महाराष्ट्र	दो डीटीओ और चार डीडीओ में • 90 दिनों के भीतर 148 मामलों का निपटान किया गया • तीन मामलों में 180 दिन से अधिक लगे • 31 मार्च 2018 में 33 लंबित मामले
कर्नाटक	20 चयनित डीडीओ में से 10 • 14 मामलों को दो से 34 महीनों के भीतर सुलझा लिया गया था। लंबित मामले • एक वर्ष से कम समय के लिए एक मामला • एक से चार साल के लिए चार मामले • तीन से अधिक वर्षों के लिए 10 मामले
उत्तराखण्ड	पाँच चयनित डीडीओ में, • 90 मृत्यु के मामलों के निपटान में एक महीने से लेकर 58 महीने तक लगे • अक्तूबर 2018 में 33 मामले लंबित थे।
दिल्ली	दो चयनित डीडीओ में, 33 मामलों में से चार के निपटान के लिए 105 से 148 दिन लगे।
हिमाचल प्रदेश	अंतिम रुप दिए गए 3,358 मामलों (पूरे राज्य के लिए) में से

	• 90 दिनों के भीतर 949 मामलों का निपटारा किया गया • 90-180 दिनों के भीतर 648 मामले और • 180 दिनों के बाद 1,761 मामले 268 लंबित मामले (31 मार्च 2018 तक) 20 चयनित डीडीओ में 471 मामलों में से • 152 को दो महीने के भीतर डीडीओ द्वारा एनएसडीएल को भेज दिया गया • 297 प्रकरणों को डीडीओ द्वारा तीन से 75 माह में एनएसडीएल को भेजा गया था। • अक्तूबर 2012 और मार्च 2018 (31 अक्तूबर 2018 तक) की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से संबंधित 22 लंबित मामले
एसएबी	**सुलझे/लंबित मामले**
हिमाचल प्रदेश	दो एसएबी में, 103 मामलों में से, • 21 मामले में 90 दिन से कम समय लगा • 24 मामलों में 90 से 180 दिन लगे • 58 मामलों में 180 से अधिक दिन लगे
दिल्ली नगर निगम (पूर्व, उत्तर, दक्षिण)	8 निकास मामले 31 दिसंबर 2018 तक लंबित है, जिसमें 6 महीने से लेकर 38 महीने तक लंबित अवधि है।
दिल्ली जल बोर्ड (I और III)	सात मामले (141 से 1,542 दिनों तक लंबित)

डीएफएस ने सूचित किया (दिसम्बर 2019) कि पीएफआरडीए ने प्रस्तुत किया है कि पूर्वोक्त विलम्ब संबंधित नोडल कार्यालयों की ओर से निकास मामलों के प्रारम्भ में देरी को दर्शाता है। डीएफएस ने आगे अपना विचार व्यक्त किया कि नोडल कार्यालयों में बीच अनुशासन बनाए रखने और अंशदाता को नुकसान न हो, इसके लिए ऐसे मामलों के लिए दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाने की आवश्यकता है। इस पर डीएफएस में सक्रिय रुप से विचार किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा अवलोकन जाँच किए गये नमूनों पर आधारित है। विलम्ब चिन्हित करने के लिये सरकार सम्पूर्ण एनपीएस प्रकरणों की उपयुक्त जाँच कर सकती है और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकती है।

अध्याय 5 - निगरानी

निगरानी किसी भी योजना का अभिन्न अंग होती है। निगरानी सुनिश्चित करती है कि योजना निर्मित/विचारित करते समय निर्धारित की गई दिशा में प्रगति कर रही है। निगरानी में योजना से संबंधित सूचना का संग्रहण व विश्लेषण सम्मिलित है जो कि योजना के कार्यान्वयन के दौरान ही किया जाता है। प्रभावी निगरानी तंत्र एनपीएस अभिदाताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करेगा, व्यक्ति विशेष के प्रैन में समय से धन का जमा होना सुनिश्चित करेगा जो कि योजना के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है और अन्ततः एनपीएस में परिकल्पित अपेक्षित[49] प्रतिस्थापन दरें सुनिश्चित करेगा।

योजना व उसके कार्यान्वयन में कमजोर क्षेत्रों की पहचान व योजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मूल्यांकन योजना का आवधिक, भूतलक्षी आकलन है जो कि आंतरिक रूप से अथवा बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों से करवाया जा सकता है जिससे कि योजना में मध्यावधि में सुधार किया जा सके।

निगरानी व मूल्यांकन योजना के कार्यान्वयन की दक्षता का आकलन करने व मध्यावधि सुधार करने हेतु आवश्यक कदमों की पहचान करने में सहायता प्रदान करते हैं जिससे इस संदर्भ में सरकारी नीति के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जा सके।

5.1 निगरानी

निगरानी तंत्र के मुख्य स्तंभ इस प्रकार हैं:

- एनपीएस के कार्यान्वयन की देख-रेख करने के लिये उत्तरदायी प्राधिकारी

  "पेंशन सुधारों में समस्याएं" पर आयोजित की गई बैठक (30 मई 2008) में यह निर्णय लिया गया कि एनपीएस के अन्तर्गत सभी लेखा-गठनों के लिये प्रणालियों व प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की देख-रेख हेतु व्यय विभाग द्वारा सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी।

- निगरानी के लिये उत्तरदायी प्राधिकारीः

  डीओई के दिनांक 3 फरवरी 2009 के का.ज्ञा. के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों (केन्द्र सरकार के) को संयुक्त सचिव (प्रशासन) व प्रधान सीसीए[50]/सीसीए को सम्मिलित करते हुए एक समिति का गठन करना था

---

[49] जैसा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित (अगस्त 2003) टिप्पण में इंगित किया गया है।

[50] मुख्य लेखा नियंत्रक

और बाद में (जुलाई 2011) एनपीएस की निगरानी के लिये प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में गठित की जाने वाली समिति में वित्तीय सलाहकारों को भी सम्मिलित किया गया था।

- मुख्य संकेतक और आँकड़ों के संग्रहण की आवृत्ति

  समीक्षा बैठक (6 जुलाई 2011) में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग में एनपीएस का कार्यान्वयन एफए का एक मुख्य निष्पादन क्षेत्र होगा। एफए अपने संबंधित मंत्रालयों/विभागों में एनपीएस के कार्यान्वयन व निगरानी के संबंध में निम्न मापदंडों पर तिमाही निष्पादन प्रतिवेदन (क्यूपीआर) अपलोड करेंगे: I. आईआरएअनुपालन स्थिति II. एससीएफ अपलोड स्थिति III. एससीएफ लम्बित स्थिति IV. एससीएफ नियमितता स्थिति V. शिकायत स्थिति

परिकल्पित व्यवस्था प्रक्रिया के बावजूद, लेखापरीक्षा ने एनपीएस की निगरानी में निम्न कमियां पाई जिसने एनपीएस अभिदाताओं के हितों को प्रतिकूल रुप से प्रभावित किया। कुछ समस्याओं का समाधान महत्वपूर्ण विलम्ब के पश्चात् अब कर लिया गया है जबकि कुछ समस्याएँ समाधान के लिए शेष हैं।

5.1.1 एनपीएस की देखरेख व निगरानी के लिये समितियों का गठन न किया जाना।

मई 2008 में यह निर्णय लिया गया कि एनपीएस के अंतर्गत सभी लेखा गठनों के लिये प्रणालियों व प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की देखरेख हेतु व्यय विभाग द्वारा सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा।

फरवरी 2009 में यह निर्णय लिया गया कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों में एनपीएस के प्रचालन की निगरानी करने के लिये मंत्रालयों/विभागों (केन्द्र सरकार के) को संयुक्त सचिव (प्रशासन) व प्रधान सीसीए/सीसीए को सम्मिलित करते हुए संबंधित मंत्रालयों/विभागों में एक समिति का गठन करना होगा। बाद में (जुलाई 2011) यह निर्णय लिया गया कि इन समितियों का गठन व्यापक होना चाहिए जिससे कि मंत्रालयों/विभागों के एफए को सम्मिलित किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2012-13 से 2018-19 की अवधि के दौरान 66-68 मंत्रालयों/विभागों में से कुछ मंत्रालयों/विभागों ने समितियाँ नहीं बनायी तथा कुछ ने विलम्ब के बाद बनाई।

मई 2015 में पीएफआरडीए ने भी केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों व विभागों को एनपीएस के प्रचालन की निगरानी करने के लिये एक समिति का गठन करने व नियमित रूप से उस समिति की बैठक आयोजित करने का आग्रह किया।

हालाँकि, अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में समितियों के गठन व उनके प्रकार्यों का मूल्यांकन करने के लिये डीओई द्वारा किये गये प्रयासों को इंगित करें।

डीओई ने लेखा परीक्षा को सूचित (जनवरी 2019) किया कि सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में ऐसी किसी समिति के गठन के संकेत नहीं थे तथा एनपीएस के उचित क्रियान्वयन की निगरानी प्रत्येक मंत्रालय में गठित समिति, जिसमें एफए एक सदस्य के रूप में थे, के द्वारा की जा रही थी।

डीएफएस ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2019) में कहा कि डीओई ने एनएसडीएल से वर्ष 2011-12 के क्यूपीआर के सन्दर्भ में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के निष्पादन पर सार-संक्षेप प्राप्त करने के संबंध में सूचित किया था और उसे सुधारात्मक कार्रवाई के लिये संबंधित एफए को भेज दिया (जून 2012) गया था।

हालाँकि, यह पाया गया कि क्यूपीआर के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के निष्पादन पर उस सार-संक्षेप में मंत्रालयों/विभागों में समितियों के गठन की सूचना नहीं थी तथा वह केवल क्यूपीआर की प्रक्रिया में एफए की भागीदारी को इंगित कर रहा था। इसके अतिरिक्त, दिये गये उत्तर शेष मंत्रालयों/विभागों में ऐसी समितियों के गठन व प्रकार्यों को सुनिश्चित करने तथा संबंधित एफए द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई को आगे बढाने पर डीओई द्वारा बाद में (20 जून 2012 से 1 जुलाई 2019 तक) किये गये प्रयास पर मौन था। यह डीओई की जिम्मेदारी थी कि वह सुनिश्चित करे कि ऐसी सभी समितियों का गठन हो व उसी अनुसार कार्य करें जैसा कि परिकल्पित किया गया है, जो कि डीओई द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि एनपीएस की प्रभावी निगरानी के लिये सभी मंत्रालयों/विभागों में समितियां बनायी जायें।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि डीओई ने दिनांक 2 जुलाई 2019 के अपने का.ज्ञा. में प्रत्येक मंत्रालय में एक समिति गठित करने (जैसा कि दिनांक 3 फरवरी 2009 के का.ज्ञा. द्वारा पहले किया गया था) के अपने अनुदेशों को पुनः जारी किया। इसने निगरानी प्रक्रिया पर अर्ध-वार्षिक स्थिति प्रतिवेदन प्राप्त करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के एफए से लेकर डीओपीपीडब्ल्यू को दे दी है।

5.1.2 एफए द्वारा डैशबोर्ड का प्रयोग न किया जाना

समीक्षा बैठक (6 जुलाई 2011) में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग में एनपीएस का कार्यान्वयन एफए का एक मुख्य निष्पादन क्षेत्र

होगा और वे अपने मंत्रालयों/विभागों में एनपीएस के कार्यान्वयन और निगरानी से संबंधित एक विस्तृत तिमाही प्रतिवेदन डीओई को प्रस्तुत करेंगें। तदनुसार, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के एफए को सीआरए की वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड उपलब्ध कराया गया जहाँ पर वे अपने मंत्रालयों/विभागों में एनपीएस के कार्यान्वयन व निगरानी से संबंधित क्यूपीआर को अपलोड कर सकते थे।

डीओई द्वारा उपलब्ध करवायी गई एफए से संबंधित तिमाही-वार जानकारी की जांच ने दर्शाया कि सभी एफए डैशबोर्ड का प्रयोग नहीं कर रहे तथा वार्षिक आधार पर भी कोई टिप्पणी नहीं दे रहे थे जैसा कि नीचे तालिका 5.1 में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 16 मंत्रालयों/विभागों के एफए ने डैशबोर्ड का कभी प्रयोग नहीं किया। 15 मंत्रालयों/विभागों के एफए ने 1-5 बार, 20 मंत्रालयों/विभागों के एफए ने 6-10 बार तथा शेष 17 मंत्रालयों/विभागों के एफए ने 14-28 बार डैशबोर्ड का प्रयोग किया जिसका विवरण **अनुलग्नक XVIII** में दिया गया है।

सभी एफए द्वारा डैशबोर्ड के प्रयोग की परिकल्पित संख्या (तिमाही प्रयोग के आधार पर) के संबंध में डैशबोर्ड के प्रयोग व टिप्पणियों की संख्या को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका: 5.1

वर्ष	मंत्रालयों/ विभागों की संख्या	वर्ष में कम से कम एक बार डैशबोर्ड का प्रयोग करने वाले एफए की कुल संख्या	वर्ष में कम से कम एक बार टिप्पणी देने वाले एफए की कुल संख्या	प्रयोग किये जाने वाले डैशबोर्ड/ दी जाने वाली टिप्पणियों की कुल संख्या*	प्रयोग किये गये डैशबोर्ड की कुल संख्या	अवसरों की कुल संख्या जब टिप्पणी दी गई
2011-12 (अक्तूबर 2011 से)	66	31	14	132	48	14
2012-13	66	50	35	264	177	112
2013-14	67	38	26	268	105	75
2014-15	67	17	16	268	67	65
2015-16	68	18	17	272	61	60
2016-17	68	13	13	272	51	49
2017-18	68	14	13	272	47	43
2018-19 (सितम्बर 2018 तक)	68	11	11	136	22	22

*मंत्रालयों की संख्या x तिमाहियों की संख्या

एफए द्वारा अनुपालन की जाँच करने की क्रियाविधि के संबंध में डीओई ने कहा (जनवरी 2019) कि एनपीएस एक कर्मचारी केन्द्रित व विभाग केन्द्रित प्रणाली है और एनपीएस के कार्यान्वयन की निगरानी संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी व एफए सर्वोत्तम ढंग से कर सकते हैं। डीओई ने यह भी कहा कि आवश्यक कार्रवाई के लिये वह संबंधित प्राधिकारियों को निर्देशित कर सकती है। जाँच करने के लिये डीओई में किसी संस्थागत तंत्र की आवश्यकता नहीं है। डीओई ने आगे कहा कि इस टीयर पर एनपीएस को 14 वर्ष हो चुके हैं तथा यह काफी स्थिर हो चुका है।

डीओई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पीएफआरडीए द्वारा प्रदान किये गये आँकड़ों के अनुसार एनपीएस के कार्यान्वयन में अभी भी समस्याएँ थीं।

उदाहरण के लिये, 30 अप्रैल 2018 को केन्द्र सरकार के कुल सिविल अभिदाताओं के 80 प्रतिशत से अधिक अभिदाता गृह मंत्रालय के थे। वर्ष 2008-09 से 2016-17 के दौरान 29,597 ऐसे अवसर थे जहाँ जमा होने में एक वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ (डीडीओ वार तथा माह-वार क्रेडिट)। यह इंगित करता है कि डैशबोर्ड के द्वारा एनपीएस के कार्यान्वयन की निगरानी की लगातार आवश्यकता एफए को है। डीओई के दिनांक 2 जुलाई 2019 के का.ज्ञा. के द्वारा प्रत्येक मंत्रालय में समिति के गठन की आवश्यकता से संबंधित अनुदेशों की पुनरावृत्ति लेखापरीक्षा निष्कर्ष को साबित करती है।

5.2 अभिदाताओं की शिकायतों का निवारण

पीएफआरडीए (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 ने अभिदाताओं को शिकायतों के निवारण की स्पष्ट प्रक्रिया उपलब्ध करायी जिसमें समाधान की समय-सीमा सम्मिलित थी तथा समाधान न होने की स्थिति में दंड प्रावधानों के साथ उच्चतर टीयर पर समाधान की प्रक्रिया थी। शिकायत का समाधान न होने अथवा संतोषजनक समाधान न होने की स्थिति में अभिदाता अपनी शिकायत के समाधान के लिये उसे एनपीएस न्यास को भेज सकता है। इसके अतिरिक्त, विनियमों में दी गई क्रिया-विधि के अनुसार, शिकायत का समाधान करने के लिये एनपीएस न्यास संबंधित कार्यालय से प्रकरण पर बातचीत करता है और यदि फिर भी शिकायत का निवारण नहीं होता तो शिकायतों को उच्चतर टीयर पर पीएफआरडीए के पास भेज दिया जाता है। तत्पश्चात, पीएफआरडीए निर्धारित अवधि में समाधान उपलब्ध कराने के लिये पर्यवेक्षण कार्यालयों[51] के साथ बातचीत करता है।

---

[51] केन्द्र सरकार में प्रधान लेखा कार्यालय तथा राज्य सरकार में नामित प्राधिकरण

केन्द्र सरकार/सीएबी/राज्य सरकार/एसएबी में शिकायतों की मुख्य श्रेणी निम्न है:

- अंशदान धनराशि का खाते में परिलक्षित न होना
- अंशदान धनराशि अपलोड करने में विलम्ब
- नोडल कार्यालय के विरूद्ध न्यासी बैंक की शिकायत
- गलत अंशदान धनराशि का परिलक्षित होना
- अभिदाता द्वारा परिवर्तन के अनुरोध पर कार्रवाई न करना/विलम्ब से करना
- प्रैन कार्ड से संबंधित- अन्य
- ट्रांजैक्शन विवरणी से संबंधित
- टियर-II से संबंधित
- आहरण से संबंधित

जैसा कि पैरा 4.1.2 में चर्चा की गई है, गलती करने वाले नोडल कार्यालयों पर दंड लगाने के मुद्दे पर पीएफआरडीए ने उत्तर दिया कि गलती करने वाले नोडल कार्यालयों पर दंड लगाने का प्रावधान पीएफआरडीए विनियमों में नहीं था, चूँकि मौजूदा स्थिति में विशेषतया सरकारी नोडल कार्यालयों के लिये प्रावधान पीएफआरडीए द्वारा निर्मित नहीं किये गये हैं। हालाँकि, पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की धारा 28 के अंतर्गत किसी मध्यस्थ अथवा किसी ऐसे व्यक्ति जिसे अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों तथा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना हो, के असफल होने पर दंड एवं न्याय निर्णयन वर्णित किए गए थे।

पीएफआरडीए का उत्तर इंगित करता है कि चूँकि सरकारी नोडल कार्यालय मध्यस्थ के रूप में पंजीकृत नहीं थे इसलिये शिकायत निवारण समय-सीमा का अनुपालन न करने अथवा समय से अनुपालन न करने के लिये उन पर दंड लागू नहीं थे। अतः सरकारी नोडल कार्यालयों को मध्यस्थ के रूप में पंजीकृत न करने व इन कार्यालयों पर दंड न लगाये जाने के कारण शिकायत निवारण समय-सीमा के साथ उपरोक्त शिकायतों के मुख्य वर्गों का समय से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

तालिका: 5.2

1 अप्रैल को बकाया शिकायतों की कुल संख्या '(ख)' में से एक वर्ष अथवा उससे अधिक समय से बकाया शिकायतें '(क)'												
वर्ष	**2013**		**2014**		**2015**		**2016**		**2017**		**2018**	
क्षेत्र	**क**	**ख**	**क**	**ख**	**क**	**ख**	**क**	**ख**	**क**	**ख**	**क**	**ख**
केन्द्र सरकार	5,924	6,561	6,366	6,786	1,401	2,092	646	1,018	365	773	192	596
केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	438	623	616	806	562	562	176	377	138	282	50	199
राज्य सरकार	1,100	1,701	1,579	2,155	705	2,011	220	638	77	385	1	320
राज्य स्वायत्त निकाय	18	33	33	94	32	192	104	365	315	493	74	275

डीएफएस ने अपने उत्तर (दिसंबर 2019) में कहा कि पीएफआरडीए ने सूचित किया था कि सरकारी क्षेत्र पर दंड/विनियमों के लिये कोई प्रावधान न होने के कारण अभिदाता के हितों की रक्षा हेतु पीएफआरडीए द्वारा सरकारी नोडल कार्यालयों से शिकायतों के शीघ्र निवारण हेतु लगातार बातचीत की जा रही है।

5.3 अतिरिक्त राहत प्रदान करने के लिये प्रकरणों को अंतिम रूप देने में समस्याएं

डीओपीपीडब्ल्यू ने (दिनांक 5 मई 2009 के का.ज्ञा. द्वारा) अशक्तता/विकलांगता के कारण सेवानिवृत्त हुये केन्द्र सरकार के एनपीएस अभिदाताओं तथा एनपीएस के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के मृत कर्मचारियों के परिवारजनों को वैकल्पिक रूप से अशक्तता पेंशन/पारिवारिक पेंशन जैसी अतिरिक्त राहत अनंतिम आधार पर दी। ऐसा, 1 जनवरी 2004 को अथवा उसके बाद नियुक्त किये गये कर्मचारियों जिन्हें अशक्तता/विकलांगता के कारण हटा दिया गया था तथा उन कर्मचारियों, जिनकी मृत्यु 1 जनवरी 2004 को या बाद में सेवाकाल के दोरान हुई थी, के द्वारा उनके या परिवारों द्वारा उठाई जा रही कठिनाईयों को कम करने के लिये किया गया था। विकल्प के अन्तर्गत अभिदाता/परिवार के सदस्य या तो पुरानी पेंशन योजना के लाभों को चुन सकते थे अथवा एनपीएस के अंतर्गत प्रदत्त लाभों को चुन सकते थे।

पीएफआरडीए (एनपीएस के अन्तर्गत निकासी एवं प्रत्याहरण) विनियम 2015 के अनुसार, यदि कोई अभिदाता अथवा उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार का

सदस्य मृत्यु अथवा नि:शक्तता होने पर सरकार अथवा नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त राहत का विकल्प चुनता है तो सरकार के पास अभिदाता की सम्पूर्ण जमा पेंशन धनराशि को समायोजित करने अथवा अपने पास स्थानांतरित करने का अधिकार होगा।

इस संदर्भ में, नोडल कार्यालय को एनएसडीएल-सीआरए को अनुरोध प्रस्तुत करना होता है। नोडल कार्यालय से अनुरोध प्राप्त होने के बाद, यदि सभी दस्तावेज सही हों तो सीआरए प्रणाली में 'अशक्तता/पारिवारिक पेंशन' प्रत्याहरण अनुरोध कार्यान्वित किया जाता है तथा नोडल कार्यालय को निधि स्थानांतरित कर दी जाती है। हालाँकि, यदि नोडल कार्यालय ने 'अशक्तता/पारिवारिक पेंशन' के लिये अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया तथा निकासी/मृत्यु प्रत्याहरण अनुरोध पर कार्रवाई कर दी तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निधि को नोडल कार्यालय द्वारा प्रदान किये गये दावेदार के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

पीएफआरडीए ने पाया (जुलाई 2014) कि कुछ राज्य सरकारें, राजकीय/केन्द्रीय स्वायत्त निकाय आदि भी एनपीएस के अन्तर्गत आने वाले अपने कर्मचारियों को ऐसी राहत प्रदान कर रहे थे, हालाँकि इस संबंध में उनसे कोई सम्पर्क नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, इसने इस सम्भावना को इंगित किया कि चाहे जानबूझकर अथवा अनजाने में अभिदाता/परिवार के सदस्य दोनों लाभ ले सकते हैं। इस समस्या के समाधान के लिये, इसने नोडल कार्यालय (पीएओ/डीडीओ) से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना प्रारम्भ कर दिया (मार्च 2014) जिसमें यह वर्णित हो कि मृत अभिदाता के परिवार के सदस्यों/अभिदाता से पारिवारिक/अशक्तता पेंशन प्राप्त करने के लिये कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है तथा उन्हें एनपीएस लाभ निर्गत करने में कोई आपत्ति नहीं है। पीएफआरडीए ने सभी सरकारी विभागों व एबी से पारिवारिक पेंशन/अशक्तता पेंशन या कोई अन्य लाभ के भुगतान के लिये प्राप्त आवेदनों से संबंधित विवरण मांगे थे।

पीएफआरडीए ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (दिसम्बर 2018) कि सीआरए ने 102 नोडल कार्यालयों (प्रधान एओ/डीटीए) से सूचना प्राप्त की है कि 2,822 अभिदाताओं को पारिवारिक पेंशन/अशक्तता पेंशन का भुगतान कर दिया गया है/दिया जाना है। लेखापरीक्षा ने पाया कि इनमें से 552 अभिदाता केन्द्र सरकार के सिविल मंत्रालयों/विभागों से तथा शेष 2,270 अभिदाता सीएबी को सम्मिलित करते हुए केन्द्र सरकार के रेलवे, रक्षा एवं डाक विभागों से और एसएबी को सम्मिलित करते हुये राज्य सरकारों के विभागों से थे।

लेखापरीक्षा ने सीपीएओ से ऐसे प्रकरणों का विवरण भी मांगा (अक्तूबर 2018) जो सिविल मंत्रालयों/विभागों (रेलवे, डाक, रक्षा को छोड़कर) के पेंशन मामलों से

संबंधित है। उत्तर में, सीपीएओ ने सूचित किया (नवम्बर 2018) कि सिविल मंत्रालयों/विभागों (दिल्ली प्रशासन तथा अंडमान व निकोबार यूटी को सम्मिलित करते हुए) के एनपीएस अभिदाताओं/परिवारों के 4,767 प्रकरणों में डीओपीपीडब्ल्यू के दिनांक 5 मई 2009 के का.ज्ञा. के अनुसार अशक्तता/पारिवारिक पेंशन के लाभ मिल चुके हैं/मिलने के लिये पात्र हैं।

यह देखा गया कि पीएफआरडीए के पास कुल 2,822 प्रकरण के विवरण थे जिसमें से केवल 552 केन्द्र सरकार के सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित थे जबकि सीपीएओ ने 4,767 प्रकरणों की सूचना दी थी। इस प्रकार उपरोक्त से नोडल कार्यालय, सीपीएओ तथा सीआरए/पीएफआरडीए के मध्य समन्वय की कमी अथवा सूचना साझा करने की क्रिया विधि का अभाव स्पष्ट था।

आँकड़ों को पुनः संबद्ध तथा उनका और विश्लेषण करने के लिये सीपीएओ से प्राप्त आँकड़ों को स्थिति/विवरण मांगते हुए पीएफआरडीए के पास अग्रेषित किया गया था। उत्तर में, सीआरए/पीएफआरडीए ने 4,361 प्रकरणों की स्थिति/विवरण प्रदान किया। हालाँकि, स्थिति/विवरण से संबंधित वर्ष तथा पेंशन के प्रकार नामतः असाधारण पेंशन अथवा पुरानी पेंशन आदि की सूचना सीआरए/पीएफआरडीए द्वारा नहीं दी गई।

सीपीएओ द्वारा प्रदान किये गये आँकड़ों (4,361 प्रकरण) तथा सीआरए/पीएफआरडीए द्वारा प्रदान की गई स्थिति/विवरण की जाँच में लेखापरीक्षा ने निम्न पाया:

- 149 मृत्यु के प्रकरणों में सरकार के हित सुरक्षित थे जिसमें मई 2016 से दिसम्बर 2018 के दौरान नोडल कार्यालय को ₹6.94 करोड़ स्थानांतरित किये गये। पीएफआरडीए ने उत्तर दिया कि नोडल कार्यालयों ने पारिवारिक पेंशन के बारे में सीआरए को सूचित किया था व प्रत्याहरण के लिये अनुरोध प्रस्तुत किया था तथा तद्नुसार निधियों को संबंधित नोडल कार्यालय को स्थानांतरित किया गया था।
- 82 प्रकरणों में जैसा कि नीचे चर्चा की गई है, अभिदाताओं/परिवार को सदस्यों के निधि निर्गत कर दी गई थी जबकि उन्हें अशक्तता पेंशन/पारिवारिक पेंशन के लाभ भी मिल रहे थे:
    - 76 प्रकरणों में सरकारी खाते के स्थान पर अभिदाता/परिवार के सदस्यों को ₹2.11 करोड़ की धनराशि स्थानांतरित की गई। इन 76 प्रकरणों में से 39 प्रकरण 2004-05 से 2013-14 (₹57.11 लाख) की अवधि से तथा 37 प्रकरण (₹1.54 करोड़) 2014-15 से 2017-18 की

अवधि से संबंधित थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीपीएओ अथवा पीएफआरडीए के पास कोई स्पष्टता नहीं थी कि इन प्रकरणों में जारी की गई निधियों की वसूली अशक्तता/पारिवारिक पेंशन की धनराशि से की जा रही थी या नहीं।

पीएफआरडीए ने कहा (अप्रैल 2019) कि दावेदारों को निधि निर्गत कर दी गई थी क्योंकि नोडल कार्यालय द्वारा मृत्यु प्रत्याहरण अनुरोध पारिवारिक पेंशन के भुगतान के वर्णन के बिना प्रस्तुत किया गया था। इसने आगे कहा कि संबंधित नोडल कार्यालय पेंशन भुगतानों की राशि से वसूली/समायोजन का विवरण प्रदान करने की स्थिति में होंगे। सीपीएओ ने कहा (मई 2019) कि इसने पीएओ द्वारा अग्रेषित एनपीएस के अन्तर्गत पारिवारिक/नि:शक्तता पेंशन प्रकरणों का भुगतान किया था तथा उसके पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी कि क्या अभिदाता पारिवारिक पेंशन तथा एनपीएस प्रत्याहरण दोनों का लाभ ले रहा था।

- 6 प्रकरणों में ₹6.98 लाख की धनराशि नोडल कार्यालय द्वारा गलत प्रत्याहरण अनुरोध (पारिवारिक पेंशन का स्थान पर 'मृत्यु के कारण निकासी' अथवा 'समयपूर्व निकासी') के कारण अभिदाताओं/परिवार के सदस्यों को स्थानांतरित कर दी गई थी।

पीएफआरडीए ने सूचित किया (अप्रैल 2019) कि तीन प्रकरणों में 20 प्रतिशत कोष को अभिदाताओं/पारिवारिक सदस्यों को तथा 80 प्रतिशत कोष को संबंधित एएसपी को स्थानांतरित किया गया था जैसा कि अभिदाता द्वारा विकल्प चुना गया था। दो प्रकरणों में, 20 प्रतिशत कोष अभिदाता के बैंक खाते में स्थानान्तरित कर दिया गया था और 80 प्रतिशत कोष अभिदाता के प्रैन में ही था चूँकि अभिदाताओं/पारिवारिक सदस्यों ने अभी तक एएसपी से वार्षिकी नहीं खरीदी थी। एक प्रकरण में सम्पूर्ण कोष को अभिदाताओं/पारिवारिक सदस्यों को स्थानांतरित कर दिया गया था चूँकि यह ₹1 लाख से कम थी।

पीएफआरडीए के इस उत्तर से यह स्पष्ट है कि तीन प्रकरणों में अभिदाता/पारिवारिक सदस्य एनपीएस तथा पुरानी पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत पेंशन लाभ ले रहे थे। इसके अतिरिक्त, उन्हें अपने कोष का 20 प्रतिशत भी मिला। सीपीएओ तथा सीआरए/पीएफआरडीए के मध्य समन्वय अथवा सूचना साझा करने में कमी के कारण सरकार को

वित्तीय नुकसान हुआ। न तो सीआरए/पीएफआरडीए और न ही सीपीएओ को यह जानकारी थी कि निर्गत किये गये अतिरिक्त लाभों की वसूली नोडल कार्यालय द्वारा की जा रही थी या नहीं।

डीएफएस ने अपने उत्तर में सूचित (दिसम्बर 2019) किया कि पीएफआरडीए ने कहा है कि एनपीएस खाते में पड़ी धनराशि को नोडल कार्यालय द्वारा अनुरोध किये जाने पर नोडल कार्यालय को वापस किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एकमुश्त धनराशि के रूप में पहले ही चुकाई गई रकम के 20 प्रतिशत की वसूली/समायोजन करना संबंधित नोडल कार्यालय की जिम्मेदारी होगी।

सरकार के हितों की रक्षा करने के लिये इन प्रकरणों में बिना और विलम्ब किये समुचित कार्रवाई की जाये।

- शेष 4,130[52] प्रकरणों में, स्थानांतरण के अभाव में ₹139.95 करोड़ की धनराशि अभी भी अभिदाताओं के एनपीएस खाते में पड़ी हुई है जो कि इस प्रकार है:

    - 3,122 प्रकरणों में, प्रैन खातों में ₹121.21 करोड़ की धनराशि पड़ी हुई थी क्योंकि संबंधित नोडल कार्यालय ने निकासी/प्रत्याहरण अनुरोध को आगे नहीं बढ़ाया/कार्रवाई नहीं की। पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि जब संबंधित नोडल कार्यालयों से दस्तावेज प्राप्त हो जायेंगें तब पारिवारिक पेंशन के बदले एनपीएस कोष को नोडल कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सीपीएओ ने कहा (मई 2019) कि इन प्रकरणों के निपटान में उसकी कोई भूमिका नहीं थी क्योंकि इसने दिनांक 5 मई 2019 के का.ज्ञा. के सन्दर्भ में पीएओ द्वारा अग्रेषित एनपीएस के अन्तर्गत पारिवारिक/नि:शक्तता पेंशन प्रकरणों का निपटान किया था।

    - 751 प्रकरणों[53] में जिनमें पीएफआरडीए ने गैर-आईआरए प्रैन खातों को निष्क्रिय कर दिया था, उनमें अभिदाताओं के एनपीएस खातों में ₹11.42 करोड़ की धनराशि पड़ी हुई थी। पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि नोडल कार्यालयों से अनुरोध

[52] 4,361 प्रकरण -149 प्रकरण - 82 प्रकरण

[53] 34 प्रकरण सम्मिलित हैं जिनमें प्रैन खातों में कोई अंशदान प्राप्त नहीं हुए।

प्राप्त होने पर सम्पूर्ण एनपीएस कोष को संबंधित नोडल कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सीपीएओ ने (मई 2019) इस संदर्भ में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की।

- 257 प्रकरणों में जिनमें नोडल कार्यालय को सूचना मिलने पर कि कर्मचारी पारिवारिक पेंशन के लिये पात्र है, पीएफआरडीए द्वारा प्रैनों को निष्क्रिय कर दिया गया था, उन प्रैन खातों में ₹7.32 करोड़ पड़े थे। पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि नोडल कार्यालयों ने अपने पास निधियों के प्रत्याहरण/स्थानांतरण के लिये अभी तक अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया था। तदनुसार, निधियों का निवेश प्रैन में ही रहेगा तथा अनुरोध प्राप्त होने पर संबंधित नोडल कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सीपीएओ (मई 2019) के पास इस संदर्भ में देने के लिये कोई टिप्पणी नहीं थी।

उपरोक्त प्रकरणों की स्थिति विभिन्न सम्मिलित इकाईयों में समन्वय की कमी को इंगित करती है। दिनांक 5 मई 2009 के का.ज्ञा. के जारी होने के बाद सरकार द्वारा उन प्रकरणों को चिन्हित/पहचानने जिनमें का.ज्ञा. के अन्तर्गत लाभ प्रदान कर दिये गये थे तथा सरकार को संबंधित एनपीएस निधियों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, कोई तंत्र निर्मित नहीं किया गया था। पीएफआरडीए ने प्रारम्भ से/अतिरिक्त राहत प्रदान करने की तारीख से विभिन्न राज्यों, एसएबी एवं सीएबी में लम्बित इस प्रकार के प्रकरणों से संबंधित सूचना लेखापरीक्षा को नहीं दी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ सीपीएओ एवं पीएफआरडीए के पास केंद्रीय सिविल मंत्रालयों/विभागों (दिल्ली प्राधिकरण और अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश सहित) के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित हैं और सरकार इस तरह के विलम्बों की पहचान के लिए समस्त एनपीएस पर (अर्थात् डाक, रेलवे, रक्षा, केंद्र के सीएबी एवं राज्य सरकारी विभागों और सम्बद्ध राज्यों के एसएबी) उपयुक्त परीक्षण लागू कर सकती है और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर सकती है ताकि अभिदाता को हानि न हो।

अनुशंसा: (1) पीएफआरडीए को तत्पश्चात् अतिरिक्त राहत प्रदान किये जाने वाले प्रकरणों को सीआरए प्रणाली में चिन्हित करना चाहिए ताकि वार्षिकी सेवा प्रदाता या अभिदाता/परिवार के सदस्यों को किसी राशि के भुगतान से बचा जा सके। (2) पेंशन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी को नोडल कार्यालय से इस तथ्य की एन.ओ.सी. प्राप्त करनी चाहिए कि दावेदार को एनपीएस के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है। (3) सरकार अतिरिक्त राहत का लाभ प्राप्त कर चुके अभिदाता/पारिवारिक सदस्यों को पहले ही एनपीएस निधि या एनपीएस खाते से कर दिये गये भुगतान की वसूली करने के लिये तुरन्त कदम उठाए।

अध्याय 6 - निष्कर्ष तथा अनुशंसाएं

6.1 निष्कर्ष

जीओआई ने 01 जनवरी 2004 से एनपीएस का प्रारम्भ किया[54] जिसके अन्तर्गत मूल वेतन व मँहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत मासिक अंशदान कर्मचारी द्वारा तथा इतना[55] ही अंशदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अंशदानों और निवेश प्राप्तियों को टीयर-। खाते में जमा किया जाता है। यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि परिभाषित लाभ पेंशन और सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के तत्कालीन विद्यमान प्रावधान केंद्र सरकार की सेवा में नई भर्तियों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। राज्य सरकारों तथा उनके स्वायत्त निकायों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न समयानुसार एनपीएस प्रणाली को अपनाया। एनपीएस के 2004 में लागू होने के 15 वर्षों के बाद सरकार ने 2019 में एनपीएस के कार्यान्वयन को सुप्रवाही बनाने के लिए उपाय किए।[56] हालाँकि, कुछ मुद्दो पर कार्रवाई अभी भी लंबित है या सरकार के विचाराधीन है।

एनपीएस पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्निलिखित पाये गयेः

- इसका कोई आश्वासन नहीं था कि सभी नोडल कार्यालय (केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय स्वायत्त निकायों और राज्य स्वायत्त निकायों के तहत) एनपीएस के तहत पंजीकृत थे।
- योजना के निर्माण के दौरान, सभी 100 प्रतिशत पात्र कर्मचारियों को योजना में शामिल करने के लिए आवश्यक नियंत्रण परिकल्पित नहीं किये गये थे और एनपीएस के लागू होने के 15 वर्षों के बाद भी सभी 100 प्रतिशत पात्र कर्मचारियों को योजना में शामिल होने के आश्वासन का अभी भी अभाव है।
- ऐसे मामले पाए गए जहाँ प्रैन को जारी करने, एनपीएस अंशदान की पहली कटौती, पीएओ के पास बिल भेजने, एससीएफ अपलोड करने और न्यासी बैंक को अंशदान का प्रेषण करने में देरी पाई गई। हालाँकि, एनपीएस से संबंधित गतिविधियों का समय पर होना सुनिश्चित करने में

---

54 एनपीएस का प्रारम्भ दिनांक 22 दिसम्बर 2003 की अधिसूचना के द्वारा किया गया

55 डीएफएस, जीओआई की दिनांक 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के अनुसार, भारत सरकार द्वारा सह-अंशदान को 14 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, यह 1 अप्रैल 2019 से प्रभाव में है।

56 डीएफएस, जीओआई की दिनांक 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना में अन्य बिन्दुओं के साथ-साथ पीएफ के विकल्प एवं निवेश प्रतिरूप; तथा 2004 से 2012 के दौरान अंशदान न जमा होने अथवा विलंब से जमा होने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया था।

इस तरह की देरी के लिए सरकारी नोडल कार्यालय (संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों) पर कोई दंडात्मक प्रावधान मौजूद नहीं था। डीएफएस ने सूचित (मई 2020) किया कि एनपीएस अंशदानों को काटने और उसे जमा करने में देरी के लिए सरकारी नोडल कार्यालय पर जुर्माना लगाने के प्रावधान को शामिल करके पीएफआरडीए अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है।

- केन्द्रीय सरकार/सीएबी डीडीओ तथा राज्यों/यूटी के डीडीओ ने एनपीएस अपनाने वाले नोडल कार्यालयों से संबंधित क्रमशः ₹5.20 करोड़ तथा ₹793.04 करोड़ की राशि को न्यासी बैंक को प्रेषित नहीं किया था।

- निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के विपरीत जिनके पास निवेश करने में विकल्प उपलब्ध थे, सरकारी कर्मचारों के पास लगभग 15 वर्ष से अधिक समय अर्थात् 01 जनवरी 2004 से 30 जनवरी 2019 तक के लिए पेंशन निधि तथा योजना के चुनाव की कोई स्वतंत्रता नहीं थी।

- जीओआई के सिविल मंत्रालयों से संबंधित 4,130 मामलों में, जहाँ दिनांक 05 मई 2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार अतिरिक्त लाभ/राहत दी गई थी, उनमें प्रैन खातों में पड़ी हुई ₹139.95 करोड़ की एनपीएस राशि को अभी तक नोडल कार्यालयों/सरकार को हस्तारित नहीं किया गया है।

- एनपीएस की शुरूआत के 15 वर्षों के बाद भी, एनपीएस में शामिल कर्मचारियों की सेवा शर्तों/सेवानिवृति लाभों के नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

- विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के तहत आने वाले सभी स्वायत्त निकायों में 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त किये गये नये लोगों के लिए स्वायत् निकायों में किसी रिकार्ड कीपिंग तथा लेखांकन व्यवस्था के बिना ही एनपीएस को लागू कर दिया गया।

- राज्यों, सीएबी तथा एसएबी के संदर्भ में, पीएफआरडीए ने लीगेसी डेटा को अपलोड करने तथा लीगेसी अंशदान को न्यासी बैंक में हस्तांतरित करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जिसके कारण न्यासी बैंक को समयानुसार स्थानांतरण प्रभावित हुआ। इसके अतिरिक्त, पीएफआरडीए के पास लीगेसी राशि की मात्रा और न्यासी बैंक को इसके हस्तांतरण की स्थिति की कोई जानकारी नहीं थी।

- इस बात का कोई संकेत नहीं था कि (i) निधि/योजना का बीमांकिक मूल्यांकन 2 वर्ष में एक बार किया गया तथा (ii) निधि/योजना की व्यावहारिकता का मूल्यांकन करने के लिए किसी अन्य विधि को अपनाया गया। डीएफएस ने (मई 2020) सूचित किया कि एनपीएस के प्रारम्भ के समय परिकल्पित किये गये लाभों के संबंध में एनपीएस के अन्तर्गत अभी की प्रतिस्थापन दरों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने तथा प्रतिस्थापन दर के अधिकतमीकरण व इष्टतम बनाने हेतु उचित कदम उठाने के लिये वह बीमांकिक मूल्यांकन कराना चाहता है।
- 2012-13 तथा 2018-19 के बीच 66-68 मंत्रालय/विभागों में से सभी मंत्रालयों/विभागों ने संयुक्त सचिव, प्रधान सीसीए/सीसीए तथा वित्तीय सलाहकारों की समिति का गठन नहीं किया।
- चूंकि सरकारी नोडल कार्यालयों को मध्यस्थों के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था, इसलिए शिकायतों के निवारण की समय-सीमा के साथ समय पर अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरुप वर्ष 2013-14 और 2017-18 के बीच से काफी संख्या में शिकायतें एक या अधिक वर्षों से बकाया थीं।

सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए एक प्रबुद्ध निर्णय के रूप में एनपीएस की शुरूआत की। मार्च 2018 तक केन्द्र और राज्य स्वायत्त निकायों ने 8.80 लाख अभिदाताओं के अतिरिक्त एनपीएस के तहत केंद्र और राज्य सरकार के 49.21 लाख अभिदाता थे। 2004 में एनपीएस प्रारम्भ किये जाने के 15 वर्षों बाद अभी भी प्रणाली में कमियाँ हैं, जैसा की प्रतिवेदन में उजागर किया गया है। यदि इन कमियों को दूर न किया गया तो एनपीएस विफल हो सकती है। यदि विफलता होती है तो वर्तमान पेंशन देयताओं के साथ-साथ इन अभिदाताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में पेंशन प्रदान करने का दायित्व केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों पर होगा जिसके कारण बहुत बड़ा वित्तीय बोझ वहन करना पडेगा।

6.2 अनुशंसाएँ

- *सभी नोडल कार्यालय और पात्र कर्मचारी एनपीएस के तहत पंजीकृत हों, यह सुनिश्चित करने हेतु एक दोष रहित प्रणाली को स्थापित करने की आवश्यकता है। आंतरिक लेखा परीक्षा-तंत्र यह देखे कि सभी कर्मचारी प्रणाली में सम्मिलित हों। इसे सुनिश्चित करने के लिये विलम्ब पर दंड*

दिये जाने तथा क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने की आवश्यकता है जिससे कि अभिदाता को हानि न हो।

- *सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि सरकारी क्षेत्र के एनपीएस लाभार्थियों के सेवा मामलों से संबंधित नियमावली निर्मित की जाए।*
- *सरकार को उन सारे प्रकरणों को चिन्हित करना चाहिये जिनमें लीगेसी अंशदानों को न्यासी बैंक को प्रेषित नहीं किया गया और यह सुनिश्चित करे कि इसे देय ब्याज व क्षतिपूर्ति के साथ अभिदाता को प्रेषित किया जाए जिससे कि उसे हानि न हो।*
- *पीएफआरडीए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में, अभिदाताओं की सेवानिवृत्ति पश्चात् सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एमएआरएस प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।*
- *डीएफएस वार्षिकी दरों, लम्बी अवधि तथा ब्याज दरों पर विचार करते हुए न्यूनतम प्रतिस्थापन दर की गणना करे।*
- *डीएफएस सुनिश्चित करे कि पीएफआरडीए अधिनियम में किया जा रहा संशोधन स्पष्ट रुप से प्रत्येक स्तर पर (जैसा कि वे कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 में कर्मचारियों के लिये है) जिम्मेदारी, जवाबदेही और देरी के लिए दंड को परिभाषित करे ताकि यह सुनिश्चित हो कि एनपीएस के अभिदाताओं का अंशदान न्यासी बैंक को भेजा गया है और निर्धारित समय के भीतर अभिदाता के प्रैन में जमा किया गया है।*
- *पीएफआरडीए को तत्पश्चात् अतिरिक्त राहत प्रदान किये जाने वाले प्रकरणों को सीआरए प्रणाली में चिन्हित करना चाहिए ताकि वार्षिकी सेवा प्रदाता या अभिदाता/परिवार के सदस्यों को किसी राशि के भुगतान से बचा जा सके। पेंशन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी को नोडल कार्यालय से इस तथ्य की एनओसी प्राप्त करनी चाहिए कि दावेदार को एनपीएस के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है। सरकार अतिरिक्त राहत का लाभ प्राप्त कर चुके अभिदाता/पारिवारिक सदस्यों को पहले ही एनपीएस निधि या एनपीएस खाते से कर दिये गये भुगतान की वसूली करने के लिये तुरन्त कदम उठाए।*

- *प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा परिणाम नमूनों की जाँच पर आधारित हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें सम्पूर्ण एनपीएस संरचना में इस तरह के प्रकरणों को चिन्हित कर सकती हैं एवं कार्यान्वयन में कमियों की मात्रा ज्ञात करके उस पर सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती हैं।*

नई दिल्ली
दिनांक: 4 अगस्त 2020

(शुभा कुमार)
उपनियंत्रक महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक)
एवं अध्यक्षा, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 4 अगस्त 2020

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक I(क)

एनपीएस के कार्यान्वयन और अभिग्रहण के लिए अधिसूचना की तिथियों का राज्यवार विवरण

(पैरा सं. 1.2.3 में संदर्भित)

क्र. स.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	एनपीएस के अभिग्रहण की तिथि	एनएसडीएल सीआरए के साथ अनुबंध की तिथि	एनपीएस ट्रस्ट के साथ अनुबंध की तिथि	राज्य द्वारा प्रथम अपलोड का माह व वर्ष
1.	आंध्र प्रदेश	22-09-2004	01-09-2004	21-11-2008	15-09-2009	दिसम्बर 2010
2.	अरुणाचल प्रदेश	17-11-2007	01-01-2008	08-01-2013	20-05-2013	फरवरी 2015
3.	असम	25-01-2005	01-02-2005	29-10-2009	29-10-2009	नवम्बर 2010
4.	बिहार	31-08-2005	01-09-2005	11-11-2008	04-03-2010	जून 2010
5.	चण्डीगढ़	11-07-2009	01-01-2004	31-08-2009	05-05-2010	अप्रैल 2011
6.	छत्तीसगढ़	27-10-2004	01-11-2004	19-09-2008	20-02-2009	अगस्त 2009
7.	गोवा	05-08-2005	05-08-2005	30-09-2009	21-01-2010	दिसम्बर 2011
8.	गुजरात	18-03-2005	01-04-2005	29-01-2009	22-05-2009	अगस्त 2011
9.	हरियाणा	04-12-2008	01-01-2006	25-11-2008	17-12-2008	जून 2009
10.	हिमाचल प्रदेश	17-08-2006	15-05-2003	24-12-2009	22-03-2010	दिसम्बर 2010
11.	जम्मू और कश्मीर	24-12-2009	01-01-2010	24-10-2009	08-01-2010	नवम्बर 2010
12.	झारखण्ड	09-12-2004	01-12-2004	25-10-2008	20-03-2009	फरवरी 2010
13.	कर्नाटक	31-03-2006	01-04-2006	20-01-2010	20-01-2010	अप्रैल 2010
14.	केरल	07-05-2006	01-04-2013	12-11-2013	11-10-2013	फरवरी 2014
15.	मध्य प्रदेश	13-04-2005	01-01-2005	28-11-2008	16-12-2008	दिसम्बर 2009
16.	महाराष्ट्र	31-10-2005	01-11-2005	10-10-2014	10-10-2014	फरवरी 2014
	महाराष्ट्र (अ.भ.से.)[1]			02-03-2013	30-07-2012	मार्च 2013
17.	मणिपुर	31-12-2004	01-01-2005	12-11-2009	13-04-2010	दिसम्बर 2010
18.	मेघालय	24-03-2010	01-04-2010	26-10-2010	23-12-2010	जनवरी 2012
19.	मिजोरम	17-06-2010	01-09-2010	28-09-2010	14-12-2010	जुलाई 2011

[1] अखिल भारतीय सेवा

क्र. स.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	एनपीएस के अभिग्रहण की तिथि	एनएसडीएल सीआरए के साथ अनुबंध की तिथि	एनपीएस ट्रस्ट के साथ अनुबंध की तिथि	राज्य द्वारा प्रथम अपलोड का माह व वर्ष
20.	नागालैंड	28-01-2010	01-01-2010	31-05-2010	18-10-2010	सितम्बर 2013
21.	ओडिशा	17-09-2005	01-01-2005	29-05-2010	02-08-2010	अप्रैल 2011
22.	पुडुचेरी	07-03-2005	01-01-2004	26-06-2009	07-09-2009	जनवरी 2010
23.	पंजाब	02-03-2004	01-01-2004	29-09-2009	13-04-2010	अक्टूबर 2010
24.	राजस्थान	28-01-2004	01-01-2004	09-11-2010	02-12-2010	नवम्बर 2011
25.	सिक्किम	18-05-2006	01-04-2006	11-11-2011	06-03-2012	मार्च 2013
26.	तमिलनाडु (केवल अ.भ.से. हेतु)	06-08-2003	01-04-2003	28-06-2017	28-06-2017	जनवरी 2018
27.	तेलंगाना	22-09-2004	01-09-2004	16-09-2014	13-11-2014	सितम्बर 2014
28.	त्रिपुरा	13-07-2018	01-07-2018	31-10-2018	23-07-2013 (केवल अ.भ.से. हेतु)	दिसम्बर 2013 (केवल अ.भ.से. हेतु)
29.	उत्तर प्रदेश	28-03-2005	01-04-2005	12-08-2011	12-08-2011	मार्च 2012
30.	उत्तराखण्ड	25-10-2005	01-10-2005	11-09-2009	09-10-2009	अक्टूबर 2010
31.	पश्चिम बंगाल (केवल अ.भ.से. हेतु)	अधिसूचित नहीं किया गया	01-01-2004	18-07-2011	05-09-2011	मई 2012

अनुलग्नक I(ख)

एनपीएस के प्रमुख कार्यकर्ता
(पैरा 1.3 में संदर्भित)

1) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)

सरकार ने अक्तूबर 2003 में सरकारी संकल्प के माध्यम से एक अंतरिम विनियामक, अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किया जो एक वैधानिक विनियामक के अग्रदूत के रुप में था। नई पेंशन योजना, अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से पुनर्नामित को एक वैधानिक नियामक के क्षेत्राधिकार में लाने के उद्देश्य से, 29 दिसम्बर 2004 को एक वैधानिक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना हेतु एक अध्यादेश पारित किया। 14वीं लोकसभा के विघटन पर यह बिल निरस्त हो गया। 24 मार्च 2011 को इस बिल को फिर से लोकसभा में पेश किया गया और संसद ने सितम्बर 2013 में इसे पारित कर दिया।

पीएफआरडीए अधिनियम[2] के अनुसार, पीएफआरडीए का यह कर्त्तव्य है कि वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली पेंशन योजनाओं को नियमित करे, उनका संवर्धन करे और उनके व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करे तथा इन योजनाओं और प्रणाली के अभिदाताओं के हितों की रक्षा करे। पीएफआरडीए, जिसे प्राधिकरण भी कहा जाता है, की शक्तियों व कार्यों में, अन्य तथ्यों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पीएफआरडीए अधिनियम के अंतर्गत आने वाली पेंशन योजनाओं का विनियमन करना;
- योजनाओं तथा उनके नियमों और शर्तों को मंजूरी देना और पेंशन निधि की राशि के प्रबंधन के लिए मानदण्ड, जिसमें इन योजनाओं के अंतर्गत उनके निवेश दिशानिर्देश भी शामिल हैं; स्थापित करना;
- मध्यस्थों का पंजीकरण और विनियमन;
- पीएफआरडीए अधिनियम के अंतर्गत आने वाली पेंशन निधियों की विभिन्न योजनाओं के तहत अभिदाताओं द्वारा दिए जाने वाले अंशदान की सुरक्षा सुनिश्चित करके अभिदाताओं के हितों की रक्षा करना; और
- अभिदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र स्थापित करना।

---

[2] 1 फरवरी 2014 (से प्रभावी हुआ) को पीएफआरडीए अधिनियम अधिसूचित किया गया।

2) सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए)

सीआरए का प्राथमिक कार्य अभिलेख रखना, प्रशासन, सभी एनपीएस अभिदाताओं को ग्राहक सेवा देना और अभिदाताओं को स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या (प्रैन) का निर्गमन करना है। आगे, अन्य उत्तरदायित्वों के साथः

- सीआरए, पंजीकरण, इकाइयों के लेन-देन, राशि की निकासी और प्रैन के अंतर्गत उपलब्ध राशि का एसएमएस व ई-मेल भेजता है;
- सीआरए, पेंशन निधियों को धन आवंटित करता है और वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) को उनके द्वारा पुनः वार्षिकी निर्गमित करने के लिए, संबंधित नोडल कार्यालय से प्राप्त अभिदाताओं के आवश्यक विवरणों को ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से प्रदान करता है।

नवम्बर 2007 में पीएफआरडीए द्वारा सीआरए सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति डीपॉजिटरी लिमिटेड के साथ अनुबंध किया गया। तत्पश्चात, (पीएफआरडीए द्वारा जून 2016 में निर्गमित पंजीकरण के प्रमाण पत्र के अनुसार) मैसर्स कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड को भी सीआरए के रुप में नियुक्त किया गया। 15 फरवरी 2017 से अभिदाताओं को यह विकल्प दिया गया कि वह एनएसडीएल ई-गवर्नेन्स लिमिटेड और कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड के बीच चुनाव कर सकते हैं। अन्तसक्रियात्मक कार्य प्रणाली के फलस्वरुप अभिदाता 01 अप्रैल 2017 के बाद से, एनपीएस अभिदाता एक सीआरए से अन्य सीआरए में स्थानांतरण कर सकते हैं।

3) न्यासी बैंक (टीबी)

बैंक ऑफ इंडिया को न्यासी बैंक (टीबी) के रुप में नियुक्त (मार्च 2008) किया गया तथा वह जून 2013 तक इस रुप में कार्य करता रहा। 01 जुलाई 2013 से एक्सिस बैंक न्यासी बैंक के रुप में कार्य करने लगा। न्यासी बैंक सीआरए प्रणाली की विभिन्न इकाइयों[3] के बीच राशियों का हस्तांतरण करता है। न्यासी बैंक के कार्य व जिम्मेदारियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- नोडल कार्यालयों द्वारा अभिदाताओं का अंशदान और तदनुरुप सरकारी अंशदान न्यासी बैंक को हस्तांतरण;
- यह विभिन्न नोडल कार्यालयों द्वारा प्राप्त राशि की फाइलों को सीआरए प्रणाली में अपलोड करता है जिसका नोडल कार्यालयों द्वारा सीआरए प्रणाली में दिए गए विवरण से मिलान किया जाता है;

---

[3] संस्थाएं-पेंशन निधि, वार्षिकी सेवा प्रदाता तथा नोडल कार्यालय (अपलोड करने वाले कार्यालय)

- यह विभिन्न इकाइयों को राशि हस्तांतरित करने व किसी अज्ञात प्रेषण को अगले दिन वापस करने के निर्देश सीआरए प्रणाली से प्राप्त करता है; और

- प्रत्येक निपटान दिवस के अंत में, न्यासी बैंक की शेष राशि का सीआरए प्रणाली के साथ मिलान किया जाता है।

4) पेंशन निधि (पीएफ)

यह एक ऐसा मध्यस्थ है जिसे प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीकों से पेंशन निधि (पीएफ) के लिए अंशदान स्वीकार करने, उसे जमा करने और अभिदाताओं को भुगतान करने हेतु पीएफआरडीए द्वारा पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया।

पीएफ को एनपीएस के अंतर्गत आने वाले अभिदाताओं की पेंशन संपत्तियों के निवेश और प्रबंधन करने का कार्य दिया गया है। पीएफआरडीए ने (सितम्बर 2007) एलआईसी पेंशन निधि लि., एसबीआई पेंशन निधि प्रा.लि. और यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन्स लि. को सरकारी क्षेत्र के पीएफ के रुप में नियुक्त किया।

5) संरक्षक

31 मार्च 2008 को स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) को संरक्षक नियुक्त किया गया।

6) वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी)

वार्षिकी[4] सेवा प्रदाता, भारत में वार्षिकी व्यवसाय करने वाली, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञापित और विनियमित जीवन बीमा कंपनियाँ होती हैं जिन्हें पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस अभिदाताओं की वार्षिकी आवश्यकताओं से जुड़ी हुई सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचिबद्ध किया गया है।

एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सात[5] वार्षिकी सेवा प्रदाता, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस क.लि., आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस क.लि., एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस क.लि., स्टार यूनियन डा-इची लाइफ इंश्योरेंस क.लि., बजाज एलांइज लाइफ इंश्योरेंस क.लि. और रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस क.लि. हैं।

---

4 पेंशन के मासिक भुगतान के विरुद्ध जमा एकमुश्त राशि के लिये वार्षिकी प्रदान करता है। जैसा कि एनपीएस के निकासी नियमों में निर्दिष्ट है, पीएफआरडीए के पैनल में शामिल किये गये वार्षिकी सेवा प्रदाता से अभिदाता को आवश्यक रुप से वार्षिकी खरीदना पड़ती है।

5 बजाज एलाइंज लाइफ इंश्योरेंस क. लिमिटेड तथा रिलायंस लाइफ क. लिमिटेड ने विनियमों के अंतर्गत पुनः पैनल में शामिल होने के लिये आवेदन नहीं किया। इस प्रकार, एएसपी की संख्या 31.03.2019 को पाँच है।

7) एनपीएस ट्रस्ट

एनपीएस ट्रस्ट की स्थापना 27 फरवरी 2008 को पीएफआरडीए के एक न्यास विलेख द्‌वारा हुई थी। यह एनपीएस प्रणाली के अंतर्गत आने वाली सभी संपत्तियों का पंजीकृत मालिक है। एनपीएस के अंतर्गत आने वाले परिचालन व सेवा स्तर के कार्यों की निगरानी के लिए न्यास परिषद् उत्तरदायी है।

31 जनवरी 2020 को प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों की कुल राशि ₹ 399,245.04 करोड़ (1,31,72,762 अभिदाताओं के संबंध में) थी, जिसमें से ₹ 1,36,078.63 करोड़ (20,82,941 अभिदाताओं के संबंध में) की संपत्तियाँ केन्द्र सरकार क्षेत्र से संबंधित थी और ₹ 2,05,737.24 करोड़ (46,93,933 अभिदाताओं के संबंध में) की संपत्तियाँ राज्य सरकार क्षेत्र से संबंधित थी।

अनुलग्नक I(ग)

नोडल कार्यालयों के कार्य एवं भूमिका
(पैरा 1.5 में संदर्भित)

1. आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ)

अभिदाताओं को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने से पूर्व डीडीओ को स्वयं को सीआरए से पंजीकृत कराना होता है। डीडीओ के कार्य निम्नलिखित हैं:

- प्रैन के आवंटन हेतु अभिदाताओं से विधिवत भरे हुए आवेदन प्राप्त करना तथा उनके रोजगार संबंधी विवरण को भरना और प्रमाणित करना;
- प्रैन संख्या के आवेदन-पत्र को समेकित करना तथा उन्हें वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) को प्रेषित करना;
- अभिदाताओं को प्रैन किट, आई-पिन, टी-पिन वितरित करना;
- अभिदाताओं द्वारा प्राप्त स्विचिंग अनुरोध, नई योजना प्राथमिकता अनुरोध, अभिदाता विवरण में परिवर्तन और निकासी के अनुरोधों को पीएओ को प्रेषित करना;
- पीएओ को अभिदाताओं के पेंशन अंशदान से संबंधित सूचना प्रदान करना; तथा
- अभिदाताओं की शिकायतों को पीएओ में प्रेषित करना।

2. वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ)

वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी है:

- सीआरए प्रणाली में स्वयं को पंजीकृत कराने हेतु पीएओ संबंधित प्रधान लेखा कार्यालय (प्रधान एओ) को पंजीकरण के लिए आवेदन भेजता है;
- डीडीओ पंजीकरण आवेदन पत्रों को समेकित करना तथा उन्हें सीआरए को पंजीकरण हेतु भेजना;
- सम्बंधित डीडीओ से प्राप्त प्रैन आंवटन के लिए आवेदन पत्रों को समेकित और सीआरए को प्रेषित कर, अभिदाताओं को पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना;
- अभिदाता अंशदान फाइल (एससीएफ) जिसमें अभिदातावार पेंशन अंशदान से संबंधित विवरण जैसे प्रैन, संबंधित डीडीओ, वेतन माह और वर्ष, अभिदाता अंशदान की राशि और सरकारी अंशदान की राशि होते हैं; को एन पी एस सी एन प्रणाली में अपलोड करना;
- नवीन पेंशन योजना अंशदान लेखा नेटवर्क (एनपीएससीएन) में अपलोड की गई एससीएफ के अनुसार, अंशदान की राशि को न्यासी बैंक को प्रेषित करना तथा स्विच

अनुरोध, नई योजना प्राथमिकता अनुरोध, अभिदाता विवरण में परिवर्तन के अनुरोधों को एन पी एस सी ए एन के माध्यम से अद्यतन करना; तथा

- डीडीओ और अंशदाताओं की ओर से शिकायतों को उठाना साथ ही साथ सीआरए प्रणाली में किसी भी इकाई द्वारा इसके विरुद्ध उठाई गयी शिकायत का समाधान करना।

3. प्रधान लेखा कार्यालय (प्रधान एओ)

एनपीएस के अंतर्गत प्रधान लेखा कार्यालय (प्रधान एओ) का पंजीकरण इसके पीएओ के पंजीकरण के लिए आवश्यक है। प्रधान एओ निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है:

- पीएओ के पंजीकरण आवेदन पत्र को समेकित कर उन्हें सीआरए को प्रेषित करना;
- पीएओ और डीडीओ के कार्य निर्वहन के निष्पादन की निगरानी करना और सीआरए प्रणाली की परिचालन प्रक्रिया का पीएओ और डीडीओ द्वारा अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाना; और
- पीएओ के विरुद्ध शिकायतों के समाधान की निगरानी करना।

अनुलग्नक II(क)

चयनित राज्यों से चयनित डीडीओ की सूची

(पैरा 2.4.2 में संदर्भित)

क्र.सं.	डीडीओ का नाम	डीडीओ पंजीकरण संख्या	राज्य	राज्य सरकार/ एसएबी
1.	मंडल राजस्व कार्यालय, विजयवाड़ा (र)	SGV015425E	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार
2.	अधिशासी अभियंता, विजयवाड़ा	SGV103088B	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार
3.	आयुक्त (एस ई), नगरपालिका मछलीपट्टनम	SGV015626C	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार
4.	पुलिस अधीक्षक, गुंटूर	SGV017319B	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार
5.	सहायक निदेशक, कृषि नांदयाल	SGV052905G	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार
6.	पुलिस अधीक्षक, कुर्नूल	SGV021396E	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार
7.	पुलिस अधीक्षक, अनन्तपुर	SGV022455G	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार
8.	पुलिस अधीक्षक, कडापा	SGV024277B	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार
9.	एसपी का पीए, चित्तूर(सीटीआर)	SGV023391E	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार
10.	मंडल राजस्व कार्यालय, पेडापडू	SGV014414B	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार
11.	एम ई ओ, एम पी, पालाकोडेरु	SGV014055G	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार
12.	मंडल राजस्व कार्यालय, कोव्वूर	SGV014701B	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार
13.	मंडल राजस्व कार्यालय, पालाकोल्लू, पश्चिम गोदावरी	SGV014774E	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार
14.	एच एम सरकारी एचएस, कोरुकोंडा	SGV013458E	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार
15.	एम ई ओ, अम्बाजीपेटा	SGV012707C	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार
16.	पुलिस अधीक्षक, काकीनाड़ा	SGV012519D	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार
17.	पुलिस अधीक्षक, विशाखापत्तनम	SGV038525E	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार
18.	उत्पाद शुल्क अधीक्षक, विजियानगरम	SGV141451E	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार
19.	उप निदेशक एस.डब्ल्यू., विजियानगरम	SGV036127A	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार
20.	सहायक कोषागार अधिकारी, श्रीकाकुलम	SGV037374B	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार
21.	क्षेत्रीय अस्पताल, पार्वतीपुरम	SGV182404A	आंध्र प्रदेश	एसएबी
22.	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, विजयवाड़ा	SGV150164C	आंध्र प्रदेश	एसएबी
23.	आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	SGV148338D	आंध्र प्रदेश	एसएबी

क्र.सं.	डीडीओ का नाम	डीडीओ पंजीकरण संख्या	राज्य	राज्य सरकार/ एसएबी
24.	राजीव गांधी ज्ञान तकनीक विश्वविद्यालय, गुन्टूर	SGV233982E	आंध्र प्रदेश	एसएबी
25.	लेखा अधिकारी, तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम	SGV206819B	आंध्र प्रदेश	एसएबी
26.	पुलिस उपायुक्त यातायात, पूर्व मंडल, बैंगलोर	SGV056127B	कर्नाटक	राज्य सरकार
27.	पुलिस आयुक्त, मैसूर नगर	SGV059798E	कर्नाटक	राज्य सरकार
28.	महा पंजीयक, उच्च न्यायालय, कर्नाटक	SGV078734F	कर्नाटक	राज्य सरकार
29.	पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, गुलबर्गा	SGV065721F	कर्नाटक	राज्य सरकार
30.	पुलिस अधीक्षक, शिमोगा	SGV067798D	कर्नाटक	राज्य सरकार
31.	पुलिस आयुक्त, मैंगलोर नगर	SGV086872C	कर्नाटक	राज्य सरकार
32.	कर्नाटक सरकार के अवर सचिव, डी पी ए आर लेखा	SGV069717E	कर्नाटक	राज्य सरकार
33.	प्रधानाचार्य, के एस आर पी, प्रशिक्षण विद्यालय, होसाहल्ली, मुनीराबाद, कोप्पल (डी)	SGV062134C	कर्नाटक	राज्य सरकार
34.	कार्यकारी अधिकारी, तालुक पंचायत, चिंतामणि	SGV057581G	कर्नाटक	राज्य सरकार
35.	एस एन आर जिला अस्पताल, कोलार	SGV058902E	कर्नाटक	राज्य सरकार
36.	तहसीलदार कार्यालय, श्रीनिवासपुर तालुक, कोलार जिला	SGV059137B	कर्नाटक	राज्य सरकार
37.	कार्यकारी अधिकारी का कार्यालय, टी पी होलेनरसीपुरा	SGV067579B	कर्नाटक	राज्य सरकार
38.	निदेशक, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, बैंगलोर	SGV070047F	कर्नाटक	राज्य सरकार
39.	जिला अग्निशामक अधिकारी, कोलार	SGV070131F	कर्नाटक	राज्य सरकार
40.	रेंज वन अधिकारी, हलियाल, जिला करवर	SGV070827B	कर्नाटक	राज्य सरकार
41.	तहसीलदार, जोइदा	SGV070860G	कर्नाटक	राज्य सरकार
42.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रुपनगुडी	SGV070947C	कर्नाटक	राज्य सरकार
43.	सिविल जज (वरिष्ठ मंडल), कुनीगल	SGV078587F	कर्नाटक	राज्य सरकार

क्र.सं.	डीडीओ का नाम	डीडीओ पंजीकरण संख्या	राज्य	राज्य सरकार/ एसएबी
44.	सिविल जज (कनिष्ठ मंडल) व जे एम एफ सी, चन्नापटना	SGV079935C	कर्नाटक	राज्य सरकार
45.	सरकारी महिला पॉलिटेक्नीक, करकला	SGV082125B	कर्नाटक	राज्य सरकार
46.	बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड, बैंगलोर	SGV211470E	कर्नाटक	एसएबी
47.	बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, बागलकोट	SGV227926D	कर्नाटक	एसएबी
48.	कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय, बैंगलोर	SGV210358F	कर्नाटक	एसएबी
49.	बी एम एस अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, बैंगलुरु	SGV204701E	कर्नाटक	एसएबी
50.	नगर पालिका परिषद, बीजापुर	SGV209045B	कर्नाटक	एसएबी
51.	अधीक्षक का कार्यालय, जिला कोषागार अधिकारी, पुणे	SGV201040E	महाराष्ट्र	राज्य सरकार
52.	अधीक्षक का कार्यालय, पुलिस आयुक्त, नवी मुंबई	SGV193471A	महाराष्ट्र	राज्य सरकार
53.	अधीक्षक का कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, पालघर	SGV205115F	महाराष्ट्र	राज्य सरकार
54.	अधीक्षक का कार्यालय, पुलिस आयुक्त, थाणे	SGV189484D	महाराष्ट्र	राज्य सरकार
55.	अधीक्षक का कार्यालय, जिला कोषागार कार्यालय, पुणे	SGV199831E	महाराष्ट्र	राज्य सरकार
56.	उप. क्षेत्रीय यातायात कार्यालय, जलगाँव	SGV197379C	महाराष्ट्र	राज्य सरकार
57.	तहसीलदार, फलटण, सतारा	SGV198408C	महाराष्ट्र	राज्य सरकार
58.	कार्यकारी अभियंता, तकारी महाईसाल, लिफ्ट सिंचाई प्रबंधन मंडल, सांगली	SGV199206C	महाराष्ट्र	राज्य सरकार
59.	सहायक बिजली निरीक्षक (लिफ्ट्स), मुम्बई उपनगर	SGV200249E	महाराष्ट्र	राज्य सरकार
60.	तहसीलदार, भदगाँव, जलगाँव	SGV200687B	महाराष्ट्र	राज्य सरकार
61.	जिला आपूर्ति कार्यालय, अहमदनगर	SGV191346D	महाराष्ट्र	राज्य सरकार
62.	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, नागपुर	SGV190829E	महाराष्ट्र	राज्य सरकार

क्र.सं.	डीडीओ का नाम	डीडीओ पंजीकरण संख्या	राज्य	राज्य सरकार/ एसएबी
63.	संयुक्त जिला रजिस्ट्रार, सी-1, नांदेड़	SGV190418G	महाराष्ट्र	राज्य सरकार
64.	पुलिस अधीक्षक, गढ़चिरौली	SGV191016C	महाराष्ट्र	राज्य सरकार
65.	तालुका कृषि अधिकारी, तालुका सर्कल कार्यालय, चन्द्रपुर, भद्रावती	SGV191000A	महाराष्ट्र	राज्य सरकार
66.	मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक), गढ़चिरौली	SGV191049A	महाराष्ट्र	राज्य सरकार
67.	पुलिस आयुक्त, नागपुर नगर, नागपुर	SGV200893E	महाराष्ट्र	राज्य सरकार
68.	निदेशक, शासकीय विज्ञान संस्थान, नागपुर	SGV190759E	महाराष्ट्र	राज्य सरकार
69.	रेंज वन अधिकारी, हिंगनी	SGV198439F	महाराष्ट्र	राज्य सरकार
70.	तहसीलदार केलापुर, यवतमाल जिला	SGV198780D	महाराष्ट्र	राज्य सरकार
71.	उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन विभाग) जिला परिषद, नांदेड़	SGV229653B	महाराष्ट्र	एसएबी
72.	ब्लाक प्रथामिक शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर	SGV109747D	राजस्थान	राज्य सरकार
73.	ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, सिंधरी	SGV109750G	राजस्थान	राज्य सरकार
74.	पुलिस अधीक्षक, जोधपुर	SGV120108E	राजस्थान	राज्य सरकार
75.	हेड मास्टर, जी एस एस, चड़ी ओसियाँ	SGV129867F	राजस्थान	राज्य सरकार
76.	सरकारी माध्यमिक विद्यालय, साई, शेरगढ़	SGV141958A	राजस्थान	राज्य सरकार
77.	हेडमास्टर, सरकारी माध्यमिक विद्यालय, चीला फलौदी	SGV148572G	राजस्थान	राज्य सरकार
78.	अपर जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर	SGV124754C	राजस्थान	राज्य सरकार
79.	प्रधानाध्यापक, सरकारी माध्यमिक विधालय, नादाखेड़ा	SGV149492C	राजस्थान	राज्य सरकार
80.	सरकारी माध्यमिक विद्यालय, कुल्थाना, रोहत, पाली	SGV149569C	राजस्थान	राज्य सरकार
81.	अपराध सहायक (डीडीओ) एस पी (एच क्यू), जयपुर नगर	SGV115733E	राजस्थान	राज्य सरकार
82.	डीडीओ, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर	SGV115769F	राजस्थान	राज्य सरकार

क्र.सं.	डीडीओ का नाम	डीडीओ पंजीकरण संख्या	राज्य	राज्य सरकार/ एसएबी
83.	जी एस एस डोरा, बूंदी	SGV149708B	राजस्थान	राज्य सरकार
84.	सरकारी माध्यमिक विद्यालय, हैदरीपुरा, उनियारा, टोंक	SGV147489B	राजस्थान	राज्य सरकार
85.	तहसीलदार, वजीरपुर, सवाईमाधोपुर	SGV148922G	राजस्थान	राज्य सरकार
86.	एच एम सरकारी माध्यमिक विद्यालय, उपलागढ़, सिरोही	SGV146938D	राजस्थान	राज्य सरकार
87.	ब्लाक मुख्य चिकित्साधिकारी रोहत, पाली	SGV129981A	राजस्थान	राज्य सरकार
88.	विश्लेषक सह प्रोग्रामर, उप निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार	SGV204510C	राजस्थान	राज्य सरकार
89.	एच एम सरकारी माध्यमिक विद्यालय, दावा, नोखा, बीकानेर	SGV142046E	राजस्थान	राज्य सरकार
90.	एच एम सरकारी माध्यमिक विद्यालय, भानेका गाँव, श्री कोलायत, बीकानेर	SGV177523A	राजस्थान	राज्य सरकार
91.	उप एस पी पुलिस, एस पी, बीकानेर का कार्यालय	SGV111849F	राजस्थान	राज्य सरकार
92.	राजस्थान राज्य खेल परिषद, जयपुर	SGV212377B	राजस्थान	एसएबी
93.	जयपुर नगर यातायात सेवा लिमिटेड, जयपुर	SGV231419D	राजस्थान	एसएबी
94.	नगर निगम, जयपुर	SGV143037B	राजस्थान	एसएबी
95.	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	SGV142393B	राजस्थान	एसएबी
96.	शहरी सुधार ट्रस्ट, कोटा	SGV183172F	राजस्थान	एसएबी
97.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून	SGV044702A	उत्तराखण्ड	राज्य सरकार
98.	उप शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक), देहरादून	SGV044702A	उत्तराखण्ड	राज्य सरकार
99.	डी ई ओ/डी पी ओ प्राथमिक शिक्षा, देहरादून	SGV044702A	उत्तराखण्ड	राज्य सरकार
100.	कार्यकारी अभियंता, अवसंरचना विभाग, डाकपत्थर	SGV044702A	उत्तराखण्ड	राज्य सरकार
101.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यू एस नगर	SGV044726D	उत्तराखण्ड	राज्य सरकार
102.	सेनानायक 31 बी एन, पी ए सी, रूद्रपुर	SGV044726D	उत्तराखण्ड	राज्य सरकार

क्र.सं.	डीडीओ का नाम	डीडीओ पंजीकरण संख्या	राज्य	राज्य सरकार/ एसएबी
103.	उप शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) यू एस नगर	SGV044726D	उत्तराखण्ड	राज्य सरकार
104.	उप शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक), रूद्रपुर	SGV044726D	उत्तराखण्ड	राज्य सरकार
105.	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत	SGV044727E	उत्तराखण्ड	राज्य सरकार
106.	उप शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक), लोहाघाट	SGV044727E	उत्तराखण्ड	राज्य सरकार
107.	उप शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक), चम्पावत	SGV044727E	उत्तराखण्ड	राज्य सरकार
108.	डी इ ओ/डी पी ओ प्राथमिक शिक्षा, चम्पावत	SGV044727E	उत्तराखण्ड	राज्य सरकार
109.	पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर	SGV044728F	उत्तराखण्ड	राज्य सरकार
110.	कार्यकारी अभियंता, सी डी-पी डब्ल्यू डी कपकोट	SGV044728F	उत्तराखण्ड	राज्य सरकार
111.	उप शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक), बागेश्वर	SGV044728F	उत्तराखण्ड	राज्य सरकार
112.	डी इ ओ/डी पी ओ प्राथमिक शिक्षा, बागेश्वर	SGV044728F	उत्तराखण्ड	राज्य सरकार
113.	एम ओ आई सी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बीरोनखाल	SGV044707F	उत्तराखण्ड	राज्य सरकार
114.	कार्यकारी अभियंता, एन एच प्रखण्ड, लोक निर्माण विभाग धूमाकोट	SGV044707F	उत्तराखण्ड	राज्य सरकार
115.	उप शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक), नैनीडांडा	SGV044707F	उत्तराखण्ड	राज्य सरकार
116.	उप शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक), बीरोनखाल	SGV044707F	उत्तराखण्ड	राज्य सरकार
117.	जी बी पन्त कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पन्त नगर	SGV143016B	उत्तराखण्ड	एसएबी
118.	डी पी ओ, सी ई ओ, बागेश्वर	SGV206425G	उत्तराखण्ड	एसएबी
119.	डी पी ओ, एस एस ए, पिथौरागढ़	SGV143667B	उत्तराखण्ड	एसएबी
120.	डी पी ओ, जल संस्थान, देहरादून	SGV147144G	उत्तराखण्ड	एसएबी
121.	मुख्य शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़	SGV207221E	उत्तराखण्ड	राज्य सरकार
122.	प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय, देवघर	SGV007737C	झारखण्ड	राज्य सरकार
123.	जिला शिक्षा अधिकारी, देवघर	SGV007737C	झारखण्ड	राज्य सरकार

क्र.सं.	डीडीओ का नाम	डीडीओ पंजीकरण संख्या	राज्य	राज्य सरकार/ एसएबी
124.	पुलिस अधीक्षक, देवघर	SGV007737C	झारखण्ड	राज्य सरकार
125.	सेनानायक, जे ए पी-5, देवघर	SGV007737C	झारखण्ड	राज्य सरकार
126.	प्रभारी न्यायधीश, सिविल कोर्ट, गढ़वा	SGV007753E	झारखण्ड	राज्य सरकार
127.	प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय, सोनपुरवा, गढ़वा	SGV007753E	झारखण्ड	राज्य सरकार
128.	प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय, दौनादाग	SGV007753E	झारखण्ड	राज्य सरकार
129.	पुलिस अधीक्षक, गढ़वा	SGV007753E	झारखण्ड	राज्य सरकार
130.	प्रभारी न्यायाधीश सिविल न्यायालय, कोडरमा	SGV007732E	झारखण्ड	राज्य सरकार
131.	प्रधानाध्यापक, जी माध्यमिक विद्यालय, ब्लाक कोडरमा	SGV007732E	झारखण्ड	राज्य सरकार
132.	प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय, ब्लॉक डोमचाँच	SGV007732E	झारखण्ड	राज्य सरकार
133.	पुलिस अधीक्षक, कोडरमा	SGV007732E	झारखण्ड	राज्य सरकार
134.	प्रधानाध्यापक, कन्या माध्यमिक विद्यालय, पनकी	SGV007742A	झारखण्ड	राज्य सरकार
135.	प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय, शाहपुर चैनपुर, डालटनगंज	SGV007742A	झारखण्ड	राज्य सरकार
136.	पुलिस अधीक्षक, पलामू	SGV007742A	झारखण्ड	राज्य सरकार
137.	सेनानायक, जे ऐ पी-8 लेसलीगंज, पलामू	SGV007742A	झारखण्ड	राज्य सरकार
138.	प्रभारी न्यायाधीश सिविल न्यायालय, राँची	SGV007735A	झारखण्ड	राज्य सरकार
139.	जिला शिक्षा अधिकारी, राँची	SGV007735A	झारखण्ड	राज्य सरकार
140.	सेनानायक जे ए पी-2, तातिसिलवाई	SGV007735A	झारखण्ड	राज्य सरकार
141.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, राँची	SGV007735A	झारखण्ड	राज्य सरकार
142.	राजेन्द्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान, राँची	SGV104211E	झारखण्ड	एसएबी
143.	नेतरहाट आवासीय विधालय, नेतरहाट	SGV233136F	झारखण्ड	एसएबी
144.	ई ई आई पी एच, सोलन	SGV068633F	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार
145.	बी पी ई ई ओ, धर्मपुर	SGV068633F	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार

क्र.सं.	डीडीओ का नाम	डीडीओ पंजीकरण संख्या	राज्य	राज्य सरकार/ एसएबी
146.	एस पी, सोलन	SGV068633F	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार
147.	पशुपालन, सोलन	SGV068633F	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार
148.	ई ई, आई पी एच, पाढ़र	SGV068638D	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार
149.	ई ई, एच पी पी डब्ल्यू डी, धर्मपुर	SGV068638D	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार
150.	ई ई, एच पी पी डब्ल्यू डी, जोगिन्दर नगर	SGV068638D	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार
151.	पुलिस बटालियन, पंडोह	SGV068638D	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार
152.	एस पी, काँगडा	SGV068632E	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार
153.	पशुपालन, धर्मशाला	SGV068632E	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार
154.	चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा	SGV068632E	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार
155.	4 बटालियन, सकोह	SGV068632E	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार
156.	एच पी पी डब्ल्यू डी, हमीरपुर	SGV068640F	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार
157.	एच पी पी डब्ल्यू डी, तोउनी देवी	SGV068640F	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार
158.	पुलिस बटालियन, जंगलबेरी	SGV068640F	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार
159.	पशुपालन, हमीरपुर	SGV068640F	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार
160.	सचिवालय प्रशासन विभाग, शिमला	SGV068642A	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार
161.	पंजीयक उच्च न्यायालय, शिमला	SGV068642A	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार
162.	ए ओ इन्दिरा गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला	SGV068642A	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार
163.	स्थापन वन कसुम्पटी, शिमला	SGV068642A	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार
164.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड	SGV141899E	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार
165.	हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम	SGV148360E	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार
166.	हिमाचल विद्यालय शिक्षा परिषद, धर्मशाला	SGV142193E	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार
167.	जिला परिषद, मंडी	SGV184452E	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार
168.	जिला परिषद, कांगड़ा	SGV183173G	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार

अनुलग्नक II(ख)

चयनित यूटी के चयनित डीडीओ की सूची
(पैरा संख्या 2.4.2 में संदर्भित)

क्र. सं.	डीडीओ का नाम	डीडीओ पंजीकरण संख्या	यूटी	राज्य सरकार/ एसएबी
1.	पुलिस उपअधीक्षक मुख्यालय, दक्षिण अंडमान, पोर्ट ब्लेयर	CGV010682A	अंडमान एवं निकोबार	राज्य सरकार
2.	सहायक कमान्डेन्ट इंडिया रिजर्व बटालियन, पोर्ट ब्लेयर	CGV010679E	अंडमान एवं निकोबार	राज्य सरकार
3.	सहायक आयुक्त स्थापन, पोर्ट ब्लेयर	CGV010747C	अंडमान एवं निकोबार	राज्य सरकार
4.	ए ओ, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले, पोर्ट ब्लेयर	CGV010692D	अंडमान एवं निकोबार	राज्य सरकार
5.	निर्माण खण्ड, अंडमान लोक निर्माण विभाग, दिगलीपुर	CGV011130A	अंडमान एवं निकोबार	राज्य सरकार
6.	कार्यपालक अभियन्ता (डी जे बी) दक्षिण-पश्चिम-1, जनकपुरी, नई दिल्ली	CGV016152D	दिल्ली	एसएबी
7.	कार्यपालक अभियन्ता (डी जे बी) दक्षिण-पश्चिम-III, सेक्टर 7, आर के पुरम, नई दिल्ली	CGV016154F	दिल्ली	एसएबी
8.	ए डी ई/शिक्षा नरेला जोन, एम सी डी	CGV013443D	दिल्ली	एसएबी
9.	मुख्य प्रशासनिक एवं चिकित्सा अधिकारी, दिल्ली नगर निगम	CGV013190C	दिल्ली	एसएबी
10.	सहायक आयुक्त, दिल्ली नगर निगम	CGV014767E	दिल्ली	एसएबी
11.	जी एस वी सेक्टर 6, रोहिणी	CGV010224E	दिल्ली	एसएबी
12.	एस बी वी उत्तम नगर	CGV010474C	दिल्ली	एसएबी
13.	एल एन जे पी चिकित्सालय, नई दिल्ली	CGV008432E	दिल्ली	एसएबी
14.	एस के वी कोन्डली	CGV011081A	दिल्ली	एसएबी
15.	शिक्षा निदेशालय (मुख्यालय)	CGV010296G	दिल्ली	एसएबी

अनुलग्नक II(ग)

केन्द्र सरकार के चयनित मंत्रालयों/विभागों तथा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के चयनित डीडीओ की सूची

(पैरा संख्या 2.4.2 में संदर्भित)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	डीडीओ का नाम	डीडीओ पंजीकरण संख्या	केन्द्र सरकार/ सीएबी
1.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	संचार एवं बहिर्पहुँच ब्यूरो (भूतपूर्व विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय)	CGV000327F	केन्द्र सरकार
2.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	प्रकाशन विभाग	CGV006954D	केन्द्र सरकार
3.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	मुख्य सचिवालय	CGV000471C	केन्द्र सरकार
4.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	फिल्म प्रभाग, दिल्ली	CGV010177G	केन्द्र सरकार
5.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	प्रेस सूचना ब्यूरो	CGV000471C	केन्द्र सरकार
6.	गृह मंत्रालय	संचार एकक, दिल्ली पुलिस	CGV003785F	केन्द्र सरकार
7.	गृह मंत्रालय	अपराध शाखा, नई दिल्ली	CGV008855A	केन्द्र सरकार
8.	गृह मंत्रालय	समूह केन्द्र, केंद्रीय रिर्जव पुलिस बल (सी आर पी एफ), नई दिल्ली	CGV002317A	केन्द्र सरकार
9.	गृह मंत्रालय	महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष पुलिस एकक, दिल्ली पुलिस	CGV008846F	केन्द्र सरकार
10.	गृह मंत्रालय	केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, नई दिल्ली	CGV002454E	केन्द्र सरकार
11.	विधि और न्याय मंत्रालय	आयकर अपलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली	CGV001664F	केन्द्र सरकार
12.	विधि और न्याय मंत्रालय	विधि कार्य विभाग	CGV001661C	केन्द्र सरकार
13.	विधि और न्याय मंत्रालय	विधि कार्य (केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग)	CGV001663E	केन्द्र सरकार

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	डीडीओ का नाम	डीडीओ पंजीकरण संख्या	केन्द्र सरकार/ सीएबी
14.	विधि और न्याय मंत्रालय	राजभाषा स्कन्ध	CGV000188G	केन्द्र सरकार
15.	विधि और न्याय मंत्रालय	डीडीओ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय	CGV000141B	केन्द्र सरकार
16.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	सांख्यिकी विभाग	CGV001907D	केन्द्र सरकार
17.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	क्षेत्र ऑपरेशन डिविजन मुख्यालय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, नई दिल्ली	CGV001911A	केन्द्र सरकार
18.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	आंकडा प्रसंस्करण केन्द्र (एन एस एस ओ), दिल्ली	CGV008155A	केन्द्र सरकार
19.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी	CGV017467C	केन्द्र सरकार
20.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	नीति आयोग	CGV001316A	केन्द्र सरकार
21.	राजस्व विभाग	सी आई टी-IV, सी आर भवन	CGV010207B	केन्द्र सरकार
22.	राजस्व विभाग	डीडीओ (निदेशक निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा, सी एवं सी ई)	CGV001686G	केन्द्र सरकार
23.	राजस्व विभाग	प्रवर्तन निदेशालय, एम टी एन एल भवन	CGV001610A	केन्द्र सरकार
24.	राजस्व विभाग	राजस्व विभाग	CGV001607E	केन्द्र सरकार
25.	राजस्व विभाग	प्रवर्तन निदेशालय, खान मार्केट	CGV001611B	केन्द्र सरकार
26.	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	कार्यकारी अभियन्ता "एस" प्रभाग सी पी डब्ल्यू डी, आर के पुरम, नई दिल्ली	CGV004531C	केन्द्र सरकार
27.	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	कार्यपालक अभियन्ता, एम.सी.डी.-II प्रभाग सी पी डब्ल्यू डी, निर्माण सदन, कान्ने नगर, मुम्बई	CGV002174E	केन्द्र सरकार

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	डीडीओ का नाम	डीडीओ पंजीकरण संख्या	केन्द्र सरकार/ सीएबी
28.	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	कार्यपालक अभियन्ता, ई-डी 9, आर के पुरम, नई दिल्ली	CGV004536A	केन्द्र सरकार
29.	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	सहायक प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस, मिंटो रोड, नई दिल्ली	CGV003936C	केन्द्र सरकार
30.	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	सहायक प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस, मुद्रिका मार्ग, नई दिल्ली	CGV011073G	केन्द्र सरकार
31.	आर्थिक कार्य विभाग	आर्थिक कार्य विभाग, आई ई एस प्रभाग, नई दिल्ली	CGV001578D	केन्द्र सरकार
32.	आर्थिक कार्य विभाग	आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली, डीडीओ (रोकड़)	CGV001577C	केन्द्र सरकार
33.	आर्थिक कार्य विभाग	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, मुम्बई	CGV001602G	केन्द्र सरकार
34.	आर्थिक कार्य विभाग	वेतन एवं लेखा अधिकारी (स्था) नई दिल्ली	CGV001581G	केन्द्र सरकार
35.	वित्तीय सेवाएं विभाग	बैंकिंग प्रभाग, नई दिल्ली	CGV001579E	केन्द्र सरकार
36.	खान मंत्रालय	महानिदेशक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण सी एच क्यू, कोलकाता	CGV002774C	केन्द्र सरकार
37.	खान मंत्रालय	भू-भौतिकी प्रभाग, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, द क्षे हैदराबाद	CGV011601C	केन्द्र सरकार
38.	खान मंत्रालय	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भोपाल	CGV000097G	केन्द्र सरकार
39.	खान मंत्रालय	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जम्मू	CGV000101D	केन्द्र सरकार
40.	खान मंत्रालय	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जयपुर	CGV000227D	केन्द्र सरकार
41.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	डीडीओ (रोकड़), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	CGV002594E	केन्द्र सरकार
42.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	वरिष्ठ ए ओ (स्थापना)	CGV014123E	केन्द्र सरकार
43.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली	CGV000074E	केन्द्र सरकार

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	डीडीओ का नाम	डीडीओ पंजीकरण संख्या	केन्द्र सरकार/ सीएबी
44.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	कार्यालय भारतीय महासर्वेक्षक, देहरादून	CGV000271F	केन्द्र सरकार
45.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	भूस्थानिक आंकडा केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून	CGV000303C	केन्द्र सरकार
46.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, जम्मू	CGV000271F	केन्द्र सरकार
47.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	भारतीय सर्वेक्षण एवं प्रतिदर्शण संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण, हैदराबाद	CGV001938G	केन्द्र सरकार
48.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन, कोलकाता	CGV001376E	केन्द्र सरकार
49.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र असम और नागालैण्ड, गुवाहाटी	CGV001264E	केन्द्र सरकार
50.	जल संसाधन मंत्रालय	पूर्वी नदी प्रभाग, केन्द्रीय जल आयोग, भुवनेश्वर	CGV000339D	केन्द्र सरकार
51.	जल संसाधन मंत्रालय	कार्यालय कार्यपालक अभियन्ता, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, प्रभाग-X, भुवनेश्वर	CGV000368E	केन्द्र सरकार
52.	जल संसाधन मंत्रालय	कार्यालय केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड प्रभाग-V, रांची	CGV000374D	केन्द्र सरकार
53.	जल संसाधन मंत्रालय	केन्द्रीय जल एवं विद्युत शोध स्टेशन केन्द्रीय जल आयोग, पुणे	CGV000458D	केन्द्र सरकार
54.	जल संसाधन मंत्रालय	केन्द्रीय जल आयोग, आर के पुरम, नई दिल्ली	CGV000455A	केन्द्र सरकार
55.	जल संसाधन मंत्रालय	पी एण्ड आई प्रभाग, केन्द्रीय जल आयोग, फरीदाबाद	CGV000352C	केन्द्र सरकार
56.	जल संसाधन मंत्रालय	मध्य गंगा प्रभाग -II, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ	CGV000347E	केन्द्र सरकार
57.	परमाणु ऊर्जा विभाग	परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, बैंगलोर	CGV004690A	केन्द्र सरकार
58.	परमाणु ऊर्जा विभाग	इन्दिरा गाँधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपक्कम	CGV002627C	केन्द्र सरकार

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	डीडीओ का नाम	डीडीओ पंजीकरण संख्या	केन्द्र सरकार/ सीएबी
59.	परमाणु ऊर्जा विभाग	सामान्य सेवा संगठन, परमाणु ऊर्जा विभाग, कलपक्कम	CGV002588F	केन्द्र सरकार
60.	परमाणु ऊर्जा विभाग	भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई	CGV002589D	केन्द्र सरकार
61.	परमाणु ऊर्जा विभाग	परमाणु खनिज प्रभाग, हैदराबाद	CGV002593D	केन्द्र सरकार
62.	परमाणु ऊर्जा विभाग	नाभिकीय ईंधन समिश्र, हैदराबाद	CGV002585C	केन्द्र सरकार
63.	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	CGV011991A	सीएबी
64.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सी एन सी	CGV014513C	सीएबी
65.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रोकड़ अनुभाग	CGV014517G	सीएबी
66.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	केन्द्रीय विद्यालय, प्रगति विहार, लोधी मार्ग, नई दिल्ली	CGV014018E	सीएबी
67.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद	CGV011582E	सीएबी
68.	वित्तीय सेवाऐं विभाग	पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, दिल्ली	CGV009644F	सीएबी
69.	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली	CGV013259B	सीएबी
70.	परमाणु ऊर्जा विभाग	टाटा स्मारक केन्द्र, मुम्बई	CGV014202G	सीएबी
71.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	श्री चित्रा तिरूनल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूवनन्तपुरम	CGV01300B	सीएबी
72.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	टी आई एफ ए सी, नई दिल्ली	CGV014729B	सीएबी
73.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद), नागपुर	CGV011666E	सीएबी

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	डीडीओ का नाम	डीडीओ पंजीकरण संख्या	केन्द्र सरकार/ सीएबी
74.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद), लखनऊ	CGV011664C	सीएबी

अनुलग्नक III

वार्षिक लेखा विवरणियों का जारी नहीं होना
(पैरा सं. 3.4.1 में संदर्भित)

क्रम सं	डीडीओ का नाम	मंत्रालय	चयनित कर्मचारियों की संख्या	क्या वार्षिक लेखा विवरणी जारी हुई	यदि हाँ तो कितनी
1.	संचार एवं बहिर्पहुँच ब्यूरो,	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	1	नहीं	0
2.	मुख्य सचिवालय		2	नहीं	0
3.	प्रेस सूचना ब्यूरो		1	नहीं	0
4.	संचार एकक, दिल्ली पुलिस	गृह मंत्रालय	2	नहीं	0
5.	अपराध शाखा, नई दिल्ली		2	नहीं	0
6.	समूह केन्द्र, केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल नई दिल्ली		2	नहीं	0
7.	महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पुलिस बल एकक, दिल्ली पुलिस		2	नहीं	0
8.	केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, नई दिल्ली		2	नहीं	0
9.	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली	विधि और न्याय मंत्रालय	2	नहीं	0
10.	विधि कार्य विभाग		2	नहीं	0
11.	राजभाषा स्कन्ध		2	हाँ	2
12.	डीडीओ भारत का सर्वोच्च न्यायालय		2	नहीं	0

क्रम सं	डीडीओ का नाम	मंत्रालय	चयनित कर्मचारियों की संख्या	क्या वार्षिक लेखा विवरणी जारी हुई	यदि हाँ तो कितनी
13.	सांख्यिकी विभाग	सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	2	नहीं	0
14.	क्षेत्र ऑपरेशन डिविजन (एफ ओ डी) मुख्यालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय नई दिल्ली		1	नहीं	0
15.	सी आई टी–IV, सी आर भवन	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	2	नहीं	0
16.	डीडीओ (निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, सी एण्ड सी ई)		2	नहीं	0
17.	प्रवर्तन निदेशालय, एम टी एन एल भवन		1	नहीं	0
18.	राजस्व विभाग		2	नहीं	0
19.	प्रवर्तन निदेशालय, खान मार्केट		1	नहीं	0
20.	कार्यपालक अभियन्ता, एम सी डी -II प्रभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण सदन, काने नगर, मुम्बई	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	2	नहीं	0
21.	सहायक प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस, मिंटो रोड, नई दिल्ली		2	नहीं	0
22.	डीडीओ, महानिदेशक, जी एस आई, सी एच क्यू, कोलकाता	खान मंत्रालय	2	नहीं	0
23.	डीडीओ, रोकड़-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	1	नहीं	0

क्रम सं	डीडीओ का नाम	मंत्रालय	चयनित कर्मचारियों की संख्या	क्या वार्षिक लेखा विवरणी जारी हुई	यदि हाँ तो कितनी
24.	विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, नई दिल्ली	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2	नहीं	0
25.	टी आई एफ ए सी, नई दिल्ली		2	नहीं	0
26.	भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, उतराखण्ड, देहरादून		2	नहीं	0
27.	भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, जम्मू		2	नहीं	0
28.	भारतीय सर्वेक्षण एवं प्रतिदर्शण संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद		2	नहीं	0
29.	राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संस्थान, एन ए टी एम ओ, कोलकाता		2	हाँ	2
30.	भूस्थानिक आंकड़ा केन्द्र, असम एवं नागालैण्ड, गुवाहाटी		2	हाँ	2
31.	कार्यालय कार्यपालक अभियन्ता, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड प्रभाग-X, भुवनेश्वर	जल संसाधन मंत्रालय	2	नहीं	0
32.	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, प्रभाग-V, राँची		2	नहीं	0
33.	केन्द्रीय जल एवं विद्युत शोध स्टेशन केन्द्रीय जल आयोग, पुणे		2	हाँ	2
34.	मध्य गंगा प्रभाग- II, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ		1	नहीं	0
35.	परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, बैंगलोर	परमाणु उर्जा विभाग	1	हाँ	1
36.	इन्दिरा गाँधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपक्कम		2	हाँ	2

क्रम सं	डीडीओ का नाम	मंत्रालय	चयनित कर्मचारियों की संख्या	क्या वार्षिक लेखा विवरणी जारी हुई	यदि हाँ तो कितनी
37.	सामान्य सेवा संगठन, परमाणु ऊर्जा विभाग, कलपक्कम		2	हाँ	2
38.	भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई		2	हाँ	2
39.	परमाणु खनिज प्रभाग, हैदराबाद		1	हाँ	1
40.	नाभिकीय ईंधन समिश्र, हैदराबाद		2	नहीं	0
योग			**71**	9 (हाँ) और 31 (नहीं)	**16**

अनुलग्नक IV

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के चयनित डीडीओ का एनपीएस के अन्तर्गत पंजीकरण में विलम्ब

(पैरा सं 4.1.1.1 में संदर्भित)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	डीडीओ का नाम	पंजीकरण तिथि	पंजीकरण में लिया गया समय (दिनों में)
1.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	संचार एवं बहिर्पहुँच ब्यूरो	27.08.2008	87
2.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	प्रकाशन प्रभाग	27.08.2008	87
3.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	मुख्य सचिवालय	28.08.2008	88
4.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	फिल्म प्रभाग, दिल्ली	27.08.2008	87
5.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	प्रेस सूचना ब्यूरो	28.08.2008	88
6.	गृह मंत्रालय	संचार एकक, दिल्ली पुलिस	17.10.2008	138
7.	गृह मंत्रालय	अपराध शाखा, नई दिल्ली	04.02.2009	248
8.	गृह मंत्रालय	समूह केन्द्र, सी आर पी एफ, नई दिल्ली	25.09.2008	116
9.	गृह मंत्रालय	महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष पुलिस एकक, दिल्ली पुलिस	04.02.2009	248
10.	गृह मंत्रालय	केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, नई दिल्ली	25.09.2008	116
11.	विधि एवं न्याय मंत्रालय	आयकर अपीलीय न्यायाधीकरण, दिल्ली	16.09.2008	107
12.	विधि एवं न्याय मंत्रालय	विधि कार्य विभाग	16.09.2008	107
13.	विधि एवं न्याय मंत्रालय	विधि कार्य, केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग	16.09.2008	107

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	डीडीओ का नाम	पंजीकरण तिथि	पंजीकरण में लिया गया समय (दिनों में)
14.	विधि एवं न्याय मंत्रालय	राजभाषा स्कन्ध	11.08.2008	71
15.	विधि एवं न्याय मंत्रालय	डीडीओ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय	11.08.2008	71
16.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	सांख्यिकी विभाग	22.09.2008	113
17.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	क्षेत्रीय ऑपरेशन डिविजन मुख्यालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, दिल्ली	22.09.2008	113
18.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	आंकड़ा प्रसंस्करण केन्द्र, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, दिल्ली	19.01.2009	232
19.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी	07.10.2013[6]	37
20.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	नीति आयोग	10.09.2008	101
21.	राजस्व विभाग	सी आई टी- IV सी.आर. भवन	22.04.2009	325
22.	राजस्व विभाग	डीडीओ (निदेशालय निरिक्षण एवं लेखा परीक्षा, सी एण्ड सी ई)	10.09.2008	101

[6] अगस्त 2013 में डी.डी.ओ. बनाए गए, इसलिए 1.09.2013 से देरी हुई।

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	डीडीओ का नाम	पंजीकरण तिथि	पंजीकरण में लिया गया समय (दिनों में)
23.	राजस्व विभाग	प्रर्वतन निदेशालय, एम टी एन एल भवन	13.09.2008	104
24.	राजस्व विभाग	राजस्व विभाग	13.09.2008	104
25.	राजस्व विभाग	प्रवर्तन निदेशालय, खान मार्केट	13.09.2008	104
26.	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	कार्यपालक अभियन्ता "एस" खण्ड, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	17.09.2008	169
27.	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	कार्यपालक अभियन्ता, एम सी डी खण्ड-II, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण सदन, कान्ने नगर, मुम्बई	24.09.2008	115
28.	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	कार्यपालक अभियन्ता ई डी-9, आर के पुरम, नई दिल्ली	17.11.2008	169
29.	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	सहायक प्रबंधक भारत सरकार प्रेस, मिंटो रोड़, नई दिल्ली	22.10.2008	143
30.	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	सहायक प्रबंधक भारत सरकार प्रेस, मुद्रिका मार्ग, नई दिल्ली	19.06.2009	383
31.	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	आर्थिक कार्य विभाग आई ई एस प्रभाग, नई दिल्ली	13.09.2008	104
32.	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	डीडीओ (नकद) आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली	13.09.2008	104
33.	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (डी ई ए) मुम्बई	13.09.2008	104

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	डीडीओ का नाम	पंजीकरण तिथि	पंजीकरण में लिया गया समय (दिनों में)
34.	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	वेतन एवं लेखा अधिकारी (स्था), नई दिल्ली	13.09.2008	104
35.	वित्तीय सेवाऐं विभाग, वित्त मंत्रालय	वित्तीय सेवाऐं विभाग, बैंकिग प्रभाग, नई दिल्ली	13.09.2008	104
36.	खान मंत्रालय	डीडीओ, महानिदेशक भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, सीएचक्यू, कोलकाता	03.10.2008	124
37.	खान मंत्रालय	भौतिकी प्रभाग, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, हैदराबाद	06.10.2009	492
38.	खान मंत्रालय	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भोपाल	08.08.2008	68
39.	खान मंत्रालय	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जम्मू	08.08.2008	68
40.	खान मंत्रालय	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जयपुर	14.08.2008	74
41.	भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	डीडीओ (नकद)	26.09.2008	117
42.	भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	वरिष्ठ ए ओ (स्था)	02.11.2010	884
43.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	नई दिल्ली	04.08.2008	64
44.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	कार्यालय भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून	03.11.2008	155
45.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र देहरादून, उत्तराखण्ड	25.08.2008	85

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	डीडीओ का नाम	पंजीकरण तिथि	पंजीकरण में लिया गया समय (दिनों में)
46.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, जम्मू	03.11.2008	85
47.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	भारतीय सर्वेक्षण एवं प्रतिदर्शण संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद	22.09.2008	113
48.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	आर पी ए ओ, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राष्ट्रीय एटलस एवं मानचित्रण संगठन, कोलकाता	10.09.2008	101
49.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, असम एवं नागालैण्ड, गुवाहाटी	10.09.2008	101
50.	जल संसाधन मंत्रालय	पूर्व नदी प्रभाग, केन्द्रीय जल आयोग, भुवनेश्वर	01.09.2008	92
51.	जल संसाधन मंत्रालय	कार्यालय कार्यपालक अभियन्ता, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, खण्ड -X, भुवनेश्वर	01.09.2008	92
52.	जल संसाधन मंत्रालय	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, राँची	01.09.2008	92
53.	जल संसाधन मंत्रालय	केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन, केन्द्रीय जल आयोग, पुणे	01.09.2008	92
54.	जल संसाधन मंत्रालय	केन्द्रीय जल आयोग, आर के पुरम, नई दिल्ली	01.09.2008	92
55.	जल संसाधन मंत्रालय	पी एण्ड आई प्रभाग, केन्द्रीय जल आयोग, फरीदाबाद	01.09.2008	92

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	डीडीओ का नाम	पंजीकरण तिथि	पंजीकरण में लिया गया समय (दिनों में)
56.	जल संसाधन मंत्रालय	मध्य गंगा प्रभाग-II, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ	01.09.2008	92
57.	परमाणु ऊर्जा विभाग	परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, बैंगलोर	21.09.2008	92
58.	परमाणु ऊर्जा विभाग	इन्दिरा गाँधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपक्कम	30.09.2008	173
59.	परमाणु ऊर्जा विभाग	सामान्य सेवा संगठन, परमाणु ऊर्जा विभाग, कलपक्कम	26.09.2008	121
60.	परमाणु ऊर्जा विभाग	भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई	26.09.2008	121
61.	परमाणु ऊर्जा विभाग	परमाणु खनिज प्रभाग, हैदराबाद	26.09.2008	117
62.	परमाणु ऊर्जा विभाग	नाभिकीय ईंधन समिश्र, हैदराबाद	16.01.2009	229
विलम्ब की परास (दिनों में)				**37-884**

अनुलग्नक V

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत चयनित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के पंजीकरण में विलंब

(पैरा संख्या 4.1.1.2 में संदर्भित)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	डीडीओ का नाम	डीडीओ की पंजीकरण तिथि	पंजीकरण में लगने वाली अवधि (दिनों में)
1.	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विज्ञान प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	23.09.2009	479
2.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सी एन सी	29.12.2010	941
3.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रोकड़ अनुभाग	29.12.2010	941
4.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	केन्द्रीय विद्यालय, प्रगति विहार, लोधी रोड़, नई दिल्ली	03.12.2010	915
5.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद	08.10.2009	494
6.	वित्तीय सेवाएं विभाग	पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण	01.04.2009	304
7.	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	दिल्ली विकास प्राधिकरण	09.09.2010	830
8.	परमाणु ऊर्जा विभाग	टाटा स्मारक केन्द्र, मुम्बई	26.11.2010	908
9.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	श्री चित्रा तिरुनाल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम	14.07.2010 (डी.डी.ओ. 15.03.2010 से कार्यरत)	121
10.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	टी आई एफ ए सी, नई दिल्ली	01.03.2011	1003
11.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद), नागपुर	14.10.2009	502

12.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद), लखनऊ	14.10.2009	500
विलंब की परास (दिनों में)				**121-1003**

अनुलग्नक VI

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत राज्य सरकार में चयनित डीडीओ के पंजीकरण में लिया गया समय

(पैरा संख्या 4.1.1.3 में संदर्भित)

क्र. सं.	राज्य	एनएसडीएल सीआरए के साथ अनुबन्ध की तिथि	चयनित डीडीओ का नाम	डीडीओ की पंजीकरण संख्या	चयनित डीडीओ की पंजीकरण तिथि	डीडीओ के पंजीकरण में लगने वाली अवधि (दिनों में)
1.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	एम आर ओ, विजयवाड़ा (आर)	SGV015425E	07.07.2009	228
2.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	अधिशासी अभियंता, विजयवाड़ा	SGV103088B	31.12.2010	770
3.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	आयुक्त (दक्षिण-पूर्व), नगर पालिका, मछलीपट्टनम	SGV015626C	07.07.2009	228
4.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	पुलिस अधीक्षक, गुंटूर	SGV017319B	07.07.2009	228
5.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	सहायक निदेशक, कृषि, नांदयाल	SGV052905G	24.02.2010	460
6.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	पुलिस अधीक्षक, कुर्नूल	SGV021396E	08.07.2009	229
7.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	पुलिस अधीक्षक, अनंतपुर	SGV022455G	08.07.2009	229
8.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	पुलिस अधीक्षक, कडपा	SGV024277B	08.07.2009	229
9.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	पुलिस अधीक्षक, चितूर (सीटीआर) के निजी सहायक	SGV023391E	08.07.2009	229
10.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	एम आर ओ, पेडापाडु	SGV014414B	07.07.2009	228
11.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	एम ई ओ एम पी, पालाकोडेरु	SGV014055G	07.07.2009	228
12.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	एम आर ओ, कोव्वूर	SGV014701B	07.07.2009	228
13.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	एम आर ओ, पालाकोल्लू, पश्चिम गोदावरी	SGV014774E	07.07.2009	228

क्र. सं.	राज्य	एनएसडीएल सीआरए के साथ अनुबन्ध की तिथि	चयनित डीडीओ का नाम	डीडीओ की पंजीकरण संख्या	चयनित डीडीओ की पंजीकरण तिथि	डीडीओ के पंजीकरण में लगने वाली अवधि (दिनों में)
14.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	एच एम सरकारी एच एस, कोरुकोंडा	SGV013458E	07.07.2009	228
15.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	एम ई ओ, अंबाजीपेटा	SGV012707C	07.07.2009	228
16.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	पुलिस अधीक्षक, काकीनाडा	SGV012519D	07.07.2009	228
17.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	पुलिस अधीक्षक, विशाखापत्तनम	SGV038525E	09.07.2009	230
18.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	आबकारी अधीक्षक, विजियानगरम	SGV141451E	20.03.2012	1215
19.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	उप-निदेशक, (दक्षिण-पश्चिम), विजियानगरम	SGV036127A	09.07.2009	230
20.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	सहायक कोषाधिकारी, श्रीकाकुलम	SGV037374B	09.07.2009	230
21.	झारखण्ड	25.10.2008	मुख्य अध्यापक माध्यमिक विद्यालय, देवघर	SGV007737C	05.04.2009	162
22.	झारखण्ड	25.10.2008	जिला शिक्षा अधिकारी, देवघर	SGV007737C	05.04.2009	162
23.	झारखण्ड	25.10.2008	पुलिस अधीक्षक, देवघर	SGV007737C	05.04.2009	162
24.	झारखण्ड	25.10.2008	सेनानायक, जेएपी-5, देवघर	SGV007737C	05.04.2009	162
25.	झारखण्ड	25.10.2008	प्रभारी न्यायधीश, दीवानी न्यायालय, गढ़वा	SGV007753E	05.04.2009	162
26.	झारखण्ड	25.10.2008	मुख्य अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय, सोनपुरवा, गढ़वा	SGV007753E	05.04.2009	162
27.	झारखण्ड	25.10.2008	मुख्य अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय, दौनादाग, गढ़वा	SGV007753E	05.04.2009	162
28.	झारखण्ड	25.10.2008	पुलिस अधीक्षक, गढ़वा	SGV007753E	05.04.2009	162

क्र. सं.	राज्य	एनएसडीएल सीआरए के साथ अनुबन्ध की तिथि	चयनित डीडीओ का नाम	डीडीओ की पंजीकरण संख्या	चयनित डीडीओ की पंजीकरण तिथि	डीडीओ के पंजीकरण में लगने वाली अवधि (दिनों में)
29.	झारखण्ड	25.10.2008	प्रभारी न्यायधीश, दीवानी न्यायालय, कोडरमा	SGV007732E	05.04.2009	162
30.	झारखण्ड	25.10.2008	मुख्य अध्यापक, जी माध्यमिक विद्यालय, खण्ड कोडरमा	SGV007732E	05.04.2009	162
31.	झारखण्ड	25.10.2008	मुख्य अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय, खण्ड डोमचांच	SGV007732E	05.04.2009	162
32.	झारखण्ड	25.10.2008	पुलिस अधीक्षक, कोडरमा	SGV007732E	05.04.2009	162
33.	झारखण्ड	25.10.2008	मुख्य अध्यापक, बालिका माध्यमिक विद्यालय, पांकी, पलामू	SGV007742A	05.04.2009	162
34.	झारखण्ड	25.10.2008	मुख्य अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय, शाहपुर चैनपुर, डाल्टनगंज	SGV007742A	05.04.2009	162
35.	झारखण्ड	25.10.2008	पुलिस अधीक्षक, पलामू	SGV007742A	05.04.2009	162
36.	झारखण्ड	25.10.2008	सेवानायक, जे ए पी-8, लैस्लीगंज, पलामू	SGV007742A	05.04.2009	162
37.	झारखण्ड	25.10.2008	प्रभारी न्यायाधीश, दीवानी न्यायालय, राँची	SGV007735A	05.04.2009	162
38.	झारखण्ड	25.10.2008	जिला शिक्षा अधिकारी, राँची	SGV007735A	05.04.2009	162
39.	झारखण्ड	25.10.2008	सेनानायक, जे ए पी-2, तातिसिलवाई	SGV007735A	05.04.2009	162
40.	झारखण्ड	25.10.2008	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, राँची	SGV007735A	05.04.2009	162
41.	कर्नाटक	20.01.2010	पुलिस उपायुक्त यातायात, पूर्वी प्रभाग, बेंगलुरु	SGV056127B	23.03.2010	62

क्र. सं.	राज्य	एनएसडीएल सीआरए के साथ अनुबन्ध की तिथि	चयनित डीडीओ का नाम	डीडीओ की पंजीकरण संख्या	चयनित डीडीओ की पंजीकरण तिथि	डीडीओ के पंजीकरण में लगने वाली अवधि (दिनों में)
42.	कर्नाटक	20.01.2010	पुलिस आयुक्त, मैसूरनगर	SGV059798E	23.04.2010	93
43.	कर्नाटक	20.01.2010	महापंजीयक, कर्नाटक उच्च न्यायालय	SGV078734F	07.06.2010	138
44.	कर्नाटक	20.01.2010	कार्यालय पुलिस अधीक्षक, गुलबर्गा	SGV065721F	23.04.2010	93
45.	कर्नाटक	20.01.2010	पुलिस अधीक्षक, शिमोगा	SGV067798D	23.05.2010	103
46.	कर्नाटक	20.01.2010	पुलिस आयुक्त, मैंगलोर शहर	SGV086872C	21.07.2010	182
47.	कर्नाटक	20.01.2010	कर्नाटक सरकार के अवर सचिव, डीपीएआर लेखे	SGV069717E	11.05.2010	111
48.	कर्नाटक	20.01.2010	प्रधान अध्यापक, के एस आर पी प्रशिक्षण विद्यालय होसाहल्ली, मुनिराबाद, कोप्पल	SGV062134C	23.04.2010	93
49.	कर्नाटक	20.01.2010	अधिशासी अधिकारी तालुक पंचायत, चिंतामणि	SGV057581G	12.04.2010	82
50.	कर्नाटक	20.01.2010	एस एन आर, जिला अस्पताल, कोलार	SGV058902E	23.04.2010	93
51.	कर्नाटक	20.01.2010	कार्यालय तहसीलदार, श्रीनिवासपुर, तालुक, कोलार जिला	SGV059137B	23.04.2010	93
52.	कर्नाटक	20.01.2010	कार्यालय अधिशासी अधिकारी, टी पी, होलेनरसीपूरा	SGV067579B	03.05.2010	103
53.	कर्नाटक	20.01.2010	निदेशक, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी, बैंगलोर	SGV070047F	11.05.2010	111
54.	कर्नाटक	20.01.2010	जिला अग्निशमन अधिकारी, कोलार	SGV070131F	11.05.2010	111

क्र. सं.	राज्य	एनएसडीएल सीआरए के साथ अनुबन्ध की तिथि	चयनित डीडीओ का नाम	डीडीओ की पंजीकरण संख्या	चयनित डीडीओ की पंजीकरण तिथि	डीडीओ के पंजीकरण में लगने वाली अवधि (दिनों में)
55.	कर्नाटक	20.01.2010	रेंज वन अधिकारी, हलियाल जिला, कारवार	SGV070827B	11.05.2010	111
56.	कर्नाटक	20.01.2010	तहसीलदार, जोएडा	SGV070860G	11.05.2010	111
57.	कर्नाटक	20.01.2010	प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, रुपनगुडी	SGV070947C	11.05.2010	111
58.	कर्नाटक	20.01.2010	दीवानी न्यायाधीश (एस डी), कुनिगल	SGV078587F	03.06.2010	134
59.	कर्नाटक	20.01.2010	दीवानी न्यायाधीश (जे आर डी एन) एवं जे एम एफ सी, चन्नापट्टना	SGV079935C	06.07.2010	167
60.	कर्नाटक	20.01.2010	सरकारी महिला बहुशिल्प शिक्षणालय, कर्कला	SGV082125B	10.07.2010	171
61.	महाराष्ट्र	10.10.2014	कार्यालय पुलिस अधीक्षक, पुणे	SGV201040E	02.02.2015	115
62.	महाराष्ट्र	10.10.2014	कार्यालय अधीक्षक, पुलिस आयुक्त, नवी मुम्बई	SGV193471A	02.02.2015	115
63.	महाराष्ट्र	10.10.2014	कार्यालय पुलिस अधीक्षक, पालघर	SGV205115F	17.08.015	311
64.	महाराष्ट्र	10.10.2014	कार्यालय अधीक्षक, पुलिस आयुक्त, थाणे	SGV189484D	15.01.2015	97
65.	महाराष्ट्र	10.10.2014	कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुणे	SGV199831E	उपलब्ध नहीं	-
66.	महाराष्ट्र	10.10.2014	उप-क्षेत्रीय यातायात कार्यालय, जलगाँव	SGV197379C	04.02.2015	117
67.	महाराष्ट्र	10.10.2014	तहसीलदार, फलटण, सतारा	SGV198408C	04.02.2015	117
68.	महाराष्ट्र	10.10.2014	अधिशासी अभियंता, ताकारी	SGV199206C	04.02.2015	117

क्र. सं.	राज्य	एनएसडीएल सीआरए के साथ अनुबन्ध की तिथि	चयनित डीडीओ का नाम	डीडीओ की पंजीकरण संख्या	चयनित डीडीओ की पंजीकरण तिथि	डीडीओ के पंजीकरण में लगने वाली अवधि (दिनों में)
			म्हाईसाल, लिफ्ट सिंचाई प्रबंधन खण्ड, सांगली			
69.	महाराष्ट्र	10.10.2014	सहायक विद्युत निरीक्षक (लिफ्ट), चेम्बूर, मुम्बई	SGV200249E	05.02.2015	118
70.	महाराष्ट्र	10.10.2014	तहसीलदार, फलटण, सतारा	SGV200687B	05.02.2015	118
71.	महाराष्ट्र	10.10.2014	जिला आपूर्ति कार्यालय, अहमदनगर	SGV191346D	16.01.2015	98
72.	महाराष्ट्र	10.10.2014	एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, नागपुर	SGV190829E	16.01.2015	98
73.	महाराष्ट्र	10.10.2014	संयुक्त जिला पंजीयक, c-1, नांदेड	SGV190418G	15.01.2015	97
74.	महाराष्ट्र	10.10.2014	पुलिस अधीक्षक, गढ़चिरोली	SGV191016C	16.01.2015	98
75.	महाराष्ट्र	10.10.2014	तालुका कृषि अधिकारी, तालुका परिमंडल कार्यालय, चन्द्रपुर, भद्रावती	SGV191000A	16.01.2015	98
76.	महाराष्ट्र	10.10.2014	मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), गढ़चिरोली	SGV191049A	16.01.2015	98
77.	महाराष्ट्र	10.10.2014	पुलिस आयुक्त, नागपुर सिटी, नागपुर	SGV200893E	05.02.2015	118
78.	महाराष्ट्र	10.10.2014	निदेशक सरकारी विज्ञान संस्थान, नागपुर	SGV190829E	16.01.2015	98
79.	महाराष्ट्र	10.10.2014	रेंज वन अधिकारी, हिन्गनी	SGV198439F	04.02.2015	117
80.	महाराष्ट्र	10.10.2014	तहसीलदार केलापुर, जिला यवतमाल	SGV198780D	02.06.2016	601
81.	राजस्थान	09.11.2010	खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर	SGV109747D	21.05.2011	193

क्र. सं.	राज्य	एनएसडीएल सीआरए के साथ अनुबन्ध की तिथि	चयनित डीडीओ का नाम	डीडीओ की पंजीकरण संख्या	चयनित डीडीओ की पंजीकरण तिथि	डीडीओ के पंजीकरण में लगने वाली अवधि (दिनों में)
82.	राजस्थान	09.11.2010	खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, सिंधरी	SGV109750G	21.05.2011	193
83.	राजस्थान	09.11.2010	पुलिस अधीक्षक, जोधपुर	SGV120108E	20.05.2011	192
84.	राजस्थान	09.11.2010	मुख्य अध्यापक, जी एस एस, चडी ओसियाँ	SGV129867F	13.06.2011	216
85.	राजस्थान	09.11.2010	सरकारी माध्यमिक विद्यालय, साई, शेरगढ़	SGV141958A	16.04.2012	524
86.	राजस्थान	09.11.2010	मुख्य अध्यापक, सरकारी माध्यमिक विद्यालय, चीला, फलोदी	SGV148572G	03.06.2013	937
87.	राजस्थान	09.11.2010	अपर जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर	SGV124754C	20.05.2011	192
88.	राजस्थान	09.11.2010	एच एम जी एस एस, नाडा-खेड़ा	SGV149492C	04.09.2013	1030
89.	राजस्थान	09.11.2010	सरकारी माध्यमिक विद्यालय, कुलथाना, रोहत, पाली	SGV149569C	01.03.2012	478
90.	राजस्थान	09.11.2010	अपराध सहायक (डीडीओ) पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), जयपुर नगर	SGV115733E	21.05.2011	193
91.	राजस्थान	09.11.2010	डीडीओ, एसएमएस चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	SGV115769F	21.05.2011	193
92.	राजस्थान	09.11.2010	जी एस एस डोरा, बून्दी	SGV149708B	17.09.2013	1043
93.	राजस्थान	09.11.2010	सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैदरीपुरा, उनियारा टोंक	SGV147489B	22.02.2013	836

क्र. सं.	राज्य	एनएसडीएल सीआरए के साथ अनुबन्ध की तिथि	चयनित डीडीओ का नाम	डीडीओ की पंजीकरण संख्या	चयनित डीडीओ की पंजीकरण तिथि	डीडीओ के पंजीकरण में लगने वाली अवधि (दिनों में)
94.	राजस्थान	09.11.2010	तहसीलदार, वजीरपुर, सवाई माधोपुर	SGV148922G	16.07.2013	980
95.	राजस्थान	09.11.2010	एच एम सरकारी माध्यमिक विद्यालय, उप्लागढ़ सिरोही	SGV146938D	17.01.2013	800
96.	राजस्थान	09.11.2010	बीसीएमओ, रोहत, पाली	SGV129981A	13.06.2011	216
97.	राजस्थान	09.11.2010	विश्लेषक सह प्रोग्रामर, उपनिदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार	SGV204510C	23.06.2015	1687
98.	राजस्थान	09.11.2010	एच एम सरकारी माध्यमिक विद्यालय, दावा नोखा, बीकानेर	SGV142046E	19.04.2012	527
99.	राजस्थान	09.11.2010	एच एम सरकारी माध्यमिक विद्यालय, भानेका गाँव, श्री कोलायत, बीकानेर	SGV177532A	24.02.2014	1203
100.	राजस्थान	09.11.2010	उप अधीक्षक, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, बीकानेर	SGV111849F	20.05.2011	193
101.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून	SGV044702A	25.11.2009	75
102.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	उप शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक), देहरादून	SGV044702A	25.11.2009	75
103.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	डीईओ/डीपीओ प्राथमिक शिक्षा, देहरादून	SGV044702A	25.11.2009	75
104.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	अधिशासी अभियंता, आधारभूत संरचना खण्ड, डाकपत्थर	SGV044702A	25.11.2009	75
105.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, यूएस नगर	SGV044726D	25.11.2009	75

क्र. सं.	राज्य	एनएसडीएल सीआरए के साथ अनुबन्ध की तिथि	चयनित डीडीओ का नाम	डीडीओ की पंजीकरण संख्या	चयनित डीडीओ की पंजीकरण तिथि	डीडीओ के पंजीकरण में लगने वाली अवधि (दिनों में)
106.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	सेनानायक, 31 बीएन पीएसी, रुद्रपुर	SGV044726D	25.11.2009	75
107.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	उप शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक), यू एस नगर	SGV044726D	25.11.2009	75
108.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	उप शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक), रुद्रपुर	SGV044726D	25.11.2009	75
109.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत	SGV044727E	25.11.2009	75
110.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	उप शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक), लोहाघाट	SGV044727E	25.11.2009	75
111.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	उप शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक), चम्पावत	SGV044727E	25.11.2009	75
112.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	डीईओ/डीपीओ प्राथमिक शिक्षा, चम्पावत	SGV044727E	25.11.2009	75
113.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर	SGV044728F	25.11.2009	75
114.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	अधिशासी अभियंता सीडीपीडब्ल्यूडी, कपकोट	SGV044728F	25.11.2009	75
115.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	उप शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक)	SGV044728F	25.11.2009	75
116.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	डीईओ/डीपीओ प्राथमिक शिक्षा, बागेश्वर	SGV044728F	25.11.2009	75
117.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	एमओआईसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बीरोंखाल	SGV044707F	25.11.2009	75
118.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	अधिशासी अभियंता, एनएच खण्ड, लोक निर्माण विभाग, धूमाकोट	SGV044707F	25.11.2009	75
119.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	उप शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक), नैनिदंदा	SGV044707F	25.11.2009	75

क्र. सं.	राज्य	एनएसडीएल सीआरए के साथ अनुबन्ध की तिथि	चयनित डीडीओ का नाम	डीडीओ की पंजीकरण संख्या	चयनित डीडीओ की पंजीकरण तिथि	डीडीओ के पंजीकरण में लगने वाली अवधि (दिनों में)
120.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	उप शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक), बीरोंखाल	SGV044707F	25.11.2009	75
121.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	डीटीओ सोलन, ईई आईपीएच सोलन	SGV068633F	13.04.2010	110
122.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	डीटीओ सोलन, बीपीईईओ धर्मपुर	SGV068633F	13.04.2010	110
123.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	डीटीओ सोलन, एसपी सोलन	SGV068633F	13.04.2010	110
124.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	डीटीओ सोलन, पशुपालन	SGV068633F	13.04.2010	110
125.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	डीटीओ मण्डी, ईई आईपीएच, पाढ़र	SGV068638D	04.05.2010	131
126.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	डीटीओ मण्डी, ईई एचपीपीडब्ल्यूडी, धर्मपुर	SGV068638D	04.05.2010	131
127.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	डीटीओ मण्डी, ईई एचपीपीडब्ल्यूडी, जोगिंदर नगर	SGV068638D	04.05.2010	131
128.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	डीटीओ मण्डी, बटालियन, पंडोह	SGV068638D	04.05.2010	131
129.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	डीटीओ धर्मशाला, एसपी कांगड़ा	SGV068632E	04.05.2010	131
130.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	डीटीओ धर्मशाला, चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा	SGV068632E	04.05.2010	131
131.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	डीटीओ धर्मशाला, 4th बटालियन, सकोह	SGV068632E	04.05.2010	131
132.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	डीटीओ हमीरपुर एचपीपीडब्ल्यूडी, हमीरपुर	SGV068640F	04.05.2010	131

क्र. सं.	राज्य	एनएसडीएल सीआरए के साथ अनुबन्ध की तिथि	चयनित डीडीओ का नाम	डीडीओ की पंजीकरण संख्या	चयनित डीडीओ की पंजीकरण तिथि	डीडीओ के पंजीकरण में लगने वाली अवधि (दिनों में)
133.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	डीटीओ हमीरपुर, ताउनी देवी	SGV068640F	04.05.2010	131
134.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	डीटीओ हमीरपुर, पुलिस बटालियन, जंगल बेरी	SGV068640F	04.05.2010	131
135.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	पशुपालन, धर्मशाला	SGV068632E	04.05.2010	131
136.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	डीटीओ हमीरपुर, पशुपालन, हमीरपुर	SGV068640F	04.05.2010	131
137.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	डीटीओ राजधानी शिमला, एसएडी शिमला	SGV068642A	04.05.2010	131
138.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	डीटीओ राजधानी शिमला, पंजीयक उच्च न्यायालय, शिमला	SGV068642A	04.05.2010	131
139.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	डीटीओ राजधानी शिमला, एओआईजीएमसी, शिमला	SGV068642A	04.05.2010	131
140.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	डीटीओ राजधानी शिमला, वन बंदोबस्त, कसुम्पटी, शिमला	SGV068642A	04.05.2010	131
विलंब की परास (दिनों में)						**62-1687**

अनुलग्नक VII

एनपीएस के अंतर्गत राज्य स्वायत्त निकाय में चयनित डीडीओ के पंजीकरण में लिया गया समय

(पैरा सख्या. 4.1.1.3 में संदर्भित)

क्र. सं.	राज्य का नाम	एनएसडीएल सीआरए के साथ अनुबंध हस्ताक्षर करने की तिथि	चयनित एसएबी का नाम	एसएबी की पंजीकरण संख्या	चयनित एसएबी के पंजीकरण की तिथि	एसएबी के पंजीकरण में लगा समय (दिनों में)
1.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	एरिया अस्पताल, पर्वथिपुरम	SGV182404A	12.06.2014	2029
2.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विजयवाड़ा	SGV150164C	09.10.2013	1783
3.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	SGV148338D	09.05.2013	1630
4.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	राजीव गांधी ज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिला गुंटूर	SGV233982E	27.02.2018	3385
5.	आंध्र प्रदेश	21.11.2008	लेखा अधिकारी, टीटीडी	SGV206819B	26.11.2015	2561
6.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड	SGV141899E	04.04.2012	832
7.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम	SGV148360E	14.05.2013	1237
8.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	हिमाचल प्रदेश विद्यार्थी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला	SGV142193E	05.08.2012	955
9.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	जिला परिषद, मंडी	SGV184452E	13.08.2014	1693

क्र. सं.	राज्य का नाम	एनएसडीएल सीआरए के साथ अनुबंध हस्ताक्षर करने की तिथि	चयनित एसएबी का नाम	एसएबी की पंजीकरण संख्या	चयनित एसएबी के पंजीकरण की तिथि	एसएबी के पंजीकरण में लगा समय (दिनों में)
10.	हिमाचल प्रदेश	24.12.2009	जिला परिषद, कांगड़ा	SGV183173G	15.07.2014	1664
11.	झारखण्ड	25.10.2008	राजेन्द्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रांची	SGV104211E	02.02.2011	830
12.	झारखण्ड	25.10.2008	नेतरहाट आवासीय स्कूल	SGV233136F	18.12.2017	3341
13.	कर्नाटक	20.01.2010	बैंगलोर जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड, बैंगलोर	SGV211470E	15.09.2016	2430
14.	कर्नाटक	20.01.2010	बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, बागलकोट	SGV227926D	03.03.2017	2599
15.	कर्नाटक	20.01.2010	शहर नगरपालिका समिति, बीजापुर	SGV209045B	08.06.2016	2331
16.	कर्नाटक	20.01.2010	कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय, बैंगलौर	SGV210358F	05.08.2016	2389
17.	कर्नाटक	20.01.2010	बी एम एस अभियंत्रिकी महाविद्यालय, बैंगलूरु	SGV204701E	10.07.2015	1997
18.	महाराष्ट्र	10.10.2014	उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन विभाग) जिला परिषद, नांदेड़	SGV229653B	08.12.2017	1006 (no delay)
19.	राजस्थान	09.11.2010	राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर	SGV212377B	16.11.2016	2199

क्र. सं.	राज्य का नाम	एनएसडीएल सीआरए के साथ अनुबंध हस्ताक्षर करने की तिथि	चयनित एसएबी का नाम	एसएबी की पंजीकरण संख्या	चयनित एसएबी के पंजीकरण की तिथि	एसएबी के पंजीकरण में लगा समय (दिनों में)
20.	राजस्थान	09.11.2010	जयपुर शहरी यातायात सेवाएँ लिमिटेड, जयपुर	SGV231419D	25.09.2017	2512
21.	राजस्थान	09.11.2010	नगर निगम, जयपुर	SGV143037B	04.07.2012	603
22.	राजस्थान	09.11.2010	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	SGV142393B	14.05.2012	552
23.	राजस्थान	09.11.2010	शहरी सुधार न्यास, कोटा	SGV183172F	15.07.2014	1344
24.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	जीबी पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय	SGV143016B	04.07.2012	1027
25.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	डीपीओ, सीईओ, बागेश्वर	SGV206425G	29.10.2015	2239
26.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	डीपीओ, एसएसए, पिथौरागढ़	SGV143667B	06.09.2012	1091
27.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	डीडीओ, जल संस्थान, देहरादून	SGV147144G	04.02.2013	1242
28.	उत्तराखण्ड	11.09.2009	मुख्य शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़	SGV207221E	18.10.2016	2594
लिए गए समय की परास (दिनों में)						**552-3385**

अनुलग्नक VIII

(क) स्थाई पेंशन खाता संख्या (पीपीएएन) को जारी करने में विलम्ब (पैरा संख्या 4.2.1 में संदर्भित)

मंत्रालय/विभाग	**मंत्रालयों/विभागों में विलम्ब**	**सीएबी में विलम्ब**
वित्त मंत्रालय	10 में 4 चयनित डीडीओ में से सभी 6 चयनित अभिदाताओं को पीपीएएन जारी करने में 1-154 दिनों का विलम्ब था।	-
परमाणु ऊर्जा विभाग	6 में 4 चयनित डीडीओ में 6 अभिदाताओं में 5 को पीपीएएन जारी करने में 32-2009 दिनों का विलम्ब था।	-
विज्ञान व तकनीकी विभाग	7 चयनित डीडीओ में से 1 में 2 चयनित अभिदाताओं के लिये पीपीएएन जारी करने में 10-20 दिनों के बीच का विलम्ब था।	सभी चयनित 4 अभिदाताओं को पीपीएएन जारी करने में 44-375 दिनों का विलम्ब था।
विलम्ब की परास (दिनो में)	**1-2009**	**44-375**

(ख) स्थाई पेंशन खाता संख्या (पीपीएएन) को जारी करने में विलम्ब

(पैरा संख्या 4.2.2 में संदर्भित)

राज्य/यूटी	राज्य/यूटी में विलम्ब	सीएबी में विलम्ब
महाराष्ट्र	20 चयनित डीडीओ में 3 में 10 अभिदाताओं को पीपीएएन जारी करने में 259-2038 दिनों का विलम्ब था।	1 चयनित डीडीओ में 13 अभिदाताओं को पीपीएएन जारी करने में 453 से 2607 दिनों तक का विलम्ब था।
झारखण्ड	20 चयनित डीडीओ में से 15 में 51 अभिदाताओं को पीपीएएन जारी करने में 54 से 1251 दिनों का विलम्ब था	-
अंडमान व निकोबार	सभी 5 चयनित डीडीओ में 10 अभिदाताओं को पीपीएएन जारी करने में 18 से 236 दिनों का विलम्ब था।	-
विलम्ब की परास (दिनो में)	**18-2038**	**453-2607**

अनुलग्नक IX

स्थाई सेवानिवृति खाता संख्या (प्रैन) को जारी करने में विलम्ब

(पैरा संख्या 4.3.1.1 में संदर्भित)

मंत्रालय/विभाग का नाम	मंत्रालय में अवलोकन	सीएबी में अवलोकन
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में से 4 में, 7 से 900 दिनों का विलम्ब हुआ जोकि 69 चयनित कर्मचारियों में से 51 के संदर्भ में था।	-
विधि एवं न्याय मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में से 4 में, 2 से 1967 दिनों का विलम्ब हुआ जोकि 75 चयनित कर्मचारियों में से 52 के संदर्भ में था।	-
गृह मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में, 2 से 811 दिनों का विलम्ब हुआ जोकि 76 चयनित कर्मचारियों में से 62 के संदर्भ में था।	-
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में, 2 से 642 दिनों का विलम्ब हुआ जोकि 64 चयनित कर्मचारियों में से 56 के संदर्भ में था।	-
वित्त मंत्रालय	10 चयनित डीडीओ में, 2 से 1986 दिनों का विलम्ब हुआ जोकि 150 चयनित कर्मचारियों में से 80 के संदर्भ में था।	1 चयनित डीडीओ में, 15 चयनित कर्मचारियों में से 14 को प्रैन जारी करने में 21 से 358 दिन का विलम्ब हुआ।
खान मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में से 4 में, 4 से 278 दिनों का विलम्ब हुआ जोकि 76 चयनित कर्मचारियों में से 54 के संदर्भ में था।	-

मंत्रालय/विभाग का नाम	**मंत्रालय में अवलोकन**	**सीएबी में अवलोकन**
सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय	2 चयनित डीडीओ में, 4 से 220 दिनों का विलम्ब हुआ जोकि 30 चयनित कर्मचारियों में से 23 के संदर्भ में था।	-
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में, 3 से 1164 दिनों का विलम्ब हुआ जोकि 69 चयनित कर्मचारियों में से 60 के संदर्भ में था।	1 चयनित डीडीओ में, 15 चयनित कर्मचारियों को प्रैन जारी करने में 249 से 663 दिन का विलम्ब हुआ।
परमाणु ऊर्जा विभाग	6 चयनित डीडीओ में, 4 से 615 दिनों का विलम्ब हुआ जोकि 90 चयनित कर्मचारियों में से 84 के संदर्भ में था।	1 चयनित डीडीओ में, 15 चयनित कर्मचारियों को प्रैन जारी करने में 20 से 223 दिनों का विलम्ब हुआ।
विज्ञान व तकनीकी विभाग	7 चयनित डीडीओ में, 1 से 539 दिनों का विलम्ब हुआ जोकि 100 चयनित कर्मचारियों में से 79 के संदर्भ में था।	4 चयनित सीएबी में, 60 चयनित कर्मचारियों में से 57 को प्रैन जारी करने में 32 से 2435 दिनों का विलम्ब हुआ।
जल संसाधन मंत्रालय	7 चयनित डीडीओ में से 6 में, 3 से 1863 दिनों का विलम्ब हुआ जोकि 102 चयनित कर्मचारियों में से 82 के संदर्भ में था।	-
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	-	1 चयनित डीडीओ में, 13 चयनित कर्मचारियों को प्रैन जारी करने में 133 से 965 दिनों का विलम्ब हुआ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	-	2 चयनित डीडीओ में, 30 चयनित कर्मचारियों को प्रैन जारी करने में 119 से 503 दिनों का विलम्ब हुआ।

मंत्रालय/विभाग का नाम	मंत्रालय में अवलोकन	सीएबी में अवलोकन
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	-	2 सीएबी के 2 चयनित डीडीओ में, 24 चयनित कर्मचारियों को प्रैन जारी करने में 31 से 994 दिनों का विलम्ब हुआ।
विलम्ब की परास (दिनों में)	**1-1986**	**20-2435**

अनुलग्नक X

(क) राज्य सरकार में चयनित डीडीओ में प्रैन जारी करने में लगा समय
(पैरा संख्या 4.3.1.2 में संदर्भित)

राज्य	प्रैन जारी करने में लगा समय
महाराष्ट्र	20 डीडीओ में से 7 में, चयनित 278 कर्मचारियों में से 45 में, 56-556 दिनों का समय लगा।
आंध्र प्रदेश	सभी 20 डीडीओ में, चयनित 300 कर्मचारियों में से 279 में, 26-1886 दिनों का समय लगा।
कर्नाटक	सभी 20 डीडीओ में, चयनित 300 कर्मचारियों में से 279 में, 30-1590 दिनों का समय लगा।
झारखण्ड	सभी 20 डीडीओ में, चयनित 300 कर्मचारियों में से 298 में, 42-1215 दिनों का समय लगा।
दिल्ली	सभी 5 डीडीओ में, चयनित 50 कर्मचारियों में से 44 में, 34-867 दिनों का समय लगा।
अंडमान एवं निकोबार	सभी 5 डीडीओ में, चयनित 75 कर्मचारियों में से 33 में, 82-221 दिनों का समय लगा।
समय लगा (दिनों में)	**26-1886**

(ख) राज्य स्वायत्त निकायों में चयनित डीडीओ में प्रैन जारी करने में लगा समय
(पैरा संख्या 4.3.1.2 में संदर्भित)

राज्य	प्रैन जारी करने में लगा समय
आंध्र प्रदेश	सभी 5 डीडीओ में, चयनित 75 कर्मचारियों में से 66 में, 15-1146 दिनों का समय लगा।
कर्नाटक	5 चयनित डीडीओ में से 3 में, चयनित 75 कर्मचारियों में 43 में, 68-580 दिनों का समय लगा।
झारखण्ड	सभी चयनित 2 डीडीओ में, चयनित 75 कर्मचारियों में से 8 में, 232-417 दिनों का समय लगा।
उत्तराखण्ड	सभी 5 चयनित डीडीओ में, सभी 75 चयनित कर्मचारियों में, 60-4015 दिनों (2 महीने से 11 वर्ष) का समय लगा।
दिल्ली	सभी 5 चयनित डीडीओ में, सभी 74 चयनित कर्मचारियों में, 22-2647 दिनों का समय लगा।
समय लगा (दिनों में)	**15-4015**

अनुलग्नक XI

(क) एनपीएस योगदान की पहली कटौती के प्रारम्भ में विलम्ब
(पैरा संख्या 4.3.2.1 में संदर्भित)

मंत्रालय/विभाग	मंत्रालयों/विभागों में विलम्ब	सीएबी में विलम्ब
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में से 3 में, चयनित 69 अभिदाताओं में से 19 अभिदाताओं में, 1 से 6 महीने का विलम्ब था।	1 चयनित डीडीओ में, चयनित 15 अभिदाताओं में से 5 में, 15 महीने का विलम्ब था।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	-	1 चयनित डीडीओ में, चयनित 13 अभिदाताओं में से 9 में, 1 से 20 महीने का विलम्ब था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	-	2 चयनित डीडीओ में, चयनित 30 अभिदाताओं में से 17 अभिदाताओं में, 1 से 79 महीने का विलम्ब था।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में से 1 में, चयनित 64 अभिदाताओं में से 7 अभिदाताओं में, 3 से 5 महीने का विलम्ब था।	-
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में से 2 में, चयनित 69 अभिदाताओं में से 2 अभिदाताओं में, 1 महीने का विलम्ब था।	-
विधि एवं न्याय मंत्रालय	2 चयनित डीडीओ में से 1 में, चयनित 15 अभिदाताओं में से 5 अभिदाताओं में, 1 से 3 महीने का विलम्ब था।	-
वित्त मंत्रालय	10 चयनित डीडीओ में से 4 में, चयनित 150 अभिदाताओं में से 27 अभिदाताओं में, 1 से 11 महीने का विलम्ब था।	1 चयनित डीडीओ में, चयनित 15 अभिदाताओं में से 14 में, 2 से 24 महीने का विलम्ब था।

मंत्रालय/विभाग	मंत्रालयों/विभागों में विलम्ब	सीएबी में विलम्ब
खान मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में से 3 में, चयनित 76 अभिदाताओं में से 3 में, 3 से 13 महीने का विलम्ब था।	-
विलम्ब की परास (महिनों में)	**1-13**	**1-79**

(ख) **राज्य सरकार तथा राज्य स्वायत्त निकायों में चयनित कर्मचारियों की पहली कटौती में विलम्ब**

(पैरा संख्या - 4.3.2.2 में संदर्भित)

राज्य	विलम्ब
आंध्र प्रदेश	20 चयनित डीडीओ में से 10 में, चयनित 300 कर्मचारियों में से 43 में, 1 से 44 महीनों का विलम्ब था।
महाराष्ट्र	20 चयनित डीडीओ में से 16 में, चयनित 278 कर्मचारियों में से 114 में, 1 से 50 महीनों का विलम्ब था।
कर्नाटक	20 चयनित डीडीओ में से 19 में, चयनित 300 कर्मचारियों में से 135 में, 1 से 53 महीनों का विलम्ब था।
दिल्ली	5 चयनित डीडीओ में से 1 में, चयनित 50 कर्मचारियों में से 2 में, 49 से 65 महीनों का विलम्ब था।
विलम्ब की परास (महीनों में)	**1-65**

राज्य	विलम्ब
हिमाचल प्रदेश-एसएबी	5 चयनित डीडीओ में से 2 में, चयनित 75 कर्मचारियों में से 30 में, 2 से 28 महीनों का विलम्ब था। एक अन्य एसएबी में, 102 कर्मचारियों की पहली कटौती में, 2 से 21 महीनों की देरी हुई।
आंध्र प्रदेश-एसएबी	5 चयनित डीडीओ में से 1 में, चयनित 75 कर्मचारियों में से 13 में, 2 से 15 महीनों का विलम्ब था।
कर्नाटक-एसएबी	5 चयनित डीडीओ में से 4 में, चयनित 75 कर्मचारियों में से 47 में, 34 से 136 दिनों का विलम्ब था। (1 से 4 महीने)
विलम्ब की परास (महीनों में)	**1-28**

अनुलग्नक XII

(क) वेतन बिलों के पीएओ पहुँचने में विलम्ब

(पैरा संख्या 4.4.1 में संदर्भित)

मंत्रालय का नाम	मंत्रालय में विलम्ब	सीएबी में विलम्ब
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में, चयनित 69 अभिदाताओं में से 67 के संदर्भ में, चयनित 89 महीनों में से 29 में, 1 से 33 दिनों का विलम्ब था।	-
विधि एवं न्याय मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में से 3 में, चयनित 75 अभिदाताओं में से 41 के संदर्भ में, चयनित 51 महीनों में से 32 में, 1 से 64 दिनों का विलम्ब था।	-
वित्त मंत्रालय	10 चयनित डीडीओ में से 1 में, चयनित 150 अभिदाताओं में से 16 के संदर्भ में, चयनित 134 महीनों में से 19 में, 1 से 10 दिनों का विलम्ब था।	-
खान मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में से 2 में, चयनित 76 अभिदाताओं में से 30 के संदर्भ में, चयनित 107 महीनों में से 1 में, प्रत्येक में 8 दिनों का विलम्ब था।	-
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	7 चयनित डीडीओ में से 4 में, चयनित 100 अभिदाताओं में से 42 के संदर्भ में, चयनित 65 महीनों में से 45 में, 1 से 10 दिनों का विलम्ब था।	4 चयनित डीडीओ में से 2 में, चयनित 60 अभिदाताओं में से 30 के संदर्भ में, चयनित 20 महीनों में, 1 से 20 दिनों का विलम्ब था।
जल संसाधन मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में से 3 में, चयनित 102 अभिदाताओं में	-

मंत्रालय का नाम	मंत्रालय में विलम्ब	सीएबी में विलम्ब
	से 33 के संदर्भ में, चयनित 104 महीनों में से 46 में, 1 से 189 दिनों का विलम्ब था।	
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	-	1 चयनित डीडीओ में, चयनित 13 अभिदाताओं में से 1 के संदर्भ में, 54 दिनों का विलम्ब था।
विलंब की परास (दिनों में)	**1-189**	**1-54**

(ख) राज्य सरकार एवं राज्य स्वायत निकायों के बिल पीएओ में पहुँचने में विलंब

(पैरा संख्या 4.4.2 में संदर्भित)

राज्य	विलंब
झारखण्ड - राज्य सरकार	सभी 20 डीडीओ में, चयनित 300 कर्मचारियों में से 285 में, 1 से 838 दिनों का विलम्ब था।
दिल्ली - एसएबी	5 चयनित डीडीओ में से 2 में, चयनित 74 कर्मचारियों में से 29 में, 2 से 815 दिनों का विलम्ब था।

अनुलग्नक XIII

(क) एससीएफ के अपलोड/ट्रांजैक्शन आईडी की प्राप्ति में विलंब
(पैरा संख्या 4.5.1 में संदर्भित)

मंत्रालय का नाम	मंत्रालय में विलम्ब	सीएबी में विलम्ब
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में, चयनित 69 अभिदाताओं में से 58 के संदर्भ में, चयनित 89 महीनों में से 34 में, 2 से 358 दिनों का विलम्ब था।	-
विधि एवं न्याय मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में से 4 में, चयनित 75 अभिदाताओं में से 60 के संदर्भ में, चयनित 51 महीनों में से 37 में, 1 से 1501 दिनों का विलम्ब था।	-
गृह मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में, चयनित 76 अभिदाताओं में से 72 के संदर्भ में, चयनित 70 महीनों में से 66 में, 1 से 1103 दिनों का विलम्ब था।	-
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में, चयनित 64 अभिदाताओं के संदर्भ में, चयनित 61 महीनों में से 41 में, 3 से 371 दिनों का विलम्ब था।	-
वित्त मंत्रालय	10 चयनित डीडीओ में, चयनित 150 अभिदाताओं में से 122 के संदर्भ में, चयनित 297 महीनों में, 3 से 3175 दिनों का विलम्ब था।	1 डीडीओ में, चयनित 15 कर्मचारियों के संदर्भ में, चयनित 37 महीनों में से 3 में, 12 से 124 दिनों का विलम्ब था।
खान मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में, चयनित 76 अभिदाताओं में से 72 के संदर्भ में, चयनित 94 महीनों	-

मंत्रालय का नाम	मंत्रालय में विलम्ब	सीएबी में विलम्ब
	में, 1 से 462 दिनों का विलम्ब था।	
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2 चयनित डीडीओ में, चयनित 30 अभिदाताओं में से 28 के संदर्भ में, चयनित 35 महीनों में, 1 से 34 दिनों का विलम्ब था।	-
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में, चयनित 69 अभिदाताओं के संदर्भ में, चयनित 81 महीनों में से 68 में, 1 से 250 दिनों का विलम्ब था।	1 डीडीओ में, चयनित 15 कर्मचारियों के संदर्भ में, चयनित 46 महीनों में से 24 में, 5 से 49 दिनों का विलम्ब था।
परमाणु ऊर्जा विभाग	6 चयनित डीडीओ में, चयनित 90 अभिदाताओं के संदर्भ में, चयनित 101 महीनों में से 57 में, 1 से 775 दिनों का विलम्ब था।	1 डीडीओ में, चयनित 6 कर्मचारियों के संदर्भ में, चयनित 24 महीनों में से 5 में, 2 से 214 दिनों का विलम्ब था।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	7 चयनित डीडीओ में, चयनित 100 अभिदाताओं में से 96 के संदर्भ में, चयनित 85 महीनों में, 1 से 761 दिनों का विलम्ब था।	4 डीडीओ में, चयनित 61 कर्मचारियों में से 60 के संदर्भ में, चयनित 125 महीनों में से 48 में, 1 से 283 दिनों का विलम्ब था।
जल संसाधन मंत्रालय	7 चयनित डीडीओ में, चयनित 102 अभिदाताओं में से 86 के संदर्भ में, चयनित 104 महीनों में से 65 में, 1 से 187 दिनों का विलम्ब था।	-
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	-	1 डीडीओ में, चयनित 13 कर्मचारियों के संदर्भ में, चयनित 30 महीनों में से 24 में, 3 से 103 दिनों का विलम्ब था।

मंत्रालय का नाम	मंत्रालय में विलम्ब	सीएबी में विलम्ब
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	-	2 डीडीओ में, चयनित 30 कर्मचारियों के संदर्भ में, चयनित 60 महीनों में से 24 में, 1 से 26 दिनों का विलम्ब था।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	-	2 डीडीओ में, चयनित 24 कर्मचारियों के संदर्भ में, चयनित 51 महीनों में से 26 में, 1 से 404 दिनों का विलम्ब था।
विलंब की परास (दिनों में)	**1-3175**	**1-404**

(ख) एससीएफ के अपलोड/ट्रांजैक्शन आईडी की प्राप्ति में विलंब
(पैरा संख्या 4.5.2 में संदर्भित)

राज्य/ यू टी	विलंब
आंध्र प्रदेश - राज्य सरकार	20 चयनित डीडीओ में से 19 में, चयनित 300 कर्मचारियों में से 285 में, 2 से 1582 दिनों का विलम्ब था।
विलंब की परास (दिनों में)	**2-1582**

राज्य/ यू टी	विलंब
आंध्र प्रदेश- एसएबी	सभी 5 चयनित डीडीओ में, सभी 75 कर्मचारियों में, 8 से 731 दिनों का विलम्ब था।
दिल्ली- एसएबी	5 चयनित डीडीओ में से 4 में, चयनित 74 कर्मचारियों में से 42 में, 1 से 1403 दिनों का विलम्ब था।
विलंब की परास (दिनों में)	**1-1403**

अनुलग्नक XIV

(क) केन्द्र सरकार एवं केंद्रीय स्वायत्त निकायों के नोडल कार्यालय द्वारा न्यासी बैंक (टीबी) को अभिदान प्रेषण में विलंब

(पैरा संख्या 4.6.1 में संदर्भित)

मंत्रालय/विभाग का नाम	मंत्रालय में अवलोकन	सीएबी में अवलोकन
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में, चयनित 69 कर्मचारियों में से 54 के संदर्भ में, ₹2632149 की राशि, 1 से 466 दिनों के विलम्ब से टीबी को प्रेषित की गई।	-
विधि एवं न्याय मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में से 4 में, चयनित 75 कर्मचारियों में से 60 के संदर्भ में, ₹2609134 की राशि, 1 से 563 दिनों के विलम्ब से टीबी को प्रेषित की गई।	-
गृह मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में, चयनित 76 कर्मचारियों में से 57 के संदर्भ में, ₹1415554 की राशि, 1 से 363 दिनों के विलम्ब से टीबी को प्रेषित की गई।	-
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में, चयनित 64 कर्मचारियों में से 43 के संदर्भ में, ₹2057479 की राशि, 1 से 106 दिनों के विलम्ब से टीबी को प्रेषित की गई।	-
वित्त मंत्रालय	10 चयनित डीडीओ में से 6 में , चयनित 151 कर्मचारियों में से 47 के संदर्भ में, ₹2168129 की राशि, 1 से	1 चयनित डीडीओ में, चयनित 15 कर्मचारियों के संदर्भ में, ₹259255 की राशि, 2 से 125 दिनों के

मंत्रालय/विभाग का नाम	मंत्रालय में अवलोकन	सीएबी में अवलोकन
	414 दिनों के विलम्ब से टीबी को प्रेषित की गई।	विलम्ब से टीबी को प्रेषित की गई।
खान मंत्रालय	4 चयनित डीडीओ में, चयनित 76 कर्मचारियों में से 60 के संदर्भ में, ₹3001947 की राशि, 1 से 176 दिनों के विलम्ब से टीबी को प्रेषित की गई।	-
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2 चयनित डीडीओ में, चयनित 30 कर्मचारियों में से 28 के संदर्भ में, ₹636940 की राशि, 1 से 26 दिनों के विलम्ब से टीबी को प्रेषित की गई।	-
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में से 1 में, चयनित 69 कर्मचारियों में से 12 के संदर्भ में, ₹358200 की राशि, 7 से 63 दिनों के विलम्ब से टीबी को प्रेषित की गई।	1 चयनित डीडीओ में, चयनित 15 कर्मचारियों के संदर्भ में, ₹1100793 की राशि, 2 से 51 दिनों के विलम्ब से टीबी को प्रेषित की गई।
परमाणु ऊर्जा विभाग	6 चयनित डीडीओ में से 3 में, चयनित 90 कर्मचारियों में से 30 के संदर्भ में, ₹419082 की राशि, 1 से 770 दिनों के विलम्ब से टीबी को प्रेषित की गई।	1 चयनित डीडीओ में, चयनित 15 कर्मचारियों में से 6 के संदर्भ में, ₹106421 की राशि, 2 से 214 दिनों के विलम्ब से टीबी को प्रेषित की गई।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	7 चयनित डीडीओ में से 5 में, चयनित 100 कर्मचारियों में से 61 के संदर्भ में, ₹885310 की राशि, 1 से 244 दिनों के विलम्ब से टीबी को प्रेषित की गई।	4 चयनित डीडीओ में, चयनित 60 कर्मचारियों के संदर्भ में, ₹4349819 की राशि, 1 से 283 दिनों के विलम्ब से टीबी को प्रेषित की गई।

मंत्रालय/विभाग का नाम	मंत्रालय में अवलोकन	सीएबी में अवलोकन
जल संसाधन मंत्रालय	7 चयनित डीडीओ में से 5 में, चयनित 102 कर्मचारियों में से 57 के संदर्भ में, ₹1994411 की राशि, 1 से 187 दिनों के विलम्ब से टीबी को प्रेषित की गई।	-
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	-	1 चयनित डीडीओ में, चयनित 13 कर्मचारियों के संदर्भ में, ₹914315 की राशि, 2 से 114 दिनों के विलम्ब से टीबी को प्रेषित की गई।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	-	2 चयनित डीडीओ में, चयनित 24 कर्मचारियों के संदर्भ में, ₹91394681 की राशि, 1 से 404 दिनों के विलम्ब से टीबी को प्रेषित की गई।
विलंब की परास (दिनों में)	**1-770**	**1-404**

(ख) राज्य/यूटी सरकार एवं राज्य स्वायत्त निकायों के डीडीओ द्वारा न्यासी बैंक को अंशदान के प्रेषण में विलंब

(पैरा संख्या 4.6.2 में संदर्भित)

राज्य/यूटी	राज्य/यूटी में विलम्ब	एसएबी में विलम्ब
आंध्र प्रदेश	सभी चयनित 20 डीडीओ में, 2 से 22 दिनों का विलम्ब था।	सभी चयनित 5 डीडीओ में, 9 से 33 दिनों का विलम्ब था।
महाराष्ट्र	20 चयनित डीडीओ में से 19 में, 1 से 35 दिनों का विलम्ब था।	-
कर्नाटक	20 चयनित डीडीओ में से 17 में, 1 से 1199 दिनों का विलम्ब था।	-
दिल्ली	सभी 5 चयनित डीडीओ में, 1 से 442 दिनों का विलम्ब था।	5 चयनित डीडीओ में से 2 में, 1 से 242 दिनों का विलम्ब था।
विलंब की परास (दिनों में)	**1-1199**	**1-242**

अनुलग्नक XV

(क) राज्य सरकार में चयनित डीडीओ में वेतन से कर्मचारी अंशदान की कटौती नहीं होना (पैरा संख्या 4.7.1 में संदर्भित)

राज्य	कटौती नहीं होना
महाराष्ट्र	20 चयनित डीडीओ में से 7 में, चयनित 278 कर्मचारियों में से 22 कर्मचारियों के 38 वेतन बिलों में से, ₹47976 की धनराशि नहीं काटी गई।
झारखण्ड	20 चयनित डीडीओ में से 6 में, चयनित 300 कर्मचारियों में से 51 कर्मचारियों के 160 वेतन बिलों में से, ₹2.60 लाख की धनराशि नहीं काटी गई।
उत्तराखण्ड	सभी 20 चयनित डीडीओ में, चयनित 307 कर्मचारियों में से 229 कर्मचारियों की ₹120.18 लाख की धनराशि नहीं काटी गई।
हिमाचल प्रदेश	20 चयनित डीडीओ में से 15 में, चयनित 300 कर्मचारियों में से 155 कर्मचारियों की ₹32.23 लाख की धनराशि नहीं काटी गई।
कुल	**₹ 1.55 करोड़**

(ख) राज्य स्वायत्त निकायों के चयनित डीडीओ में वेतन से कर्मचारी अंशदान की कटौती नहीं होना (पैरा संख्या 4.7.1 में संदर्भित)

राज्य/यूटी	कटौती नहीं होना
महाराष्ट्र	1 चयनित डीडीओ में, चयनित 15 कर्मचारियों में से 2 कर्मचारियों के 2 वेतन बिलों में से, ₹2712 की धनराशि नहीं काटी गई।
झारखण्ड	2 चयनित डीडीओ में से 1 में, चयनित 75 कर्मचारियों में से 7 कर्मचारियों की ₹0.21 लाख की धनराशि नहीं काटी गई।
हिमाचल प्रदेश	5 चयनित डीडीओ में से 1 में, चयनित 15 कर्मचारियों में से 14 कर्मचारियों की ₹0.75 लाख की धनराशि नहीं काटी गई-एचआरटीसी। 5 चयनित डीडीओ में से 1 में, चयनित 15 कर्मचारियों में से 13

	कर्मचारियों की ₹1.64 लाख की धनराशि नहीं काटी गई-एचपीएसईबीएल। 5 चयनित डीडीओ में से 1 में, चयनित 5 कर्मचारियों की ₹3.01 लाख की धनराशि नहीं काटी गई (अभिदाता चयनित नहीं थे)-एचआरटीसी।
दिल्ली	5 चयनित डीडीओ में से 3 में, चयनित 74 कर्मचारियों में से 40 कर्मचारियों की ₹5.58 लाख की धनराशि नहीं काटी गई।
कुल	**₹8.21 लाख + ₹3.01 लाख**

अनुलग्नक XVI

एनपीएस अंशदान की कम कटौती
(पैरा सं. 4.7.2.1 में संदर्भित)
(क) मंत्रालय/विभाग के कर्मचारियों के वेतन से कम अंशदान की कटौती

मंत्रालय/विभाग	मंत्रालय/विभाग में अवलोकन
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में से 3 में, चयनित 69 अभिदाताओं में से 6 अभिदाताओं के संबंध में कम कटौती ₹1 से ₹1767 तक थी जिसका कुल योग ₹6001 है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में से 3 में, चयनित 75 अभिदाताओं में से 27 अभिदाताओं के संबंध में कम कटौती ₹5 से ₹8274 तक थी जिसका कुल योग ₹169643 है।
गृह मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में से 4 में, चयनित 76 अभिदाताओं में से 30 अभिदाताओं के संबंध में कम कटौती ₹1 से ₹1854 तक थी जिसका कुल योग ₹9695 है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में से 3 में, चयनित 64 अभिदाताओं में से 7 अभिदाताओं के संबंध में कम कटौती ₹1 से ₹2567 तक थी जिसका कुल योग ₹11344 है।
वित्त मंत्रालय	10 चयनित डीडीओ में से 7 में, चयनित 151 अभिदाताओं में से 29 अभिदाताओं के संबंध में कम कटौती ₹1 से ₹4560 तक थी जिसका कुल योग ₹57313 है।
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	5 चयनित डीडीओ में से 4 में, चयनित 69 अभिदाताओं में से 26 अभिदाताओं के संबंध में कम कटौती ₹1 से ₹2957 तक थी जिसका कुल योग ₹5932 है।
परमाणु ऊर्जा विभाग	2 चयनित डीडीओ में, चयनित 90 अभिदाताओं में से 77 अभिदाताओं के संबंध में कम कटौती ₹1 से ₹3990 तक थी जिसका कुल योग ₹8818 है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	7 चयनित डीडीओ में से 1 में, चयनित 100 अभिदाताओं में से 9 अभिदाताओं के संबंध में कम कटौती ₹1 से ₹729 तक थी जिसका कुल योग ₹1579 है।
जल संसाधन मंत्रालय	7 चयनित डीडीओ में से 2 में, चयनित 102 अभिदाताओं में से 8 अभिदाताओं के संबंध में कम कटौती ₹324 से ₹4473 तक थी जिसका कुल योग ₹24909 है।
कुल	**₹2.95** लाख

(ख) केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के वेतन से कम अंशदान की कटौती

मंत्रालय/विभाग	**सीएबी में अवलोकन**
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सीएबी के 2 चयनित डीडीओ में से 1 में, चयनित 30 अभिदाताओं में से 4 अभिदाताओं के संबंध में कम कटौती ₹793 से ₹2158 तक थी जिसका कुल योग ₹16056 है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	2 चयनित डीडीओ में से 1 में, चयनित 24 अभिदाताओं में से 3 अभिदाताओं के संबंध में कम कटौती ₹159 से ₹590 तक थी जिसका कुल योग ₹1560 है।
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	1 चयनित डीडीओ में, चयनित 15 अभिदाताओं में से 6 अभिदाताओं के संबंध में कम कटौती ₹30 से ₹1455 तक थी जिसका कुल योग ₹4522 है।
परमाणु ऊर्जा विभाग	1 चयनित डीडीओ में, चयनित 15 अभिदाताओं में से 9 अभिदाताओं के संबंध में कम कटौती ₹1 से ₹127 तक थी जिसका कुल योग ₹136 है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	4 चयनित डीडीओ में से 3 में, चयनित 60 अभिदाताओं में से 20 अभिदाताओं के संबंध में कम कटौती ₹10 से ₹652 तक थी जिसका कुल योग ₹3822 है।
कुल	**₹0.26 लाख**

अनुलग्नक XVII

राज्य सरकार के चयनित डीडीओ/डीटीओ में कर्मचारी अंशदान की उनके वेतन से कम कटौती
(पैरा सं. 4.7.2.2 में संदर्भित)

(क) राज्य सरकार के डीडीओ/डीटीओ में कम कटौती

राज्य/यू.टी	कम कटौती
आन्ध्र प्रदेश	20 चयनित डीडीओ में से 6 में, चयनित 300 कर्मचारियों में से 22 कर्मचारियों के 92 वेतन बिलों में से, ₹8084 का कर्मचारी अंशदान कम काटा गया।
हिमाचल प्रदेश	5 चयनित डीटीओ में से 1 में, चयनित 300 कर्मचारियों में से 7 कर्मचारियों के 7 वेतन बिलों में से, ₹9024 का कर्मचारी अंशदान कम काटा गया।
महाराष्ट्र	20 चयनित डीडीओ में से 5 में, चयनित 278 कर्मचारियों में से 38 कर्मचारियों के 943 वेतन बिलों में से, ₹24628 का कर्मचारी अंशदान कम काटा गया।
राजस्थान	20 चयनित डीडीओ में से 10 में, चयनित 300 कर्मचारियों में से 20 कर्मचारियों का, ₹5789 का कर्मचारी अंशदान कम काटा गया।
झारखण्ड	20 चयनित डीडीओ में से 9 में, चयनित 300 कर्मचारियों में से 37 कर्मचारियों का, ₹28050 का कर्मचारी अंशदान कम काटा गया।
दिल्ली	सभी 5 चयनित डीडीओ में, चयनित 50 कर्मचारियों में से 48 कर्मचारियों के 124 लेन-देनों में से, ₹17222 का कर्मचारी अंशदान कम काटा गया।
कुल	**₹92797**

(ख) राज्य स्वायत्त निकायों के चयनित डीडीओ/डीटीओ में कर्मचारी अंशदान की उनके वेतन से कम कटौती

राज्य/यूटी	कम कटौती
आन्ध्र प्रदेश	5 चयनित डीडीओ में से 1 में, चयनित 75 कर्मचारियों में से 11 कर्मचारियों के 42 वेतन बिलों में से, ₹4085 का कर्मचारी अंशदान कम काटा गया।
महाराष्ट्र	1 चयनित डीडीओ में, चयनित 15 कर्मचारियों में से 7 कर्मचारियों के 19 वेतन बिलों में से, ₹5703 का कर्मचारी अंशदान कम काटा गया।
राजस्थान	5 चयनित डीडीओ में से 3 में, चयनित 75 कर्मचारियों में से 13 कर्मचारियों का, ₹6586 का कर्मचारी अंशदान कम काटा गया।

झारखण्ड	2 चयनित डीडीओ में से 1 में, चयनित 75 कर्मचारियों में से 3 कर्मचारियों का, ₹1622 का कर्मचारी अंशदान कम काटा गया।
दिल्ली	5 चयनित डीडीओ में से 1 में, चयनित 74 कर्मचारियों में से 3 कर्मचारियों का, ₹1959का कर्मचारी अंशदान कम काटा गया।
कुल	**₹19955**

अनुलग्नक XVIII

वित्तीय सलाहकारों द्वारा डैशबोर्ड का प्रयोग
(पैरा सं. 5.1.2 में संदर्भित)

क्र. सं.	किये गये डैशबोर्ड प्रयोग की आवृत्ति	मंत्रालय/विभाग	किये गये डैशबोर्ड प्रयोग की संख्या	डैशबोर्ड का कुल प्रयोग जो करना था (यदि एक तिमाही में कम से कम एक बार किया गया)
1	शून्य	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय	0	28
2		विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	0	28
3		कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय	0	28
4		इस्पात	0	28
5		दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	0	28
6		पंचायती राज मंत्रालय	0	28
7		खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	0	28
8		चुनाव आयोग	0	28
9		विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	0	28
10		भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा	0	28
11		ग्रामीण विकास मंत्रालय	0	28
12		वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग)	0	28
13		राष्ट्रपति सचिवालय	0	28
14		उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय	0	28
15		दादर और नागर हवेली	0	28
16		कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	0	28
17	1 से 5	नागर विमानन एवं पर्यटन	1	28
18		उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं लोक विपणन मंत्रालय	2	28
19		कोयला मंत्रालय	4	28
20		अंतरिक्ष विभाग	3	28
21		वाणिज्य एवं कपड़ा मंत्रालय	4	28
22		खान मंत्रालय	4	28

क्र. सं.	किये गये डैशबोर्ड प्रयोग की आवृत्ति	मंत्रालय/विभाग	किये गये डैशबोर्ड प्रयोग की संख्या	डैशबोर्ड का कुल प्रयोग जो करना था (यदि एक तिमाही में कम से कम एक बार किया गया)
23		श्रम एव रोजगार मंत्रालय	4	28
24		रसायन व पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	4	28
25		उर्वरक विभाग, रसायन व उर्वरक मंत्रालय	1	28
26		राज्य सभा सचिवालय	1	28
27		पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1	28
28		युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	1	28
29		संस्कृति मंत्रालय	5	28
30		उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास मंत्रालय	1	28
31		रक्षा मंत्रालय	4	28
32	6 से 10	अंडमान एवं निकोबार द्वीप प्रशासन	3	28
33		कृषि मंत्रालय	2	28
34		गृह मंत्रालय	4	28
35		व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	6	28
36		आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	6	28
37		राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	7	28
38		विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय	8	28
39		विधि एवं न्याय मंत्रालय	10	28
40		कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	8	28
41		केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	8	28
42		योजना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	7	28
43		जहाजरानी मंत्रालय	7	28
44		विदेशी मामले मंत्रालय	8	28
45		विदेशी भारतीय मामले मंत्रालय	7	28

क्र. सं.	किये गये डैशबोर्ड प्रयोग की आवृत्ति	मंत्रालय/विभाग	किये गये डैशबोर्ड प्रयोग की संख्या	डैशबोर्ड का कुल प्रयोग जो करना था (यदि एक तिमाही में कम से कम एक बार किया गया)
46		सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	7	28
47		केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	6	28
48		केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय	7	28
49		लोक सभा सचिवालय	8	28
50		लक्षद्वीप का संघ शासित प्रदेश	8	28
51		दमन एवं दीव का संघ शासित प्रदेश	9	28
52	14 से 28	जनजातीय कार्य मंत्रालय	6	28
53		अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	6	28
54		जल संसाधन मंत्रालय	6	28
55		महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	14	28
56		परमाणु ऊर्जा विभाग	14	28
57		नव एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय	15	28
58		विद्युत मंत्रालय	15	28
59		सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	25	28
60		उद्योग विभाग	23	28
61		शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	24	28
62		उप महानिदेशक, लेखा, दूरसंचार विभाग	25	28
63		महाप्रबंधक (वित्त), डाक लेखा, दिल्ली	22	28
64		पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	27	28
65		सूचना एवं प्रोधोगिकी विभाग, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	27	28
66		पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	27	28
67		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	27	28
68		रेल मंत्रालय	27	28

संक्षिप्ताक्षरों की सूची

संक्षिप्ताक्षर	विवरण
एएएस	वार्षिक लेखा विवरण
एओबी	कार्य आवंटन
एएसपी	वार्षिकी सेवा प्रदाता
एयूएम	प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति
बीई	बजट प्राक्कलन
सीए	लेखा नियंत्रक
सीएबी	केंद्रीय स्वायत्त निकाय
सीसीए	मुख्य लेखा नियंत्रक
सीडीडीओ	चेक आहरण और वितरण अधिकारी
सीजीए	महालेखा नियंत्रक
सीपीएओ	केंद्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय
सीआरए	सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी
डीए	महंगाई भत्ता
डीबी	परिभाषित लाभ
डीसी	परिभाषित अंशदान
डीडीओ	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
डीईए	आर्थिक कार्य विभाग
डीएफएस	वित्तीय सेवाएँ विभाग
डीओई	व्यय विभाग
डीओपीपीडब्ल्यू	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
डीओपीटी	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
डीटीए	कोषागार तथा लेखा निदेशालय
डीटीओ	जिला राजकोष अधिकारी
एफए	वित्तीय सलाहकार
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद

जीओआई	भारत सरकार
जीपीएफ	सामान्य भविष्य निधि
एचएलईजी	उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह
एचआरएमएस	मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
आईआरए	वैयक्तिक सेवानिवृत्ति खाता
आईआरडीएआई	भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
एलसी	जीवन चक्र
एलआईसी	जीवन बीमा निगम
एमएआरएस	न्यूनतम सुनिश्चित प्राप्ति योजना
एनएवी	निवल परिसंपत्ति मूल्य
एनपीएस	नवीन पेंशन योजना/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनपीएससीएएन	नवीन पेंशन योजना अंशदान लेखांकन नेटवर्क
एनएसडीएल	नेशनल सेक्यूरिटीज डेपोजिट्री लिमिटेड
ओएएसआईएस	वृद्धावस्था सामाजिक एवं आय सुरक्षा
ओएम	कार्यालय ज्ञापन
पीएओ	वेतन एवं लेखा कार्यालय
पीएफ	पेंशन निधि
पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
पीओपी	उपस्थिति अस्तित्व
पीपीएएन	स्थायी पेंशन खाता संख्या
प्रधान एओ	प्रधान लेखा कार्यालय
पीआरसीसीए	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक
प्रैन	स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या
एसएबी	राज्य स्वायत्त निकाय
एसबीआई	भारतीय स्टेट बैंक
एससीएफ	अभिदाता अंशदान फाइल
एसएचसीआईएल	स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एसआईपीएफ	राज्य बीमा तथा भविष्य निधि

टीबी	न्यासी बैंक
यूटीआई	यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
www.cag.gov.in

संघ सरकार वित्त मंत्रालय वर्ष 2020 की प्रतिवेदन संख्या 13 (निष्पादन लेखापरीक्षा)